रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—73 Registered No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1975 (ज्येष्ठ 31, 1897)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1975 (JYAISTHA 31, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-85, दिनांक 18 अप्रैल, 1975

सं० पी ए/81(17)/75-आर० 4:—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री शरद परशुरामनेने को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए अस्थाई रूप से स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस बी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 29 अप्रैल 1975

सं० पी ए/81(90)/74-आर० 4:-भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री अनासपुरपू सूर्यप्रकाश राव को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र मे वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस बी नियुक्त करते है।

दिनांक 30 अप्रैल 1975

सं० पी ए/81(16)/75- आर-4:—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहा के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री बालचंद्र सीताराम मणेरकर को 1 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड (एस बी) नियुक्ति करते है।

पी० उन्नीकृष्णन
उप स्थापना अधिकारी (भ)

बम्बई-400085, दिनांक 2 मई, 1975

सं० संदर्भ 5/1/75/स्था० 5—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियंत्रक इसके द्वारा सहायक श्री भीमशंकर विश्वनाथ भगुंडे को 24-2-1975 से 11-4-1975 तक अस्थाई रूप से इस अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

ए० शांतकुमार मेनन,
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 25 मार्च, 1975

सं० डी०पी०एस०/ए० /11013/4/73-स्था/3394/337:—परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक क्रय एवं भंडार, इस निदेशालय की दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, श्री वी० सी० कुरुविल्ला, स्थायी मुख्य

भंडारी तथा स्थानापन्न भंडार अधिकारी (श्रेणीII) को, जो 650-960 रुपये के संशोधित वेतनमान में नियुक्त हैं, 5 अक्टूबर 1974 से आगामी आदेश तक के लिए उसी निदेशालय में तथा उसी वेतनमान मे स्थायी रूप से सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० पी० जोसफ
प्रशासन-अधिकारी

विद्युत प्रयोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

बम्बई, दिनांक 25 फरवरी 1975

सं० एन ए पी/1(4)/74-प्रकशासन 543/315: राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के एक अस्थायी विज्ञान अधिकारी अभियंता ग्रेड एस बी (इलेक्ट्रिकल) श्री बी० जी० शर्मा का यहां से नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप, उन्होने राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में जून 10, 1974 के अपराह्न को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना मे जून 18,1974 के पूर्वाह्न से उसी ग्रेड पर अपने पहले ही पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री बी० जी० शर्मा आगामी आदेश जारी होने तक नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में ग्रेड एस जी पर अपने पद का कार्यभार संभालते रहेंगे :

आर० जे० भाटिया
सामान्य प्रशासन अधिकारी

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई-400008, दिनांक 4 अप्रैल 1975

संदर्भ सं० भापाप (संस्था०/1/म/13/2370:–भारी पानी परियोजनाओं के विशेष कार्य अधिकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थाई उच्च श्रेणी लिपिक तथा भारी पानी परियोजना (बम्बई कार्यालय) के स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्री वसन्तकृष्णा महागांवकर को श्री एस० के० लिमये, सहायक लेखा अधिकारी के स्थान पर 6 दिसम्बर, 1974 के पूर्वाह्न से 1 अप्रैल, 1975 के (अपराह्न) तक के लिए सहायक लेखा-अधिकारी नियुक्त करते हैं।

टी०सी० सत्याकीर्ति
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

बम्बई-400008, दिनांक अप्रैल, 1975

संदर्भ : 05000/जे-26/:भारी पानी परियोजना के, विशेष कार्य अधिकारी, भारी पानी परियोजना (कोटा) के अस्थायी फोरमैन श्री चक्रवर्ती नरेश जोशी को उसी परियोजना में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता (ग्रेड एस बी) के रूप में अस्थाई रूप से फरवरी, 1,1975 के पूर्वाह्न से आगे आदेश होने तक के लिए नियुक्त करते हैं।

आर० सी० कोटियनकर
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

राजस्थान परिमाणु विद्युत परियोजना

कोटा, दिनांक 19 अप्रैल 1975

सं० रापविप/00101/74-प्रशासन/स्थल/872-राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य अभियंता, परियोजना के निम्नलिखित कर्मचारियों को दिनांक 1 फरवरी, 1975 से आगामी आदेश होने तक के लिए उसी परियोजना में अस्थायी रूप से विज्ञान अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड- एस बी नियुक्त करते हैं।

1. श्री एस० के० लाल
2. श्री बी० के० श्रीवास्तव
3. श्री हरबंस सिंह
4. श्री करन सिंह रुहल
5. श्री ओ० पी० मिश्रा
6ह श्री आई० पी० चाडना

गोपाल सिंह,
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

तारापुर परमाणु बिजलीघर

थाना-401504, दिनांक 1975

सं० टी० ए० पी० एस०/प्रशासन/735-ए : परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक श्री बी० के० पी० पिल्लै की सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से की गई नियुक्ति की अवधि को 1-3-1975 से 30-6-1975 तक चार मास की और अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाते हैं।

तारापुर परमाणु बिजलीघर

सं० टी ए पी एस/प्रशासन/735-ए : 331–परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक, श्री बी० के० पिल्ले की सहयक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से की गई नियुक्त की अवधि को 1-3-1975 से 30-6-1975 तक की चार मास की और अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक कि इस पद पर कोई व्यक्ति नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया जाता है, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाते हैं।

दिनांक 1 अप्रैल, 1975

सं० टी ए पी एस/प्रशासन/947/332:–परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक, श्री बी० आर० बेलकर की सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से की गई नियुक्ति की अवधि को 21 मार्च, 1975 के पूर्वाह्न से तीन मास की और अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाते हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग

तारापुर परमाणु बिजलीघर

सं० टी० ए० पी० एस/प्रशासन/735-ए : 335—परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक, श्री आर० आर० वन्दूनी की सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से की गई नियुक्ति की अवधि को 1-3-1975 से 30-6-1975 तक की चार मास की और अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाते हैं।

सं० टी० ए० पी० एस/प्रशासन 735-ए: 352—परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक, श्री एम०आई० चौरसिया की सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से की गई नियुक्ति की अवधि को 1-3-1975 से 30-6-1975 तक चार मास की और अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तककि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाते हैं।

के० वी० सेतुमाधवन

मुख्य प्रशासन अधिकारी

कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन

दिनांक 23 अप्रैल 1975

सं० ए० 32013/5/73-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों की नागर विमानन विभाग में तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में की गई पदोन्नति की अवधि 30 अप्रैल 1975 तक या उनके द्वारा धारित पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें जो भी पहले हो बढ़ा दी है :—

1. श्री एन० आर० स्वामी
2. श्री एम० ए० वेणुगोपाल
3. श्री एन० एन० गोपालन
4. श्री आर० के० वर्मा
5. श्री वी० अलागिरी
6. श्री पी० सी० बनर्जी
7. श्री एस० पी० हरदास
8. श्री के० के० नारायण
9. श्री एस० पी० जैन
10. श्री के० पी० बी० नायर, और
11. श्री बी० डी० गरेकर।

दिनांक 1 मई 1975

सं० ए० 32014/1/74-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री एच० एल० शर्मा, तकनीकी सहायक, वैमानिक संचार स्टेशन दिल्ली को 17 मार्च, 1975 से अगले आदेश जारी होने तक उसी स्टेशन पर तदर्थ आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 12025/3/74-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री वी० के० चौधरी को 31-3-75 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन के वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता में अस्थायी रूप में तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक 3 मई 1975

सं० ए-32014/1/74-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री ओ० पी० आहुजा, कनिष्ठ अनुदेशक लिंक प्रशिक्षक, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद को 21 मार्च, 1975 से अगले आदेश जारी होने तक उसी कार्यालय में स्थानापन्न रूप से वरिष्ठ अनुदेशक लिंक प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

हरबंस लाल कोहली

उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली दिनांक 14 अप्रैल 1975

सं० ए० 38013/1/75-ई० सी० महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय के श्री एस० पी० चारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर 31 मार्च, 1975 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सं० ए० 32013/1/74-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री डी० एस० श्रीवास्तव, सहायक तकनीकी अधिकारी वैमानिक संचार स्टेशन, नई दिल्ली को श्री के० पी० बी० नायर, तकनीकी अधिकारी को छुट्टी रिक्ति में 18 अक्टूबर, 1974 से 12 दिसम्बर, 1974 (अपराह्न) तक केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो, नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

(एतद्द्वारा इस विभाग की 25 मार्च 1974 की अधिसूचना सं० ए० 32013/1/74-ई० सी० रद्द की जाती है।)

दिनांक 7 मई, 1975

सं० ए० 32013/11/73-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित अधिकारियों को 1 जनवरी, 1975 से नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त किया है :—

1. श्री डी० सी० मेहता
2. श्री बी० के० बाबू
3. श्री एम० ए० वेणुगोपाल
4. श्री वी० अलगिरी
5. श्री एस० पी० हरदास
6. श्री एन० एन० गोपालन
7. श्री आर० के० वर्मा
8. श्री पी० सी० बनर्जी
9. श्री हरिशचन्द्र
10. श्री एस० कृष्णास्वामी
11. श्री एल० पी० सिंह
12. श्री एन० वेंकटपति
13. श्रीमृणाल कान्तिपाल
14. श्री बी० एन० गोडबोले
15. श्री जे० बी० शर्मा
16. श्री ए० जी० नरसिंहम
17. श्री ए० जगदेशन

18. श्री एस० जयरामन
19. श्री एस० वेंकटेश्वरन
20. श्री के० श्रीनिवासन
21. श्री बी० श्रीनिवासन
22. श्री एम० एन० अङ्गूर
23. श्री पी० जे० अय्यर
24. श्री के० के० नारायण
25. श्री एस० पी० जैन
26. श्री के० पी० बी० नायर
27. श्री बी० डी० गारेकर
28. श्री एल० पी० सैमुअल
29. श्री ए० एन० श्रीवास्तव
30. श्री श्री डी० एस० श्रीवास्तव
31. श्री जे० सी० गुप्ता
32. श्री श्री के० बी० उपाध्याय
33. श्री आर० सम्पत कुमारन
34. श्री पी० के० बी० नायर
35. श्री डी० के० चड्ढा
36. श्री बी० के० सेनगुप्ता
37. कुमारी बी० रत्नावती
38. श्री श्री एस० सी० दुरेजा
39. श्री बी० के० गुप्ता
40. श्री टी० आर० शेषाद्रि
41. श्री ईशर सिंह
42. श्री एस० के० शर्मा
43. श्री के० एस० श्रीनिवासन

हरबंस लाल कोहली,
उप-निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1975

सं० ए० 26015/1/74-ई० ए०—महानिदेशक नागर विमानन निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग के विमान मार्ग और विमानक्षेत्र संगठन में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में अस्थायी रूप में सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी, श्रेणी-II, राजपत्रित पद पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	तारीख
1.	श्री ए० के० बोस	6-1-75
2.	श्री जी० एल० कांतम	6-1-75
3.	श्री एन० के० अवाल	6-1-75
4.	श्री डी० घोष	6-1-75
5.	श्री एस० आर० अय्यर	6-1-75
6.	श्री बी० के० यादव	6-1-75
7.	श्री जगमोहन सिंह नेगी	6-1-75
8.	श्री डी० पी० राय चौधुरी	6-1-75
9.	श्री एन० के० सिन्हा	7-1-75

दिनांक 2 मई 1975

सं० ए० 31014/1/73-ई० ए०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री सी० विजय कुमार को 20 मई, 1972 से नागर विमानन विभाग के विमान मार्ग और विमानक्षेत्र संगठन में स्थायी रूप में सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है।

दिनांक 8 मई 1975

सं० ए०- 35017/1/ 72/ई० ए० — भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकरण में परिचालन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने पर श्री के० एस० जयराम ने 28 अप्रैल, 1972 अपराह्न से विद्युत और यांत्रिक अधिकारी नई दिल्ली के कार्यालय के सहायक विद्युत और यांत्रिक अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

2. एतद्द्वारा इस विभाग की 19 जून, 1972 की अधिसूचना संख्या ए 35017/1/72 ई० ए० रद्द की जाती हैं।

सुरजीत लाल खण्डपुर
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1975

सं० ए० 31013/1/74-ई (एच)—राष्ट्रपति ने श्री एम० डी० नाइक, स्थानापन्न उपमहानिदेशक को 15 अगस्त, 1973 से नागर विमानन विभाग में निदेशक वैमानिक निरीक्षण के ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त किया है।

दिनांक 17 अप्रैल 1975

सं० ए० 32013/4/75-ई० (एच)—राष्ट्रपति ने श्री बी० चेल्लप्पा, उप निदेशक (परीक्षा) को 11 अप्रैल, 1975 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में तदर्थ आधार पर निदेशक विमान सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक 1 मई 1975

सं० ए 19014/ 118/ 72-ई० एच० (i) —निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एम० डी० नाइक ने 30 अप्रैल, 1975 अपराह्न से नागर विमानन विभाग के उप-महानिदेशक पद का कार्यभार त्याग दिया है और वे सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

सं० ए० 19014/118/72-ई० एच० (ii)—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री के० बी० जे० शेट्टी ने 30 अप्रैल, 1975 से नागर विमानन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्र पद का कार्यभार त्याग दिया है और वे सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

दिनांक 13 मई, 1975

सं० ए 32013/9/74-ई० एच० (I)—राष्ट्रपति ने श्री जी० आर० कठपालिया को, जिन्हें 12-2-75 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, 3-5-1975 पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग में नियमित आधार पर उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है ।

सं० ए 32013/9/74-ई० एच० (II)—राष्ट्रपति ने श्री सी० आर० तिरुमलै, निदेशक संचार को 3-5-1975 पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग में नियमित आधार पर उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 15 मई, 1975

सं० ए 31013/3/74-ई० एच०—राष्ट्रपति ने श्री सी० आर० तिरुमलै, स्थानापन्न उप महानिदेशक को 3 अप्रैल, 1974 से नागर विमानन विभाग में निदेशक वैमानिक निरीक्षण के ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त किया है ।

टी० एस० श्रीनिवासन,
सहायक निदेशक प्रशासन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली- 3 दिनांक 23 अप्रैल, 1975

सं० ई (1) 04214—वेधशालाओं के महानिदेशक एतद्द्वारा निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, नागपुर के कार्यालय के व्यावसायिक सहायक श्री एम० सी० चाको को, जो कि इस विभाग की अधिसूचना सं० ई (1) 04214 दिनांक 22-10-74 द्वारा 23 दिसम्बर, 1974 तक स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त किये गये थे, 24 दिसम्बर, 1974 से और आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं ।

स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, श्री एम० सी० चाको, निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, नागपुर के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे ।

दिनाक 17 मई, 1975

सं० ई (1) 04224— वेधशालाओं के महानिदेशक एतद्द्वारा निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, बम्बई के अधीन मौसम केन्द्र, अहमदाबाद के व्यावसायिक सहायक श्री एस० एन० सेन को 17-4-1975 के पूर्वाह्न से नवासी दिन की अवधि के लिये स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं ।

स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, श्री एस० एन० सेन निदेशक प्रादेशिक मौसम केन्द्र, बम्बई के अधीन मौसम केन्द्र, अहमदाबाद में ही तैनात रहेंगे ।

नूतन दास,
मौसम विशेषज्ञ,
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय,

इलाहबाद, दिनांक 8 मई, 1975

सं० 46/1975—श्री हितेन्द्र नाथ विश्वास, स्थानापन्न सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ने, जो इससे पहले समेकित मण्डल कार्यालय, इलाहाबाद के सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप मे तैनात थे, इस कार्यालय के पृष्ठांकन सं० II (3) 160-स्था० / 68/ भाग -II / 14227-44, दिनांक 30-4-75 के अन्तर्गत जारी किए गए स्थापना आदेश सं० 112/1975 दिनांक 30-4-1975 के अनुसरण में दिनांक 30-4-1975 को दोपहरबाद सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इलाहाबाद के कार्यालय का कार्यभार कुमारी डाली सक्सेना सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, मुख्यालय, इलाहाबाद को सौंप दिया और वे उक्त दिनांक और समय से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

एच० बी० दास,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इलाहाबाद

बड़ोदा, दिनांक 16 अप्रैल 1975

सं० 10-1975.—श्री एम० जे० देसाई, कार्यालय अधीक्षक ने, जिनको इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 70-75 दिनांक 20-3-1975 के अधीन स्थानापन्न रूप से प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वर्ग-II नियुक्त किया गया है, दिनांक 3-4-1975 की पूर्वाह्न से, मण्डल कार्यालय नडियाद में प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वर्ग-II का कार्यभार संभाल लिया है ।

न० बे० सजाना,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय,
बड़ौदा।

पटना, दिनांक 16 अप्रैल 1975

मि० सं० II (7) 1-स्था० /70— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) नई दिल्ली, के पत्र मि० सं० ए० 22012/5/75 ए० डी० -II दिनांक 20-2-75 द्वारा निर्गत आदेश सं० 22/75 दिनांक 20-2-75 के अनुसरण में श्री एस० एन० पाल, जो अभी अभी कुछ दिन पूर्व अधीक्षक, द्वितीय श्रेणी, केन्द्रीय उत्पाद, दालमियानगर के रूप में पदस्थापित थे, प्रोन्नत होकर दिनांक 21-3-75 के पूर्वाह्न में सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद, मुख्यालय, पटना के रूप में कार्यभार ग्रहण किये ।

दिनांक 25 अप्रैल 1975

मि० सं० - II (7) 1-स्था० 70/ 3445—राजस्व और बीमा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई

दिल्ली के आदेश सं० 34/75 दिनांक 10-3-75 संदर्भ मिसिल सं० ए० 220/12/5/75 प्रशा०-II दिनांक 10-3-75 के अनुसरण में श्री सी० डी० शाह ने, जो अभी तक मुजफ्फरपुर में सीमा शुल्क विभाग नगर निवारण अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के रूप में पदास्थापित थे, पदोन्नति होने पर दिनांक 17-3-75 के पूर्वाह्न में अधीक्षक प्रथम श्रेणी सीमा शुल्क विभाग, नगर निवारण, मुजफ्फरपुर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है ।

हरिनारायण साहु,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना

निरीक्षण निदेशालय
सीमा व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1975

सं० 5/1975—श्री के० डी० मठ, निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली के स्थाई कार्यालय अधीक्षक ने, श्री एस० एन० वर्मा के स्थान पर, जो कि तम्बाकू केन्द्रीय शुल्क टरिफ विशेषज्ञ समिति में प्रतिनियुक्त हैं, स्थानापन्न सहायक मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त होने पर, 2-4-75 दोपहरपूर्व से कार्य-भार संभाल लिया है ।

श्री जी० एस० डारोच सीमा शुल्क निर्धारक ने, जो कि वित्त मंत्रालय (राजस्व व बीमा विभाग) में प्रतिनियुक्त थे, 1-4-75 (दोपहर पूर्व) से निरीक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली में, निरीक्षण अधिकारी, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी II का कार्यभार संभाल लिया है ।

दिनांक 9 मई 1975

सं० 6/1975—बम्बई सीमा शुल्क गृह के निवारक निरीक्षक, श्री जे० एम० शर्मा ने जो राजस्व आसूचना निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर थे, श्री के० ए० मुजावर निरीक्षण अधिकारी श्रेणी-II के तबादला हो जाने से खाली हुए स्थान पर 1-5-75 के पूर्वाह्न, से निरीक्षण निदेशालय, सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नयी दिल्ली में निरीक्षण अधिकारी, श्रेणी-II, सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यभार लिया है ।

बी० एस० चावला,
निरीक्षक निदेशक,
सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

बम्बई-400038, दिनांक जनवरी 1975

सीमाशुल्क

सं० 3/5-2-75—बम्बई सीमा शुल्क भवन बम्बई के निवारक निरीक्षक श्री पी० एन० दिवेक निवर्तन वय प्राप्त होने के कारण दिनांक 31-12-1974 के (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

बी० बी० गुजराल,
सीमा शुल्क समाहर्ता

नारकोटिक्स विभाग

क्रम सं० 11—नियुक्ति पर, स्थानापन्न उप अधीक्षक (कार्यपालक) श्री डी० बी० शर्मा ने 2 अप्रैल, 1975 दोपहरपूर्व को रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द०-रो०-40-1200 के वेतनमान में अधीक्षक (कार्यपालक) के रूप में कार्यभार संभाल लिया और उन्हें श्री बीरदेव राम के स्थान पर गाजीपुर में तैनात किया गया। श्री बीरदेव राम का स्थानान्तरण हो गया है ।

क्रम सं० 12—गाजीपुर से स्थानान्तरण पर, श्री बीरदेव राम अधीक्षक (कार्यपालक) ने 8 अप्रैल, 1975 के दोपहर-पूर्व को श्री मुनीश्वर राम को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, जिला अफीम अधिकारी मन्दसौर III प्रभाग का कार्यभार संभाल लिया ।

अभिलाष शंकर,
नारकोटिक्स आयुक्त,

बीमा नियंत्रक का कार्यालय

शिमला 4, दिनांक 19 मई 1975

सं० आई० एन० एस० 2/ (6) /प्रशा०/74—श्री जी० एस० सेठी, इस कार्यालय के तदर्थ स्थानापन्न सहायक बीमा नियंत्रक, ने अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने पर अपराह्न दिनांक 30-4-1975 से सरकारी सेवा से निवृत्ति प्राप्त कर ली है ।

जी० एन० दामले,
बीमा नियंत्रक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 18 अप्रैल 1975

सं० क- 12017/1/72-प्रशा० 5 (खण्ड दो)—इस आयोग की अधिसूचना सं० क- 12017/1/72-प्रशा० 5, दिनांक 6-12-74 के क्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान सहायकों को सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर केन्द्रीय जल आयोग में रु० 650-30-740-35-810-द० रो० -35-880-40-1000 -द० रो० -40-1200 के वेतनमान में पूर्णत: अस्थाई एवं तदर्थ रूप में उनके सामने दी गई अवधि के लिए पुन नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एम० भौमिक	1-1-75 से 31-3-75
2. श्री एम० पी० नम्बूदरी	1-1-75 से 31-3-75
3. श्री एस० ए० बाशा	1-1-75 से 31-3-75

दिनांक 21 अप्रैल 1975

सं० क- 19012/75/70-प्रशा० 5.— अपनी निवर्तन वय पर पहुंच जाने के परिणामस्वरूप श्री पी० डी० जोशी ने 28 फरवरी, 1975 के अपराह्न से केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरी) के पद का कार्यभार त्याग दिया है तथा वे उसी तारीख और समय से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

दिनांक 22 अप्रैल 1975

सं० के- 12017/1/72-प्रशा० 5 (भाग दो) .— इस आयोग की अधिसूचना सं० क- 12017/1/72-प्रशा० 5, दिनांक 6-12-74 के क्रम में अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान सहायकों को सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक भौतिक ग्रुप) के पद पर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पूना में रु० 650-30-740-810 - द० रो० - 35-880-40-1000-द० रो० -40- 1200 के वेतनमान में पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में उनके सामने दी गई अवधि के लिए पुनः नियुक्त करते हैं :-

1. श्री डी० डी० सोनी 1-1-1975 से 31-3-1975
2. श्री रणजीत दत्त 1-1-1975 से 31-3-1975

दिनांक 23 अप्रैल 1975

शुद्धिपत्र

सं० क- 31012/2/73-प्रशा० 5 (खण्ड तीन).— समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 अप्रेल, 1975 में क्रम सं० 27 पर दिया गया श्री जी० डी० कोचे का नाम "श्री सी० डी० खोचे" पढ़ा जाए।

जंगशेर सिंह,
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली- 22, दिनांक 12 मई 1975

सं० क- 19012/242/71-प्रशा० 5 .— अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री एच० एम० अग्रवाल द्वारा 16-4-73 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद से दिया गया त्याग पत्र स्वीकार करते हैं।

के० पी० बी० मेनन
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 21 अप्रैल 1975

श्री आर० लक्ष्मैया को दिनांक 9 अप्रैल 1975 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में तदर्थ व अस्थाई सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित अनुसचिवीय) वेतनमान अन्तर्गत 650-30-740-35-810-ई० बी० -35-880-40-1000-ई० बी० - 40- 12000 रुपये नियुक्त किया जाता है।

देवता पाण्डेय,
अधीक्षक अभियन्ता

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण

नई दिल्ली-110049, दिनांक 14 अप्रल 1975

सं० 1 (6) / 73/-कृ० गो० ज० वि० न्या० 1.— अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33वां) की धारा 4 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण श्री के० आर० मेहन्दीरत्ता को पूर्णकालिक असेस्सर के रूप में 14 अप्रैल, 1975 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक के लिए नियुक्त करते हैं।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
आर० पी० मरवाहा
सचिव

प्रमुख इंजीनियर कार्यालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1975

सं० :- 27-सी/जे (1) /69-ई० सी० - 1.— केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी मुख्य इंजीनियर, (अब इराक में प्रतिनियुक्त), श्री जान मुकन्द, वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर, 31 मार्च, 1975 (अपराह्न) से सेवा निवृत हुए।

पी० एस० पारवानी,
प्रशासन उप-निदेशक
कृते प्रमुख इंजीनियर

नौवहन और परिवहन मंत्रालय,

तूतीकोरिन-4 दिनांक 15 मार्च 1975

सं० 22013/1-75/प्रशा०/1249 .—नवतूतीकोरिन पत्तन के मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक नवतूतीकोरिन पत्तन में स्थायी एम० ए० एस० तोरदायाल श्री एस० ई० अब्राहम को प्रोन्नति पर 28-2-1975 से अगला आदेश होने तक के लिए 650-30-740-35-810 द० रो० - 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 रु० के वेतनमान में तदर्थ, आधार पर लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 19 मार्च 1975

शुद्धिपत्र

सं० 22013/1-75/प्रशा० /1328 —इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 22013/1/75/प्रशा० 1249 दिनांक 15-3-1975 में अधिसूचित लेखा अधिकारी के पद का वेतनमान 650-30-740-35-810-द० रो० 35- 880-1000-द० रो० - 40- 1200 के स्थान पर "840-40-1000 द० रो० - 40- 1200 रु० " पढ़ा जाये ।

दिनांक 20 मार्च 1975

सं० ए-22013/1-75/प्रशा० / 1339 — नवतूतीकोरिन पत्तन के मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक नवतूतीकोरिन पत्तन मैकनिष्ठ इन्जीनियर (यान्त्रिक) श्री बी० एस० रामन की प्रोन्नति पर इस पत्तन में 4-3-75 से अगला आदेश होने तक के लिए 650-30-740-35-810- द० रो० - 35- 880-40- 1000 - द० रो० - 40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थायी तौर पर सहायक इंजीनियर (यान्त्रिक) नियुक्त करते हैं ।

डी० आई० पाल,
मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक

संचार मंत्रालय

डाक-तार बोर्ड

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 30 अप्रैल 1975

सं० 234/2/75 -एस० टी० ए० - II .— डाक-तार बोर्ड ने इस समय दूरसचार अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी ग्रेड II के बतौर कार्य कर रहे दिल्ली टेलिफोन जिले के इंजीनियर पर्यवेक्षक श्री श्याम सुन्दर को तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी II में नितान्त स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 7- 4-75 से 13- 6 75 तक श्री डी० बी० सक्सैना, सहायक निदेशक (सी एक्स-1) को छुट्टी प्रदान किए जाने पर उनके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए तदर्थ नियुक्त किया है ।

शिव चन्द्र सचदेव
सहायक महानिदेशक (एस० जी० टी०)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम , 1956 और दिल्ली गेट सरविसज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

दिल्ली, दिनांक 22 अप्रल 75

सं० 2135.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर दिल्ली गेट सरविसज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और सुवीना प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

दिनांक 9 मई, 1975

सं० 2643.—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सुवीना प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और इंडिया वायर लेस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

दिनांक 16 मई 1975

सं० 2707 .— कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इंडिया वायर लेस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

रा० कु० जैन,
सहायक रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
दिल्ली व हरियाणा

दिनांक 13 मई, 1975

सं० 1256/3472 .— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जोधपुर आइल्स, सीड्स , ग्रेन एण्ड सिलवर एक्चेन्ज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

दिनांक 14 मई, 1975

सं० 215/3483 — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जयपुर इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

ह० अपठनीय
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अम्बीका सा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

अहमदाबाद, दिनांक : 26 अप्रैल, 1975

सं० 560/ 584.— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अम्बीका सा मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का

नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

जे० गो० गाथा,
प्रमडल पजीयक, गुजरात राज्य,
अहमदाबाद

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वी० सी० टी० फण्ड्स विड्ची प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे ।

सं० 5520/560(3) / 75.— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर वी० सी० टी० फण्डस विड्ची प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित करदी जाएगी ।

एस० श्रीनिवासन,
कम्पनियो का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मनिलाल मोहनलाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

बम्बई, दिनांक 19 मार्च 1975

सं० 14443/560/(5).— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मनिलाल मोहनलाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड का नाम आंज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

एस० नारायनन्
कम्पनियो का अतिरिक्त रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

एरणाकुलम, दिनांक 28 अप्रैल 1975

कम्पनी अधिनियम 1956 और सानजोरा केमिक्लस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सानजोरा केमिक्लस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 445 (2) के अधीन सूचना ।

कोचीन, दिनांक 5 मई 1975

सं० 1844/ लिक.— कम्पनी अधिनियम 1965 के मामले मे और एसोसिएटड रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का मामले में सिविल अर्जी सं० सि० पी० 11/1974 में केरल में स्थान उच्चन्यायालय के तारीख 8-4-75 के आदेश द्वारा एसोसिऐटिड रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 445 (2) के अधीन सूचना ।

सं० 1740 / लिक.— कम्पनी अधिनियम 1956 के मामले में और एटुमानूर मोटोरस प्राइवेट लिमिटेड का मामले में सिविल अर्जि सं० 6/1975 में केरल में स्थान उच्चन्यायालय के तारीख 8-4-1975 के आदेश द्वारा एटुमानूर मोटोरस प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है।

पी० एस० अन्वर,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार,
केरल

कम्पनी कार्य विभाग

कार्यालय कम्पनी निबंधक,

कम्पनी अधिनियम 1956 और दरभंगा मोटर सर्विस प्राईवेट लि० के विषय में

पटना, दिनांक 23 अप्रैल 1975

सं० 3 (704) 74-75/380.— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर दरभगा मोटर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

सत्य प्रकाश तायल,
कम्पनी निबंधक, बिहार पटना ।

दिनांक 22 अप्रैल, 1975

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वेजी प्रश० प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे ।

स० 296/560.— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के

अवसान पर वेजी-प्रश० प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

दिनांक 22 अप्रैल, 1975

सं० 187/560.— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छुवरी लोण अभिस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस० पी० वशिष्ठ
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कार्यालय, आयकर आयुक्त, कानपुर-III

उन निरधारितियों के नामों का प्रकाशन जिनके मामले में वर्ष 1974-75 के दौरान एक लाख से ऊपर की राशि अपलिखित की गई है।

क्रमांक	निर्धारित का नाम और पता	प्रास्थिति	निर्धारण वर्ष	अपलिखित राशि	अपलेखन के संक्षिप्त कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एम० एम० बरमा राजपुर रोड, देहरादून	व्यष्टि	1946-47 1947-48 1949-50	25,928 12,109 68,142 ———— 1,06,179 ————	करदाता जीवित है, वह एक निःशक्त व्यक्ति है उसके नाम से किसी प्रकार की सम्पत्ति के बारे में सूचना नहीं है। वह मार्च सन् 1951 में दिवालिया भी घोषित हो गया था। सरकारी प्राप्तकर्ता (Official Receiver) ने भी पत्र दिनांक 26/9/1957 के द्वारा सूचित किया था कि उसके पास कोई निधि श्री एम० एम० बरम की सम्पदा के नाम नहीं है। 1,06,179 की बकाया मोतालबात के प्रत्यादान की कोई सम्भावना नहीं है और इसी कारण मोतालबात अपलिखित किए गए।

टिप्पणी :– किसी व्यक्ति द्वारा देयकर को अपलिखित कर दिया गया है, इस कथन का अर्थ केवल यह है कि आयकर विभाग कि दृष्टि में यह राशि प्रकाशन की तारीख तक निर्धारिती की ज्ञापत परिसिंपतियो से वसूल नही हो सकी इसके प्रकाशन का यह अर्थ कदापि नहीं कि यह राशि कानून के अनुसार प्रत्यादान के अयोग्य है अथवा निरधारिती है, सम्बन्धि राशि को अदा करने में अपने दायित्व से मुक्त हो गया।

वी० पी० शर्मा
आयकर आयुक्त
कानपुर-III, कानपुर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी,
चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1975

निर्देश सं० लुधियाना/सी०/428/74-75—यत:, मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार, मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 3-ए०, जो कि ओसवाल मार्ग जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है पर स्थित है तथा जो लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैं० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्राईवेट लिमिटेड, लुधियाना द्वारा प्यारे लाल डायरेक्टर। (अन्तरक)

1. (i) श्री अविनाश कुमार पुत्र श्री सत प्रकाश

(ii) श्रीमती किरन मित्तल पत्नी अविनाश कुमार मकान नं० बी-9, 1061, शिवाला संगला वाला रोड़, लुधियाना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3-ए०, क्षेत्रफल 480 वर्ग गज, जो कि पहले मैसर्ज कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज प्रा० लि० का था और जोकि ओसवाल मार्ग लुधियाना जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है, पर स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 5969, अक्तूबर, 1974 में सब-रजिस्ट्रार, लुधियाना के दफ्तर में लिखा है।)

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक 5 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1975

निर्देश सं० लुधियाना/सी०/531/74-75—अतः, मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
जिसकी सं० प्लाट नं० 3-जी०, जो कि ओसवाल मार्ग जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है पर स्थित है तथा जो लुधियाना मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16,) अधीन दिनांक अक्तूबर 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मै० कामन वैल्थ सपिनिग और निटिग मिल्स, प्रा० लि०, इडस्ट्रीयल एरिया 'ए,' लुधियाना द्वारा श्री प्यारे लाल डायरैक्टर। (अन्तरक)

2. श्री अमर सिह पुत्र श्री लाभ राम, निवासी गांव अजला, तहसील फलौर जिला जालंधर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3-बी, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, जोकि पहले मै० कामन वैल्थ सपिनिग मिल्ज, प्रा० लि० का था और जो कि ओसवाल मार्ग लुधियाना जिले से गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है पर स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख न० 6020, अक्तूबर, 1974 में सब-रजिस्ट्रार, लुधियाना के दफ्तर मे लिखा है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक: 5 मार्च 1975।
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी०

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1975

निर्देश सं० लुधियाना/सी०/532/74-75——अतः, मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त, अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2-बी० जो कि ओसवाल मार्ग जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है, पर स्थित है तथा जो लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:-

1. मैं० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज़ प्रा० लि०, इन्डस्ट्रीयल एरिया 'ए०', लुधियाना द्वारा श्री प्यारे लाल डायरैक्टर। (अन्तरक)

2. (i) श्री नरिन्द्र कुमार पुत्रान श्री
(ii) श्री सुरिन्द्र कुमार खरैती राम
(iii) श्रीमती चांद रानी पत्नी सुरिन्द्र कुमार
(iv) श्रीमती पुष्पा वती पत्नी नरिन्द्र कुमार निवासी 87-ए० आतम नगर लुधियाना (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2-बी०, क्षेत्रफल 400 वर्ग गज, जोकि पहले मैं० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्रा० लि० का था और जोकि ओसवाल मार्ग लुधियाना जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है, पर स्थित है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना।

दिनांक : 5 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी०,

चण्डीगढ़ दिनांक 5 मार्च 1975

निर्देश सं० लुधियाना/सी०/533/74-75—अतः, मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 2-ए०, जो कि ओसवाल मार्ग जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है पर स्थित है तथा जो लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्रा० लि० लुधियाना द्वारा श्री प्यारे लाल डायरैक्टर। (अन्तरक)

2. (i) श्री सत पाल पुत्रान श्री
(ii) श्री इन्द्र मोहन खरैती राम,
(iii) श्रीमती राज रानी पत्नी सतपाल
(iv) श्रीमती उषा रानी पत्नी इन्द्र मोहन
निवासी 87-एफ०, आतम नगर लुधियाना (अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2-ए०, क्षेत्रफल 400 वर्ग गज, जो कि पहले मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्रा० लि० का था और जो कि ओसवाल मार्ग लुधियाना जिसे गुप्ता भी कहा जाता है, पर स्थित है।

(जैसेकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6189, अक्तूबर 1974 में सब-रजिस्ट्रार लुधियाना के दफ्तर में लिखा है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक : 5 मार्च 1975।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,
156, सैक्टर 9-बी०,
चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1975

निदेश सं० लुधियाना/सी०/534/74-75—अतः, मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 8-ए०/2, जोकि ओसवाल मार्ग जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है, पर स्थित है तथा जो लुधियाना में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

1. मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग' मिल्ज, प्रा० लि०, इण्डस्ट्रीयल एरिया 'ए०' लुधियाना द्वारा श्री प्यारे लाल डायरैक्टर। (अन्तरक)

2. सर्वश्री (i) रमेश कुमार पुत्रान श्री
(ii) राजिन्द्र कुमार जगदीश राय
निवासी विश्वा मित्तर गली, सिविल लाइन्ज, लुधियाना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 8-ए०/2, क्षेत्रफल 337 वर्ग गज, जो कि पहले मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्रा० लि० का था और जो कि ओसवाल मार्ग लुधियाना जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है, पर स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 6222 अक्तूबर 1974 में सब-रजिस्ट्रार लुधियाना के दफ्तर में लिखा है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक : 5 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1975

निर्देश सं० लुधियाना/सी०/530/74-75—यतः, मुझे जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और और जिसकी सं० प्लाट नं० 3-ए०, जो कि ओसवाल मार्ग जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है तथा जो लुधियाना में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज प्रा० लि०, इंडस्ट्रीयल एरिया 'ए' लुधियाना द्वारा श्री प्यारे लाल डायरैक्टर। (अन्तरक)

2. श्री मोहिन्द्र सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अजला, तहसील, फलौर जिला जालंधर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3-ए०, क्षेत्रफल 400 वर्ग गज जो कि पहले मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्रा० लि० का था और जो कि ओसवाल मार्ग लुधियाना जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है पर स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 6018, अक्तूबर 1974 में सब-रजिस्ट्रार लुधियाना के दफ्तर में लिखा है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक: 5 मार्च 1975।
मोहर:

प्ररूप० आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1975

निर्देश सं० लुधियाना/सी०/506/74-75-यत:, मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 3-बी०, जो कि ओसवाल मार्ग जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है जो लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :–

1. मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्रा० लि० इण्डस्ट्रीयल एरिया 'ए' लुधियाना द्वारा श्री संतोष कुमार गुप्ता, डायरैक्टर । (अन्तरक)

2. श्री चरंजी लाल पुत्र श्री रला राम, निवासी मकान नं० 1134/23, आजाद नगर, लुधियाना । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3-बी०, क्षेत्रफल 545 वर्ग गज, जो कि पहले मै० कामन वैल्थ सपिनिंग और निटिंग मिल्ज, प्रा० लि०, का था और जोकि ओसवाल मार्ग लुधियाना जिसे गुप्ता मार्ग भी कहा जाता है पर स्थित है।

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 7710, दिसम्बर 1974 में सब-रजिस्ट्रार लुधियाना के दफ्तर में लिखा है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक : 5 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज चण्डीगढ़

156 सैक्टर 9-बी०

चण्डीगढ़, दिनांक 5 मार्च 1975

निर्देश सं० संगरूर/10/74-75—यतः, मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 107 कनाल 9 मरले है तथा जो गांव बडरुखा तहसील और जिला संगरूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, संगरूर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, द्वारा, मुखत्यार-ए-आम, श्री सीतल प्रसाद पुत्र श्री नंद किशोर, 305, कूचा राजा मोहन लाल, बाजार सीता राम, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० सवराज सपिनिंग मिल्ज, लि०, रजिस्टर्ड आफिस पटियाला द्वारा श्री बालकृष्ण सिंगला, मैनेजिंग डायरैक्टर।

(अन्तरिती)

4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम जी दास, गांव माजेवास। (वह व्यक्ति, जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 107 कनाल 9 मरले, जोकि गांव बडरुखा तहसील और जिला संगरूर

खेवट खतौनी नं० 2/2,

खसरा नं० 98/126

(जसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1890, दिसम्बर 1974 में सब-रजिस्ट्रार संगरूर के दफ्तर में लिखा है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक : 5 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी,

चण्डीगढ़, दिनांक 7 मार्च 1975

निर्देश सं० C.H.D./202/74-75—अतः मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० शाप-कम-फ्लैट नं० 32 सैक्टर 23-सी० है, तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक अक्तूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (i) श्री कुलदीप कृष्ण गोस्वामी
   (ii) श्री प्रदीप कृष्ण गोस्वामी
   } पुत्रान श्री राम लाल गोस्वामी
   मकान नं० 1117, सैक्टर 23-बी, चण्डीगढ़

(अन्तरक)

2. (i) श्री गुरदियाल सिंह
   (ii) श्री कृपाल सिंह
   (iii) श्री नोनिहाल सिंह
   } पुत्रान श्री सूबा सिंह
   गांव अलगोन कोठी, जिला अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. (i) मै० प्रताप चंद कंवर सैन, प्रोप्राइटर बुल स्टोर,
   (ii) मै० शाम करियाणा स्टोर, एस० सी० एफ० नं० 32, सैक्टर 23-सी०, चण्डीगढ़ (वह व्यक्ति जिसके अभिभाग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप-कम-फ्लैट नं० 32, सैक्टर 23-सी०, चण्डीगढ़।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक : 7 मार्च, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी,

चण्डीगढ़, दिनांक 7 मार्च, 1975

निर्देश सं० के एच०आर०/10/74-75—अत: मुझे, जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000-/ से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गांव तोगा, तहसील खरड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खरड़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (i) श्री राम सिंह,
(ii) श्री चमन लाल, } पुत्रान श्री बाबू
(iii) श्री कली राम,
(iv) श्री मूला, पुत्र मेहगा, गांव तोगां, तहसील खरड़।
(अन्तरक)

2. श्री राम किशन पुत्र चौधरी परमा नन्द, निवासी कोठी नं० 1141, सैक्टर 21-बी, चण्डीगढ़
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 78 कनाल 14 मरले, जोकि गांव तोगां तहसील खरड़, खेवट और खाता नं० 49/92,

खसरा नं० $\frac{21}{11/8\text{-}0,\ 12/8\text{-}0,\ 13/1/6\text{-}13,\ 18/1/1\text{-}12}$ $\frac{21}{18/2/6\text{-}8,\ 18/8\text{-}0,\ 20/8\text{-}20}$ $\frac{22}{13/0\text{-}18,\ 14/1/3\text{-}5,\ 14/2/3\text{-}14,\ 15/8\text{-}0,}$ $\frac{22}{16/8\text{-}0,\ 17/1/6\text{-}15,\ 17/2/0\text{-}18\ \ 18/0\text{-}11}$

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3347, दिसम्बर, 1974 में सब-रजिस्ट्रार खरड़ के दफ्तर में लिखा है।

जी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

दिनांक : 7 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 209/ए० सी० क्यु० 23-309/6-1/74-75——यतः, मुझ, पी० एन० मित्तल, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, अहमदाबाद आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० ए० टीका नं० 7/1, सर्वे नं० 18, सैन्सस नं० रा०/6/124 जमीन व मकान है जो काछीया पोल, राव पुरा, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती गंगाबेन भीखाभाई पटेल, मणीपुर, (जि० पंच महल)। (अन्तरक)

2. श्री हीरा लाल हरीलाल ठक्कर, भोकाले लैण्ड, रावपुरा, बड़ौदा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन व मकान सहित अचल सम्पत्ति टीका नं० 7/1, सर्वे नं० 18 सैन्सस नं० आर० Ra/6/124 कुल माप 109 वर्ग गज, जो काछीया पोल रावपुरा, बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के 26-9-1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख ने 4210, 4211 और 4213 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

दिनांक : 4 अप्रैल, 1975।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 210/ए० सी० क्यू० 23-381/6-1/74-75—यतः, मुझे, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० टीका नं० डी० 1/10, सर्वे नं० 42/1 पैकी खुली जमीन कुल माप 1050 वर्ग फुट है तथा जो मेन रोड फतेह गंज, कैम्प, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1968 का 16) के अधीन दिनांक 3-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री वैंकटराव कृष्णाराव उपलप
विठलराव कृष्णाराव उपलप
सायाजीराव कृष्णाराव उपलप
मधुकर कृष्णाराव उपलप

फतेह गंज, कैम्प, बड़ौदा, अपने कुल मुखतार नाजिर अब्दुल मजीद पटेल द्वारा। (अन्तरक)

2. श्री अब्दुल मजीद गुलाम मुहम्मद पटेल फतेह गंज, कैम्प बड़ौदा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन टीका नं० डी० 1/10 सर्वे नं० 42/1, पैकी 1050, वर्ग फुट, फतेह गंज कैम्प के सामने, बड़ौदा स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के 3-9-1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3631 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक: 7 अप्रैल 1975
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 अप्रैल 1975

निर्देश सं० आर० ए० सी० 4/75/76—यतः, मुझे, के० एन० वेंकटरामन आयकर अधिनियम,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 3-4-16 लिगम्पल्ली है जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-9-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती विमला बाई औरंगाबादकर पत्नी विश्वनाथ राव जामकर, औरंगाबाद जिला। (अन्तरक)

2. श्री चन्द्र सेट्टी पारटनर टूरिस्ट होटल काचीगुडा; हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति : प्लाट नं० 6 पर घर नं० 3-4-16 कम्पाउन्ड वाल के साथ, भूमन्ना मार्ग, लिगम्पल्ली, हैदराबाद।

के० एन० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद।

दिनांक : 4 अप्रैल, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 36/बी०/अर्जन—अतः, मुझे, विशम्भर नाथ, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 177 है तथा जो चितरा त० हसनपुर मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हसनपुर, मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती सावित्री (अन्तरक)

2. श्री भोला सिंह व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता भूमि धारी जमीन नं० 177 जिसका क्षेत्रफल 30-86 एकड़ का 1/2 भाग जोकि ग्राम चितरा, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में स्थित है।

विशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 5 अप्रैल 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 अप्रैल 1975

सं० आर० ए० सी० 3/75-76—यत: मुझे के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 3-4-809/1 का भाग बरकतपुरा है, जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-9-74 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरीहर देश पाण्डे, 3-4-809/1, बरकतपुरा, हैदराबाद। (अन्तरक)
2. (1) श्रीमती जी० पदमम्मा पत्नी रामचन्द्रा रेड्डी,
   (2) श्यामला देवी पत्नी किशन रेड्डी, मायापुर मौजा, निम्मापुर, पोस्ट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति : 3-4-809/1 का भाग, बरकतपुरा, हैदराबाद।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद।

तारीख: 4-4-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1975

निदेश सं० 2274/74-75—यत: मुझे ए० रागवेन्द्र राव, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी डोर सं० 16, टाटाबाड है, तथा जो ग्यारहवां स्ट्रीट, कोयम्बटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गान्तिपुरम् में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती मुन्नाताल आच्चि (अन्तरक)

2. श्री एम० कुलन्तैसामि,
पी० एस० शन्मुकम और
पी० एस० चन्द्रबोस

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बटूर, टाटाबाड ग्यारहवां स्ट्रीट, डोर सं० 16 में 19½ सेन्ट का भूमि (मकान के साथ)।

ए० रागवेन्द्र राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 4-4-1975।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 3 अप्रैल 1975

निदेश सं० 12-डी/अर्जन—अतः मुझे बिशम्भर नाथ, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है
और जिसकी संख्या मकान नं० 555 है, तथा जो नया हैदराबाद लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-9-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्रीमती लतीफ सुल्तान बेगम (अन्तरक)

2. श्री कैप्टन धीरेन्द्र कोहली व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नं० 555 जिसका क्षेत्रफल 7285 वर्गफीट है, जोकि नया हैदराबाद लखनऊ में स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 3-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 3 अप्रैल 1975

निदेश सं० 19-जी/अर्जन—अतः मुझे विश्शम्भर नाथ, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो मुक्तेश्वर महादेव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नजीबाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-9-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मदन लाल (अन्तरक)
2. श्री गोबिन्द राम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान जिसका क्षेत्रफल 4099 वर्ग फीट है। जोकि मोहल्ला मुकतेश्वर महादेव, नजीबाबाद जिला बिजनौर में स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 3-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 3 अप्रैल 1975

निदेश सं० 13 एल/अर्जन—अतः मुझे, बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट ब्लाक 'ए' और 'बी' है तथा जो दौलतगंज लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28-9-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री विक्टर वारायन विन्याल, (अन्तरक)

2. श्री लखन लाल गुप्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता प्लाट ब्लाक 'ए' और 'बी' जोकि दौलतगंज लखनऊ में स्थित है।

बिशम्भर नाथ
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 3-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-5, बम्बई

दिनांक 4 अप्रैल, 1975

निर्देश स० ई०-5/170/4/74-75—अतः मुझे जे० एम० मेहरा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-5, बम्बई आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-/ रु० से अधिक है और जिसकी सं० 249 है, जो घाटकोपर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय' बांद्रा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-9-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त 'अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. टेक्सटाईल प्रोसेसर्स, प्रा० लि०

(अन्तरक)

2. श्री सुधा देवी सीताराम गारोडिया,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें 'युक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का वह तमाम टुकड़ा जो घाटकोपर में स्थित है, माप में 301917 वर्ग गज है और, इस' के मानाम से ज्ञात है जो सर्वेक्षण नं० 249 की जमीन का भाग है, और अधिकारों के अभिलेख में इन्दराज नं० 822 प्लाट हिस्सा न० 1 है और साल्ट डिपार्टमेंट लायसन के अनुसार माप में 138 एकड़ और 27 गुंटा, घाटकोपर बृहत्तर बम्बई रजिस्ट्रेशन उप-जिला बान्द्रा, जिला बम्बई उप नगर में स्थित है' करीबन 2350 मुंडीज (साल्ट पेंस) साथ में वहां पर बने कुआ चाल और शैड और वहां तक जाने वाला रास्ता शामिल है, और पूर्व में खजन लैंड द्वारा, पश्चिम में सर्वेक्षण न० 236 की जमीन द्वारा, उत्तर मे सर्वेक्षण नं० 236 की जमीन द्वारा, और दक्षिण खजन लैंड साथ में उस पर बने धर्मस्थान द्वारा घिरा हुआ है।

जे० एम० मेहरा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज,-5, बम्बई

तारीख : 4-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 की) धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 1 अप्रैल, 1975

निदेश स० 19-जे/अर्जन——अतः मुझे बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० ब्लाक नं० 11 है तथा इशरत गंडा बलिया स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बलिया में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सरल राम

(अन्तरक)

2. जुही गायका

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान ब्लाक नं० 11 जिसका क्षेत्रफल 35′ × 19′ वर्गफीट है। जोकि मोहल्ला इशरत गंज, जिला बलिया में स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 1-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 1 अप्रैल, 1975

निदेश स० राज०/स० आ० अर्जन/232—यतः, मुझे, वी० पी० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति है, तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4 सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम', 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुनीरखां पुत्र श्री दीन खां, नि० पुरानी मण्डी, सुरतगढ़, वर्तमान में नि० रतनगढ़।

(अन्तरक)

2. श्रीमती चिराग पत्नि श्री हाकम अली, नि० सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।

(अन्तरिती)

3. श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री रहमतखां, नि० जयपुर

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चौकड़ी हवाली, एम० आई० रोड, जयपुर में, मुमताज बाग के पश्चिम हिस्से में तथा कमल एण्ड कम्पनी के पीछे स्थित सम्पत्ति का 1/8 वां भाग।

वी० पी० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख: 1-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29-3-75

निदेश सं० ए०सी०क्यू० 23-1-357(159)/16-6/74-75-यतः, मुझे, जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० वार्ड न० 6, सर्कल न० 14 है, तथा जोराजकोट गोंडल रोड की पूर्वी तरफ राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

1. श्री जयन्त कुमार माधवजी,
गोपाल भुवन, 14, भक्तीनगर, सोसायटी, राजकोट।
(अन्तरक)

2. श्री प्रवीण चन्द्र गीरधरलाल गढीया,
15, सरदारनगर, राजकोट।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1129-30 वर्ग गज है और जिसका वार्ड न० 6, सर्कल न० 14 है और जो राजकोट गोंडल रोड की पूर्वी तरफ, राजकोट में स्थित है और जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :

पूर्व : दूसरों की सम्पत्ति
पश्चिम : दूसरों की सम्पत्ति
उत्तर : 25 फुट का पेसेज,
दक्षिण : स्वस्तीक एस्टेट अथवा अनाडकट स्टेट

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 29-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मार्च, 1975

निदेश सं० एसीक्यू० 23-1-355(160)/16-6-74-75—यतः, मुझे, जे० कथूरिया आयकर अधिनियम 1961 (1961 का का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० वार्ड नं० 6, सर्कल नं० 14, है, तथा जो मावडी वाला प्लाट, गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 क 16) के अधीन सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कीर्ति कुमार माधवजी, गोपाल भुवन, 14, भक्तीनगर, राजकोट। (अन्तरक)

2. श्रीमति तारागौरी प्रवीणचन्द्र गढीया, 15, सरदार नगर, राजकोट। (अन्तरिति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 898-8-36 वर्ग गज है और जिसका वार्ड नं० 6, सर्कल नं० 14 है, और जो मावडी वाला प्लाट, गोंडल रोड, राजकोट पर स्थित है और जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

पूर्व : दूसरों की सम्पत्ति
पश्चिम : राजकोट गोंडल रोड
उत्तर : 25 फुट का रास्ता
दक्षिण : स्वस्तिक एस्टेट, अथवा अनाडकट एस्टेट

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 29-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 मार्च, 1975

निदेश सं० 198/ए०सी०क्यु० 23-357/1951/74-75—अत: मुझे पी० एन० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० म्यु० वार्ड नं० 1, नोंध नं० 3219 पैकी, 3220 पैकी और 3221 पैकी है, जो रंजीतराम रोड, गोपीपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 3 सितम्बर, 1974 अधीन 27-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सर्वोदय शिक्षण मंडल की ओर से उसके : उप प्रमुख: पुरुषोत्तम दास, लालजी भाई चौहाण , सूरत
(अन्तरक)

2. मै० निकुंज एन्टरप्राईजेज, सूरत की ओर से उसको सहिचारी :
नलिनी बेन बाबूभाई पटेल, सूरत ।
(अन्तरिती)

3. (1) मै० चौहान कांस्ट्रक्शन्स कं० की ओर से भांजीभाई केपा भाई ।
(2) स्नेहल कार्पोरेशन,
प्रो० स्नेहलता जगदीश रावल, सूरत ।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नोंध नं० 3219 पैकी, 3220 पैकी, 3221 पैकी , जिसका कुल माप 120 वर्ग गज है और जो म्यु० वार्ड नं० 1, रंजीतराम रोड, गोपीपुरा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के के सितम्बर, 1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3283 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- II, अहमदाबाद

तारीख : 20-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 मार्च 1975

निदेश सं० 199/ए०सी०क्यू० 23-356/19-74-75—अतः, मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)। की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० म्यु० वार्ड नं० 1, नोंध नं० 3219 पैकी, 3220 पैकी, और 3221 पैकी है, तथा जो रंजीतराम रोड, गोपीपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सर्वोदय शिक्षण मंडल की ओर से उसके उप प्रमुख : पुरुषोत्तम दास लाल जी भाई चौहान, सूरत।

(अन्तरक)

2. मैं० स्मीथा बिल्डर्स एण्ड लैण्ड डवलेपमेंट कार्पोरेशन की ओर से उसके सहियारी : जगदीश भाई पेथाभाई पटेल, सूरत।

(अन्तरिती)

3. (1) चौहान कंस्ट्रक्शन की ओर से मनजीभाई मेपाभाई
(2) स्नेहल कार्पोरेशन, प्राप्त स्नेहलता जगदीश रावल सूरत (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नोंध नं० 3219 पैकी, 3220 पैकी और 3221 पैकी म्यु० वार्ड नं० 1 जिसका कुल माप 120 वर्ग गज है और जो रंजीतराम रोड, गोपीपुरा, सूरत में स्थित है। जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के स्पटेम्बर 1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3284 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद।

तारीख : 20-3-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 मार्च, 1975

निदेश सं० 200/ए०सी०क्यू० 23-358/19-7/74-75—यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० म्यु० वार्ड नं० 1, नोंध नं० 2805, पैकी, 2807B, पैकी 2808 पैकी और 2809 है तथा जो नानपुरा, लक्कड़कोट, सूरत मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-9-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मे० बीस्कोन कन्स्ट्रक्शन कं० की ओर से उसके सहियारी : ठाकोर भाई केवलभाई पटेल
रमेशचन्द्र माकनजी पटेल, भंगु भाई, परषोत्तम भाई पटेल द्वारा :
नटवर लाल छोटू भाई पटेल,

(अन्तरक)

2. नूरानी एपार्टमेन्ट्स को० ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० की ओर से :
चेयरमैन, डाह्याभाई कल्याणजी पटेल,
सेक्रेटरी : युसूफ खान उमरखान मिस्त्री ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

नीध तक बांध काम वाली जमीन जिसका नोंध नं० 2805 पैकी, 2807B पैकी, 2908 पैकी, और 2809 पैकी, जो म्यु० वार्ड नं० 1, नानपुरा, लक्कड़ कोट, सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 446 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत द्वारा सितम्बर, 1974 में किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेखों नं० 3341, 3342 और 3343 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 20-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास, तारीख 31-3-1975

निर्देश सं० 2275/74-75—यतः, मुझे, ए० रागवेन्द्र राव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० जी० एस० सं० 116/2, 117, 118 और 119, घनपति गांव मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाधिपुरम में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) (I) श्री आर० तिरुपति, (II) आर० दामोदरन और आर० राजगोपाल (अन्तरक)

(2) श्री ए० मरुदाचलम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घनपति गांव में 5 एकड़ और 83 1/4 पे सेन्ट का भूमि जिसका जी० एस० सं० 116/2; 117, 118 और 119।

ए० रागवेन्द्र राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख 31—3—1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 31-3-1975

निर्देश सं० 2275/74-75—यत: मुझे, ए० रागवेन्द्र राव आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और जिसकी सं० जी० एस० सं० 116/2, 117, 118 और 119, संघनूर गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधिपुरम में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तिरुपति; आर० दामोदरन; और आर० राजगोपाल (अन्तरक)

(2) श्री ए० सुन्दरम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

संघनूर गांव में 5 एकर और 83 1/4 सेन्ट का भूमि जिसका जी० एस० सं० 116/2, 117, 118 और 119।

ए० रागवेन्द्र राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II मद्रास

तारीख 31-3-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 26–3–1975

निर्देश सं० राज० स० आय० अर्जन/221—यतः मुझे, वी० पी० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो चक 1ए छोटी में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गंगानगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12 सितम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री अमोलक सिंह जाति सिख निवासी गंगानगर तह० एवं जिला गंगानगर (अन्तरक)

(2) इण्डियन कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री गंगानगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्राम चक 1ए छोटी तह० एवं जिला गंगानगर स्थित मुरब्बा नं० 39 किला 5/1–6/1 की 2 बीघा नहरी कृषि भूमि।

वी० पी० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 26-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०- ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जयपुर

जयपुर, तारीख 26-3-1975

निर्देश स० राज० स० आय० अर्जन/222—यत मझे वी० पी० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जो चक न० 1 ए छोटी मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गगानगर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13 सितम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने मे सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगमोहन सिंह पुत्र अमोलक सिंह जाति सिख नि० गगानगर तह० एव जिला गगानगर (अन्तरक)

(2) न्यू इंडियन कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्टरी गगानगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

ग्राम चक 1 ए छोटी तह० गगानगर स्थित मुरब्बा न० 39 किला न० 16/1 एव 25/1 की 2 बीघा नहरी कृषि भूमि।

वी० पी० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 26-3-1975
मोहर

—116GI/75

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 26–3–1975

निर्देश सं० रा० स० आ० अर्जन/223—यतः मुझे, वी० पी० मित्तल,
एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम
1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो चक नं० 1 ए छोटी मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12 सितम्बर 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री उमराव मल सेठिया पुत्र श्री सोहन लाल सेठिया नि० 38, वारानसी घोष स्ट्रीट कलकत्ता (अन्तरक)

(2) श्री 1. हरीप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द मुदड़ा 2. रामप्रसाद पुत्र श्री गोरधनदास अग्रवाल 3. अवतार सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह 4. बद्री प्रसाद पुत्र श्री नंदराम जाट नि० लादुवाला 5 श्रीमति चन्दरानी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा नि० श्री गंगानगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

चक नं० 1ए छोटी तह० एवं जिला गंगानगर स्थित मुरब्बा नं० 48, नया किला नं० 3, 8, 13, 18 एवं 23 की 5 बीघा कृषि भूमि ।

वी० पी० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 26-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कार्यालय जयपुर

जयपुर, तारीख 26-3-1975

निर्देश सं० राज० स० आ० अर्जन/224—यत: मुझे, वी० पी० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो चक नं० 1 ए छोटी में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13 सितम्बर 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री उमरावमल सेठिया पुत्र श्री सोहन लाल सेठिया नि० 38 बारानसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता (अन्तरक)

(2) श्रीमती सायर देवी कोठयारी पत्नि श्री जुगराज कोठयारी नि० चूरु (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चक 1 ए छोटी तह० एवं जिला गंगानगर स्थित मु०बा नं० 48 नया किला नं० 1 की कुल कृषि भूमि

वी० पी० मित्तल,
सक्षम प्रधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 26-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जयपुर

जयपुर, तारीख 26—3—1975

निर्देश स० राज० स० आ० अर्जन/225—यतः मुझे, वी० पी० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो चक नं० 1 ए छोटी मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीगंगानगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21 सितम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री उमरावमल पुत्र श्री सोहन लाल मेठिया नि० 38 आरानमी घोष स्ट्रीट कलकत्ता (अन्तरक)

(2) श्रीमती शीला देवी पत्नि श्री मदाराम गोयल नि० श्री गंगानगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चक नं० 1 ए छोटी तह० एव जिला श्री गंगानगर स्थित मुरब्बा नं० 48 नया किला नं० 10 की कुल कृषि भूमि

वी० पी० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज जयपुर

तारीख : 26—3—1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, तारीख 26–3–1975

निर्देश स० राज० सं० आ० अर्जन/226/—यतः मुझे, वी० पी० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो चक नं० 1ए छोटी मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गंगानगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7 सितम्बर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1975 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री समगवमल पुत्र श्री मोहन लाल सेठिया नि० 38 आरानगी घोष स्ट्रीट कलकत्ता (अन्तरक)

(2) 1. सर्वश्री रामलाल गुप्ता 2. रामप्रताप गुप्ता पुत्रान श्री बिहारी लाल नि० गंगानगर 3 गोपीराम गोयल पुत्र श्री मंगतराम नि० गंगानगर 4. बृजलाल मगावगी पुत्र श्री सूरजमल अग्रवाल नि० गंगानगर 5. श्रीमती तारामणि गुप्ता पत्नि श्री रामप्रताप गुप्ता नि० श्री गंगानगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चक 1 ए छोटी तह० एवं जिला गंगानगर स्थित मुरब्बा न० 18 नया किला नं० 4, 7, 14, 17 एवं 24 की 5 बीघा कृषि भूमि।

वी० पी० मित्तल,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जयपुर

तारीख : 26-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 26 मार्च 1975

निर्देश सं० राज० स० आ० अर्जन/227:—यत: मुझे, वी० पी० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो चक नं० 1 ए० छोटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गंगानगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 11 सितम्बर, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री उमरावमल सेठिया पुत्र श्री सोहन लाल सेठिया निवासी 38, बारानसी घोष स्ट्रीट कलकत्ता (अन्तरक)

(2) 1. सर्व श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री निहालचन्द शर्मा 2. ओमप्रकाश पुत्र श्री बुलाकीदास बिनानी 3. श्रीमति राधा देवी मोहता पत्नी श्री किशनलाल मोहता 4. रामनिवास तापड़िया पुत्र श्री सुखदेव दास तापड़िया और 5. बाबूलाल कोठयारी पुत्र हीरालाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चक नं० 1 ए० छोटी तह० व जिला गंगानगर स्थित मुरब्बा नं० 48 नया किला नं० 5, 6, 15, 16 एवं 25 की 5 बीघा कृषि भूमि।

वी० पी० मित्तल,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 26 मार्च, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 की) धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II, जयपुर

जयपुर, दिनांक 26 मार्च 1975

निर्देश सं० राज० स० आ० अर्जन228/ :——यतः, मुझे, वी० पी० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 13 है तथा जो उदयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),. रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4 सितम्बर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्री डालचन्द पुत्र श्री जीतमल चौधरी नि० लाखोल जिला भीलवाड़ा (राज) (अन्तरक)

(2) श्री रणधीर सिंह (नाबालिग) पुत्र स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शक्तावत बजरिए संरक्षक श्रीमति आनन्द कुमारी विधवा श्री भैरव सिंह शक्तावत नि० भीण्डर तह० वल्लभनगर जिला उदयपुर वर्तमान में निवासी सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, 1961 (1961 का के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सहेलियों की बाड़ी के पास उदयपुर स्थित प्लाट नं० 13 का आधा भाग (दक्षिणी) उस पर बने हुए मकानात सहित। बेचे गए प्लाट का क्षेत्रफल 4725 वर्ग फीट।

वी० पी० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 26 मार्च, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 26 मार्च 1975

निदेश सं० राज० स० आयुक्त अर्जन/229/ :—यतः मुझे वी० पी० मित्तल, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 13 है, तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4 सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री लालचन्द पुत्र श्री जीतमल चौधरी नि० नाथद्वारा जिला भीलवाड़ा (अन्तरक)

(2) श्रीमती आनन्द कुमारी पत्नी स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी चुण्डावत नि० सिफर हाल निवासी महलियों की बाड़ी, उदयपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

महलियों की बाड़ी के पास उदयपुर स्थित प्लाट ए नं० 13 का आधा भाग (उत्तरी) बेचे गये प्लाट का क्षेत्रफल 4725 वर्ग फीट।

वी० पी० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक 26 मार्च 1975
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 31 मार्च 1975

निर्देश सं० राज०/स० आ० अर्जन/230 :—यतः, मुझे वी० पी० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० तामड़ियां हवेली के सामने जमीन है तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 9 सितम्बर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

(1) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कन्हैया लाल माली नि० ठिकाना तामड़ियां बाग, आमेर रोड, जयपुर. (अन्तरक)

(2) श्री निसार अहमद पुत्र श्री इफतखार अहमद नि० खण्डार का रास्ता चौकड़ी गंगापोल जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जयपुर नगर चौकड़ी गंगापोल ठिकाना तामड़ियां हवेली के आगे 4616 वर्ग गज भूमि कुवे एवं पेड़ों एवं टिन शेड निर्माण सहित ।

वी० पी० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर.

दिनांक : 31 मार्च, 1975
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर (आयुक्त) निरीक्षण

अर्जन रेंज जयपुर

जयपुर, दिनांक 31 मार्च 1975

निर्देश सं० राज०/स० आयु० अर्जन/231 :—यतः मुझे, वी० पी० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जमीन का प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी, के कार्यालय, जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 17 सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शिवगौरी सिंह एडवोकेट पुत्र श्री ठाकुर शिवसुन्दर सिंह राजपूत नि० मलसीसर हाऊस, स्टेशन रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) सर्व श्री रामेश्वर लाल शर्मा पुत्र श्री खींवाराम शर्मा नि० चूरु हाल स्टेशन रोड, जयपुर (अन्तरिती)

(3) श्रोम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा नि० केरिया जिला भीलवाड़ा ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मलसीसर हाउस, स्टेशन रोड, जयपुर के पास जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 202.8 वर्ग गज है ।

वी० पी० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 31 मार्च, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 मार्च 1975

निर्देश सं० 12 एल० /अर्जन/ :—अतः मुझे बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2–5 मि० है, तथा जो चौक कटरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, बलिया में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28 अक्तूबर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री अवध किशोर प्रसाद व अन्य (अन्तरक)

2. श्री लालजी अग्रवाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान दो मंजिला वाका ब्लाक नं० 2–5 मि० आराजी 25, 26, 27, 28 व 29 है। जो कि मोहल्ला चौक कटरा जिला बलिया में स्थिति है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 मार्च, 1975

निर्देश सं० VI/20/1/74-75:—यतः मुझे,के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एस० 209 210/2, 213/3, /227/1, 227/3, 228/1, 228/3 और 229 है, जो सीवलसरगु गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चिन्नालप्पट्टी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16 सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री भूमि बालकन और आदि (अन्तरक)

(2) श्रीमती वीरु मल्लम्माल और चन्द्रलोका, मेट्टूपट्टी चिन्नालप्पट्टी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चिन्नालप्पट्टी सीवलसरगु गांव में 11.37 एकड़ खेती का भूमि जिसका एस० सं० 209, 210/2, 213/3, 227/1, 227/3, 228/1, 228/3, 228/5 और 229।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास

तारीख : 21 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 9 अप्रैल 1975

निर्देश सं० आर० ए० सी० 6/75-76 :— यतः मुझे, के एस० वेंकटराम।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 5-5-57/10 का भाग कट्टल मंडी है, जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26 सितम्बर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सेवाबाई पत्नी स्वर्गीय चिमन राम 15-2-673, किशनगंज, हैदराबाद (अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश सरडा पुत्र रामनिवास घर नं० 12-3-140, टपरीनाका, हैदराबाद। (अन्तरिती)

3 मैसर्स खीआईल मिल 5-5-57/10 कट्टल मंडी, हैदराबाद।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति:—5-5-57/10 का भाग, कट्टल मंडी गोशामहल, हैदराबाद

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 9 अप्रैल 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 14-एल०/अर्जन/ :—यतः, मुझे बिशम्भर नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी०-12/95 और प्लाट नं० बी०-12/88 है तथा जो गोरी गज वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30 सितम्बर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनयिम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमरेन्द्र नाथ कुन्हू व अन्य (अन्तरक)

2. श्री लक्ष्मन दास मन्दानी व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नं० बी-12/95 और एक किता प्लाट नं० बी०-12/88 जो कि मोहल्ला गौरी गंज जिला वाराणसी में स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 1-ई०/अर्जन/ :—अत: मुझे विशम्भर, नाथ
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० (जमीन) मकान नं० 937 और 932 का भाग है तथा जो मीरजापुर जबलपुर रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9 सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. मैसर्स मीरजा पुर इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० (अन्तरक)

2. मैसर्स ई० सोफटन एण्ड कं० प्रा० लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता प्लाट (जमीन) जिसका क्षेरफल 1249 वर्ग गज है। जो कि मकान नं० 937 और 932 का भाग है। यह मीरजा पुर कलान और मीरजापुर बेठुआ (मीरजा पुर जबलपुर रोड) पर स्थित है।

विशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 1-ई०/अर्जन—यतः, मुझे, बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से और जिसकी सं० (जमीन) मकान नं० 937 और 932 का भाग है तथा जो मीरजापुर जबलपुर रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 11/974/14-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स मीरजापुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कम्पनी लि० (अन्तरक)
2. मैसर्स ई० सोफटन एण्ड कं० (प्रा०) लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता (प्लाट) जमीन जिसका क्षेत्रफल 4011.3 वर्ग गज है। जो कि मकान न० 937 और 932 का भाग है। यह मीरजा पुर कलान और मीरजापुर बेठुआ (मीरजा पुर जबलपुर रोड) पर स्थिति है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 1-ई०/अर्जन—यतः मुझे, बिशम्भर नाथ, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है।) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० (जमीन) मकान नं० 937 और 932 का भाग है तथा जो मीरजा पुर जबलपुर रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-9-74/ 19-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स मीरजा पुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कम्पनी लि० (अन्तरक)
2. मैसर्स ई० सोफटन एण्ड क० प्रा० लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता (प्लाट) जमीन जिसका क्षेत्रफल 1661 वर्ग गज है। जो कि मकान न० 937 और 932 का भाग है। यह मीरजा पुर कलान और मीरजापुर बेठुआ (मीरजा पुर जबलपुर रोड) पर स्थिति है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-4-1975
मोहर :

प्ररूप० आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 49-एम०/अर्जन—अतः, मुझे, बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० (जमीन) मकान नं० 932 और 932 का भाग है तथा जो ग्राम मीरजा पुर तह० सदर थाना कोतवाली कटरा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-9-74/19-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स मीरजा पुर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कं० लि० (अन्तरक)
2. मैसर्स मीरजा पुर कोल्ड स्टोरेज कं० लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता (प्लाट) जमीन जिसका क्षेत्रफल 4006 वर्ग गज है । जो कि मकान नं० 937 और 932 का भाग है । यह ग्राम मीरजा पुर तह० सदर, थाना कोतवाली कटरा, जिला मीरजा पुर में स्थित ह ।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ ।

तारीख : 9-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 11-यू०/अर्जन:—यतः, मुझे, बिशम्बर नाथ आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 1139-561/21 है तथा जो सिन्धु नगर थाना कृष्णा नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25/26-9-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कुन्दन बाई व अन्य (अन्तरक)
2. श्रीमती उमा अग्रवाल व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान दो मंजिला नं० 1बी व नगर महापालिका नं० 561/21 जिसका रकबा लगभग 8500 वर्ग फुट है। जो कि सिन्धु नगर थाना कृष्णा नगर जिला लखनऊ में स्थिति है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 11-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 30-के०/अर्जन—यतः, मुझे, बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000-/ से अधिक है और जिसकी सं० बंगला नं० 57 टैगोर टाऊन है तथा जो टैगोर टाऊन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25-9-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 22) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती अन्जली बिसवास। (अन्तरक)

2. श्री कृष्ण लाल ग्रोवर व अन्य। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता बंगला नं० 57 जिसका क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग गज है। जोकि करीब 212 वर्ग पर बना हुआ है। यह न० 57 टैगोर टाउन इलाहाबाद में स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 11-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1975

निर्देश सं० एम० आर० /जबलपुर/16-8-74—अत: मुझे, एम० एफ० मुन्शी
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट और मकान है, जो नेपीअर टाऊन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-8-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री कस्तूरी लाल मथुरा दास पुत्र लती आर० वी० मोतीराम मथुरादास निवास 81 क्यून रोड, बम्बई-20। (अन्तरक)

(2) श्री भारत भास्कर पुत्र श्री टी० ए० भास्कर निवास 658 नेपीअर टाऊन जबलपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट और मकान बना हुआ 655 नेपीअर टाऊन जबलपुर ऐरिया-26068 सक्वायर फीट।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख: 24-3-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, भोपाल,

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1975

निर्देश सं० एस० आर० /जबलपुर/17-8-74—अतः मुझे, एम० एफ० मुन्शी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है
और जिसकी स० दो मंजला मकान है, जो सदरबाजार मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर मे रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-8-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री कस्तूरी लाल मथुरादास लीगाल हीअर लता आर० बी० सेठ मोतीराम मथुरादास निवास क्यून रोड, बम्बई-26 (अन्तरक)

(2) बसंन्त पुत्र तेजूमल कृपलानी 6/35, श्याम निवास वार्डन रोड, बम्बई-26। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दो मजिला बिल्डिग (मथुरा बिल्डिग) बनी हुई पास काली टेम्पल निअर गुरुद्वारा कन्टोमेन्ट सदर बाजार, जबलपुर।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल ।

तारीख : 24-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1975

निर्देश सं० एम० आर० /सिवनी/21-8-74—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० दो मंजला मकान है, जो गिरजा कुंड वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिवनी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री देवी प्रसाद पुत्र मन्नू लाल मिश्रा निवास गिरजा कुंड वार्ड सिवनी। (अन्तरक)

(2) श्रीमति विद्याबाई जौजे दामोदर प्रसाद अग्रवाल निवास—अशोक वार्ड, सिवनी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान बना हुआ गिरजा कुंड वार्ड नजूल वार्ड बुधवारी ब्लाक—सिवनी।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 24-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 24 मार्च, 1975

निर्देश स० एस० आर०/जबलपुर/17-8-74—अत, मुझे, एम० एफ० मुन्शी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० मकान न० है जो सदरबाजार मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण के रूप से वर्णित र), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर मे रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था, या किया जाना था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात :—

(1) श्री कस्तूरी लाल मथुरादास लीगल हेअर लता आर० वी० सेठ मोती राम मथुरादास निवास, 81 क्यून रोड, बम्बई-20 (अन्तरक)

(2) श्री बसन्त पुत्र तेजूमल कृपलानी, श्याम निवास वार्डन रोड, बम्बई 26 । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

मकान नम्बर 58, 58-ए० से 58-डी०, 95, 395/1, 396, 397, 397-ए०, 398 से 403, 403 ज०, से 403-डी० और पुराना सरवेन्ट क्वाटर 1 से 1 बनाहुआ स्ट्रीट न० 10 और 11 सदर बाजार कन्टोमेन्ट, जबलपुर।,

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल ।

तारीख 24-3-1975
मोहर

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1975

निर्देश सं० एम० आर० /जबलपुर/17-9-74–अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो सदरबाजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन- 17-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :–

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, 'उक्त अधिनयिम' की धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :–

(1) श्री वसंन्त पुत्र तेजूमल कृपलानी 6/35 श्याम निवास वार्डन रोड बम्बई-26 (अन्तरक)

(2) (i) श्रीमती ग्यासी बाई पति लक्ष्मन प्रसाद चौकसीय निवास कन्टोनमेन्ट (ii) श्रीमती लालता बाई पति कन्हैया लाल चौकसीय निवास कन्टोन्मेंन्ट जबलपुर (iii) श्रीमती बहामा बाई चौकसीय पति रामलाल चौकसीय निवास छोटी श्रोमती जबलपुर (iv) श्रीमती विश्ढल्ला जी पति मोहम्मद यसूफ कन्टोन्मेंट जबलपुर (v) श्रीमती ईदवी पति अब्दुल हक्य् अली जनमोटी निवास कन्टोन्मेट जबलपुर (vi) श्री मोहम्मद जाजद पुत्र अब्दुल जबर अली पप्पा द्वारा ग्रान्ड पिता श्री अब्दुल जाबर अली जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नम्बर 58, 58ए, टू 58-डी०, 395, 395/1, 396, 397, 397-ए० 398 टू 403 403 ए० टू० 403-डी० और पुराना सरवेंन्ट क्वाटर 1 से 15 स्ट्रीट नं० 10 और 11 सदर बाजार कन्टोनमेंन्ट, जबलपुर।

एम० एफ० मुन्शी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज भोपाल।

तारीख : 24-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, II मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 अप्रैल, 1975

निर्देश सं० 1423/74-75—यतः मुझे, के० वी० राजन'

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 11, हबिबुल्ला रोड, मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-9-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जी० साविन्रि (अन्तरक)

(2) (1) श्री जे० जवहरलाल नाहर;
(2) जे० जियन्चन्द नाहर;
(3) जे० परस्मल जेयिन; और
(4) जे० इन्दर चन्द नाहर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप, :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-17, टी० नगर; हबिबुल्ला रोड, डोर सं० 11, में 11 ग्रउण्ड और 126 स्कुयर फ़ीट (मकान के साथ) का भूमि जिसका आर० एस० सं० 41।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज मद्रास।

तारीख : 10-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

नैजामाबाद, दिनांक 18 अप्रैल 1975

सं० आर०ए० सी० 11/75-76—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० बाग 4-3-18 आदीलाबाद है, जो आदिलाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नैजामाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-4-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने म सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, म, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मूसा- पिता लदाबाई रानीगंज रोड सिकिन्द्राबाद, (अन्तरक)

(2) (i) श्री सामब सिवा पतीवार पिता रामलू/पतीबार इनके धार आर० एन० पतीवार एन्ड कम्पनी के पार्टनर सिविल लाइन्स पनद्रापुर पीहाराप्रा,

(ii) मूरअली केतारनी पिता हसनबाई केतानी निवासी पनडरकोन्दा तालूक पातमल महाराला (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी, अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़।

तारीख : 18-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-348( )/5-7/74-75—यत: मुझे जे० कथूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 15, 16 तथा 17 वार्ड नं० 2 है, तथा जो तलाजा, जिला भावनगर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तलाजा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 27-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति उचित के बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री अरविंद कुमार छगनलाल सोनी, ग्लोब सिनेमा, महुवा (अन्तरक)

(2) श्री प्राणलाल कानजी दोशी, 1/11, गार्डन व्यू सोसायटी गोवालीआ टेंक, बम्बई-36 (अन्तरिती)

(3) (1) दर्शना एन्टरप्राइज
(2) ओझा जगदीशचंद्र हिन्दुप्रसाद,
(3) खोजा कानजी भाई वलीभाई
(4) गुजरात फार्म सर्वीस
(5) वीपीनचन्द्र एन्ड ब्रधर्स,
(6) एल० टी० युडासमा
(7) जसवतराय अमरसी भाई

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक थीएटर जो "सोनल सीनेमा" के नाम से ज्ञात है (आउट हाउस सहित) और जो 1883 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और जिसके प्लाट नं० 15, 16, 17 तथा वार्ड नं० 2 है और जो तलाजा, जिला भावनगर में स्थित है और जिसकी सीमाएँ निम्नलिखित है :—

पूर्व :—खुली जमीन
पश्चिम :—रोड
उत्तर :—खुली जमीन तथा विमेन्स लेवेटरीज
दक्षिण :—खुली जमीन

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज अहमदाबाद ।

तारीख : 18-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० सी० क्यु० 23-1-477(167)/10-I/74-75—अत: मुझे जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 4-ए०-1 ब्लाक सी० एन्ड के०, न्यु सुपर मार्केट है, तथा जो बडी नाका, जामनगर में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब, उक्त अधिनयिम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) श्री लीलाधर प्राणजीवन पटेल
(2) रेनुका लीलाधर पटेल
(3) रामनन्द्र पुरुशोत्तम बोड़ा न्यु सुपर मार्केट जामनगर (अन्तरक)

(2) (1) श्री मति करीमा बाई आदम
(2) साले मामद करीम
(3) सलीम करीम
(4) नर मामद करीम
(5) उमर करीम
(6) आदम करीम
} सीमी अपने अभिभावक श्रीमति करीमा बाई आदम द्वारा
सत्यनारायण मंदिर के पास जामनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जो न्यू सुपर मार्केट की तीसरी मंजिल पर स्थित ब्लाक सी० और के० का भाग है और जिसका क्षेत्रफल क्रमश: 2124 तथा 1230 वर्ग फुट है और जिसका सर्वे नं० 4-ए०-1 है और जो बेडी नाका जामनगर में स्थित है और जिसका हस्तांतरण डाक्युमेंट नं० 823 तथा 865 क्रमश: द्वारा हुआ है जो 23-9-74 को रजिस्ट्रीकृत हुए ह ।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अहमदाबाद ।

तारीख : 18-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 16 अप्रैल 1975

निर्देश नं० 62-एस०/अर्जन—अतः मुझे बिशम्भर नाथ,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000-/ से अधिक है और जिसकी सं० 26/16 का 1/2 भाग है तथा जो वजीर हसन रोड लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-9-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रेम लता लाल (अन्तरक)

(2) श्रीमती शमसा रिजवी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 26/16 का आधा भाग जो कि वजीर हसन रोड, लखनऊ पर स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 16-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—— ——-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 15 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 61-एस०/अर्जन—अतः मुझे बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम, कहा गया है,) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 177(177/1) सं० बी०-30/2, है तथा जो गंगा बादलंका नगवा वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5-9-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के आधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्रीमती ऊषा देवी (अन्तरक)

(2) श्री एस० के० घोष व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो किता प्लाट नं० 177(177/1) सं० नं० बी०-30/2 जिसका रकबा (29272+11840)=योग 41112 वर्ग फिट है। जो कि गंगा बाद लंका नगवा जिला वाराणसी में स्थिति है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख : 15-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 201/ए० सी० क्यू० 23-273/19-7/74-75— यत: मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० क्यू० वार्ड ० नं० 4, नोंध नं० 199 है, तथा जो अलायानी वाडी, बेगमपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बंसीधर चिमनलाल वेरागीवाला खपारिया चक्ला, काला श्रीपति पोल, सूरत (अन्तरक)

(2) श्री के० गोधर्नदास केवलराम भारफतिया एन्ड सन्स की ओर से उसके सहियारी :—

1. धीरज लाल चुनीलाल भारफतिया
2. बाबुभाई भगनलाल भारफतिय
3. मंगलदास इछराम भारफतिया
4. जयवदन चिमनलाल भारफतिया, सूरत (अन्तरिती)

(3) जयश्री टेक्सटाइल आदित्य मिल्स, यादव ट्रांस्पोर्ट, राजस्थान कामरशियल कार्पोरेशन, आजय ट्रेडर्स, मित्तल ट्रेडर्स, एस० चम्पकलाल एन्ड कं०, गुजरात यार्न ट्रेडर्स एन्ड टेक्स्टाइल एजेंसी, सूरत (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपति नोंध नं० 199 क्यू० वार्ड नं० 4 जिसका कुल माप 1281 वर्ग गज है और जो बेगम पुरा महीधरपुरा के पीछे, पुलिस स्टेशन, अलायानी वाडी सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3366 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
अहमदाबाद

तारीख : 11-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/उज्जैन/6-9-1974—अतः, मुझे, बी० के० सिन्हा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, जो आनाररोड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-9-1974।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री विष्णु पिता श्री राधाकिशनजी नैषनीवाल निवास अकोला। (अन्तरक)

2. मेसर्स एस० डी० एन्जीनियर्स ग्रांफ बड़ौदा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म द्वारा (1) श्री डी० वी० ठाकर (2) श्री एस० डी० पटेल (3) श्री ए० ए० पटेल (4) डी० ए० पटेल निवासी गण बड़ौदा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लक्ष्मी काटन इण्डस्ट्रीज की भूमि सर्वे नं० 2036 क्षेत्र फल 8 बीघा 14 विस्वा तथा सर्वे नं० 2037 क्षेत्रफल 2 बीघा स्थित आनार रोड़ उज्जैन तथा उसमें बने हुये भवन नगर पालिका निगम क० 1036, 1036/1, 1031 तथा अन्य स्ट्रक्चर्स।

बी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 1-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल,

भोपाल, दिनांक 1 मई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/इन्दौर/26-9-74—अतः, मुझे, बी० के० सिह्ना

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, जो जेल रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-9-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री नारायणपिता विनायक जूना तोफ खाना जेल रोड इन्दौर । (अन्तरक)

2. श्री पालीवाल कोलडिपो इन्दौर मालिक श्रीमती ताराबाई विधवा श्री नाथुलाल जी निवास 26 नगर निगम रोड़ इन्दौर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकें ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जेल रोड़ गली नं० 2 मकान नं० 13/1 की जमीन ।

बी० के० सिह्ना,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 1-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 1975

निदेश सं० एस० आर०/इन्दौर/26-8-74—अतः, मुझे वी० के० सिह्ना
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो पालसीकर कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-8-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री पुरुषोत्तम कुमार पिता श्री बुटारामजी, निवास 25 साउथ राजमोहल्ला इन्दौर । (अन्तरक)

2. सरदार गुरुचरण सिंह पिता श्री बुटासिंह निवास 21 धार रोड़ इन्दौर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ब्लाक नं० 52 पैकी म्यु० पा० न० 52 का एक मंजला 50 बाय 32/3 बाय 28:3 पालसीकर कालौनी, इन्दौर ।

वी० के० सिह्ना,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल ।

तारीख : 1-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 1975

निदेश सं० एस० आर०/उज्जैन/30-8-74—अतः, मुझे वी० के० सिह्ना आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० तीन मंजिला है, जो फ्रीगंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती ऊषा बेन पत्नि रमेश चन्द जी गज्जर निवासी फ्रीगंज उज्जैन । (अन्तरक)

2. श्रीमती ईश्वरीबाई पत्नि सेठ टीकमदास जी निवास फ्रीगँज उज्जैन । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान नगर पालिका निगम उज्जैन नम्बरी 6 : 358 तीन मंजला पुख्ता गाडर फर्शी का बना हुआ है। एरिया 56 स्कैअर मीटर माधव नगर फ्रीगंज धनवन्तरी, उज्जैन।

वी० के० सिह्ना,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 1-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 44 आर०/अर्जन—अतः मुझे विशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और और जिसकी सं० 45, 67, 8, और 9, है तथा जो ग्राम गोविन्द पुर, वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-9-1974।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी व अन्य (अन्तरक)

2. श्री राम बदन शर्मा व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता बाग नं० 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिसका रकबा 614 एकड़ है। जिसके अन्दर एक मकान और एक कुंआ शामिल है। जो कि ग्राम गोविन्दपुर जिला वाराणसी में स्थित है।

विशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज। लखनऊ

तारीख : 29-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल 1975

निर्देश सं० 12 वी०/अर्जन—अतः मुझे, विशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या 4, 5, 6, 7, 8, और 9 है तथा जो ग्राम गोविन्दपुर वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी व अन्य (अन्तरक)

2. श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता बाग नं० 4, 5, 6, 7, 8, और 9 जिसका रकबा 6.14 एकड़ है। जिसके अन्दर एक मकान और एक कुआं शामिल है। जो ग्राम गोविन्दपुर जिला वाराणसी में स्थिति है।

विश्वभर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख : 29-4-1975
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल 1975

निदेश नं० 27 पी०/अर्जन :— अतः मुझे, बिशम्भर-नाथ
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है जिसकी सं० 1 से 42 तक है तथा जो ग्राम दिडरी तह० पुवाँय शाहजहांपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुवाँय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जसवन्त सिंह व अन्य (अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रकाश कौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी भूमि नं० 1 से 42 तक जिसका रकबा 338.88 एकड है। जो कि ग्राम दिडरी तह० पुवाँय जिला शाहजहांपुर में स्थित है ।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 29-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अप्रैल 1975

निदेश नं० 21 जे० /अर्जन :— यतः मुझे, बिशम्भर-नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000-/ से अधिक है और जिसकी सं० चक नं० 468 है तथा जो ग्राम समदी तह० फूलपुर आजमगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फूलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19/11/1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 22) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दया शंकर व अन्य (अन्तरक)

(2) श्री जयनारायण सिंह व अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता आराजी भूमि चक नं० 468 मय कच्चा मकान जिसका कुल रकबा 584 कड़ी है। जो कि भूमि ग्राम समदी तह० फूलपुर जिला आजमगढ़ में स्थित है।

(बिशम्भर नाथ)
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 28-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 4th March, 1975

J| No. I(414)/74-75/Acq. File No. 1 45/74-75.—यतः मुझे, K. Subba Rao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० Door No. 6.16.30 16th Line. 1st Cross, Arundalpeta, Guntur है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना;

अतः, अब, धारा 269-ग का उक्त अधिनियम के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) 1. Sri Burugu Suryaprakasa Rao,
2. Sri Burugu Rajeswara Rao,
3. Aswarthanarayana Burugu.

(अन्तरक)

(2) Sri. Parripati Chendrasekara Rao, Door No. 6-16-30, 16th Line 1st Cross, Arundalpeta, Guntur.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Guntur District—Guntur Sub—Registration—Guntur Municipality—Guntur Town—Arundalpeta—Municipal Old ward No. 3-Block No. 1. T.S. No. 9-39361 Sq. Ft. with a building thereon.

BOUNDARIES

East—Municipal Bazaar 120 ft.
South—Municipal Bazaar 75 ft.
North—Municipal Bazaar 75 ft.
West—Site of Sri Ramaraju Subbaramaiah 120 ft.

K. SUBBA RAO,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, Kakinada

दिनांक: 4-3-1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 26th February 1975

Acq. File No. 163/J. No. I(354)/KR/74-75.—यत:, मुझे, K Subba Rao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० Asst. No. 2875 D.No. s 7/197 & 7/198 Godugupeta, Masulipatnam है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, Masulipatnam में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) 1. Sri Sarva Srinivasa Sastry, Masulipatnam.
2. Sri Sarva Venkata Manchara Vara Prasad, Hyderabad.
S/Shri

(अन्तरक)

(2) 1. G. Marasimharaju, Guduru
2. Ramaraju, Gudur
3. G. V. Subbaoah, Gudur
4. G. V. Madavarao, Gudur.
5. G. Maheswararao, Gudur
6. G. Laxmaiah, Gudur
7. K. Narayanaraju, Gudur
8. K. Butchiraju, Gudur
9. N. Seetharamachandrao, Godugupeta Masulipatnam
10. Smt. N. Sundaramma, Godugupeta Masulipatnam
11. G. Rambabu Minor by guardian mother Man-Gamma, Gudur
12. M. Subbarao, Gudur
13. .K. Nagaiah, Bantumilli,
14. Smt. G. Rajeswari, Guduru
15. Smt. G. Nancharamma, Gudur

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

Krishna District—Masulipatnam Sub—Registrar—Masulipatnam Municipality Masulipatnam Town—Godugupeta—"Sagar Talkies"—Asst. 2875— D.No. s 7/197 & 7/198—1557 Sq. Yds.

BOUNDARIES

East: Raja Veedhi—Sagar Talkies 82 ft.
South: House sit Smt. B. V. Subbamma 169 ft.
West: Rajaveedhi Sarvavari Street 96 ft.
North : Daba site of Vemurti Sri Ranganaikulu 146 ft.

K. SUBBA RAO,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,
Kakinada

दिनांक : 26-2-1972

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 22nd March 1975

AAcq. File No. 182/J.No.I(322)/74-75.—यतः मुझे, K. Subbarao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है और जिसकी सं॰ New Ward No. 15 T. S. No. 1153 ह, जो Eluru में स्थित है (और इससे, उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, Eluru में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'Said Act' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'Said Act' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग of the 'Said Act' के अनुसरण में, मैं, 'Said Act' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) Mothey Amba Venkata Ramesh Ghanta Prasad 2. Smt. Nothey Satyavati (3) Smt. Nethey Indira 4. Mothey Sunil Kumar 5. Mothey Praveen Kumar Nos. 4 & 5 minors represented by mother and guardian Smt. Mothey Indira.

(अन्तरक)

(2) Siva Gopal Lunani, Director, Sri Krishna Jute Mills Ltd., Eluru.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'Said Act' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

West Godavari District—Eluru Sub—Registrar—Eluru Taluk—Eluru Town—Eluru Municipality—Old ward No. 7/E, New ward No. 15—T.S.No. 1153—Vacant site—5630 Sq. meters.

BOUNDARIES

East: Joint Road
South : : Vacant site of Smt. Mothey Padmavatamma
West: Compound wall of Sri Krishna Jute Mills Ltd.
North Compound wall for this site.

K. SUBBA RAO,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, Kakinada

दिनांक : 22-3-1975
मोहर :

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 22nd April 1975

Acq. File No. 194/J.No. 1(282)/KR/74-75.—
अत:, मुझे, Saroj Kumar, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 42-7-20 Durgapuram है जो Vijayawada स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, Vijayawada में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-9-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) Sri. Pasupulet Viswanatham, Durgapuram, Vijayawada.

(अन्तरक)

(2) Smt. A. Hymavatamma, W/o. Ranga Mohana Rao, Durgapuram, Vijayawada.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

The property schedule as stated in sale deed copy dt. 4th September, 1974 vide document no. 3145 dt. 4-9-74 of the S.R.O., Vijayawada.

SAROJ KUMAR,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज,
Kakinada

तारीख : 22-4-75
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, तारीख 28 अप्रैल 1975

सं० आर०ए० सी० 14/75-76 :— यत: मुझे, के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 4-1-4 & 5 का भाग रामकोट है, जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में से वर्णित है'), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-9-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री के० मुरली दामोदर, वाशिंगटन के निवासी, मुख्तार नामदार श्री के० लक्ष्मी नारायण प्रसाद (2) के० हरिश्चन्द्र प्रसाद मुख्तार नामदार श्री के० लक्ष्मी नारायण प्रसाद (3) श्री-के० जगदीश प्रसाद (4) श्री के० राम कृष्ण प्रसाद (5) श्री मनोहर प्रसाद मार्फत श्री के० लक्ष्मी नारायण प्रसाद, नं० 11, जनपथ, नई दिल्ली-11 (अन्तरक)

(2) श्री लाल चन्द भंगाडिया (2) श्री सत्यनारायण भंगाडिया (3) श्री राजगोपाल भंगाडिया घर नं० 18-4-50 शमशीर गंज, हैदराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति :- घर नं० 4-1-4 तथा 5 का भाग, रामकोट, हैदराबाद, क्षेत्रफल 2662.82 वर्ग मीटर्स

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख 28-4-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, तारीख 28 अप्रैल 1975

सं० आर० ए० सी० 13/75-76 :— यतः मुझे, के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और

जिसकी सं० 4-1-4×5 रामकोट है, जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का-16) के अधीन तारीख 4-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री के० मुरली दामोदर सुपुत्र के० लक्ष्मी नारायण प्रसाद (2) श्री के० हरिश्चन्द्र प्रसाद सुपुत्र श्री के० एल० एन० प्रसाद (3) श्री के० जगदीश प्रसाद, (4) श्री के० मनोहर प्रसाद नं० 11 जनपथ नई दिल्ली-11 (अन्तरक)

(2) श्रीमती सीता बाई पत्नी रतन लाल जी तोशनीवाल (2) श्री अशोक कुमार सुपुत्र रामनिवास जाजू अवस्यक पालक पिताजी श्री रामनिवास जाजू, नं० 19-3-1075/2 शमशीरगंज हैदराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति :– 4-1-4 तथा 5 का भाग, रामकोट, हैदराबाद, 1181.61 वर्ग मीटर्स

के० एस० वेंकट रामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख:
मोहर: 28-4-75

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, तारीख 28 अप्रैल 1975

निदेश नं० 8-एन० अर्जन :—यतः मुझे बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है जिसकी सं० 330-331 है तथा जो ग्राम भूर जि० बुलन्दशहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16/9/1974 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) कुमारी फहमीदा खातून (अन्तरक)

(2) श्रीमती नूरजहां बेगम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो किता प्लाट नं० 330 और 331 मय एक कोठी जिसका रकबा 1 बीघा 8 बिस्वास का 1/2 भाग है। जोकि ग्राम भूर जिला बुलन्दशहर में स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 28/4/75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 अप्रैल 1975

निदेश नं० 17-एल० /अर्जन — अतः मुझे, बिशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है जिसकी सं० है तथा जो ग्राम नागोरा गांव नैनीताल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नैनीताल मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20/9/1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेजर एस० सी० बुग (अन्तरक)
(2) श्री एल० के० खन्ना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता गार्डेन लैन्ड और मकान जिसका रकबा 3738 वर्गफीट है : जो कि ग्राम नागोरा गांव जिला नैनीताल में स्थित है।

बिशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 28-4-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, तारीख 28 अप्रैल 1975

निदेश नं० 42-ए० अर्जन — अत: मुझे, विशम्भर नाथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है जिसकी सं० 330 और 331 है तथा जो ग्राम भूर जि० बुलन्दशहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 16-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) कुमारी फहमीदा खातून (अन्तरक)

(2) श्रीमती असगरी बेगम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो किता प्लाट नं० 330 और 331 मय एक कोठी जिसका रकबा 1 बिघा 8 बिस्वा का 1/2 भाग है। जोकि ग्राम भर जिला बुलन्दशहर में स्थित है।

विशम्भर नाथ,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 28-4-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज अहमदाबाद,

अहमदाबाद, तारीख 1 मई 1975

निदेश नं० ए० सी० क्यू० 23-1-356 ( )/ 16-6-/74-75 :— यतः मुझे, जे० कथूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 432, प्लाट नं० 175, सब प्लाट नं० 3 है, जो धरमेन्द्र सिंहजी कालेज के निकट राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री परशोत्तम रामचन्द भाटिया, गंगा बिहार सरदार नगर राजकोट (अन्तरक)

(2) श्रीमती तारागौरी ताराचन्द दोशी जामजोधपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी जैसाकि रजिस्ट्रड डीड नं० 6232 सितम्बर, 74 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में दर्ज है।

एक मकान जो 160-4-0 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और जिसका सर्वे नं० 432 प्लाट नं० 175, सब प्लाट नं० 3 है और जो धरमेन्द्र सिंहजी कालेज के निकट रिजकोट में स्थित है।

जे० कथूरिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 1-5-1975
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

तारीख 18 अप्रैल 1975

सं० आर० ए० सी० 12/75-76:— यतः मुझे, के० एस० वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० बाग 4-3-18 आदीलाबाद है, जो आदीलाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैजामाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-4-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मूसा -पिता- लदाचारी रानी गंज गली सिकन्दराबाद (अन्तरक)

(2) श्री अरविन्द पतीवार, पिता रामलू पतीवार आर- फेन-पतीवार कम्पनी ’। सिविल लाईन्स जनद्रापुर महाराष्ट्र (2) श्री अबकर केतानी पिता कासूम भाई पनडर कीनडा जिला महाराष्ट्र (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पती बाग में 4-3-18 एम जी रोड आदीलाबाद विस्तेन 3483.32 वर्ग मीटर्स या 4166.66 वर्ग यार्ड।

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज ....

तारीख : 18-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

तारीख 18 अप्रैल, 1975

सं० आर० ए० सी० 10/75-76— यतः मुझे, के० एस० वेंकटरामन,
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

जिसकी सं० 4-3-18 आदिलाबाद है, जो आदिलाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैजामाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-4-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मूसा पिता लदाबाई रानी गज गली सिकन्दराबाद (अन्तरक)

(2) श्री दत्तात्रोया पतीवार पाटना आर-येन पतीवार कम्पनी जनद्रापूर-महाराष्ट्र स्टेट (2) सदरीदीन केतारी पिता कसूम भाई केतानी पनडरक वाडा कोनडा जिला यातमल महाराष्ट्र (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज ....

तारीख: 18-4-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण,

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, तारीख 6 मई 1975

एफ नं० अर्जन/210/कानपुर/74-75/281:—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 104/146 है तथा जो रामबाग, कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री शिव मनोहर मिश्रा पुत्र श्री शिव नन्दन मिश्रा निवासी 58/11, फील खाना, कानपुर (अन्तरक)

(2) पं० मुन्नी लाल त्रिवेदी पं० रामदुलारे त्रिवेदी उर्फ दुलारे लाल त्रिवेदी पुत्रगण पं० दुलाऊ त्रिवेदी निवासी गांव चिन्ता खेडा त० डलमऊ जिला रायबरेली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 104/146, स्थित रामबाग, कानपुर जिसका हस्तांतरण 45,000/में हुआ है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 75

एफ० नं० अर्जन /214/कानपुर/ 74-75/ 282:—यत: मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो बगाही कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री शिवपाल साहू पुत्र श्री रामपाल साहू निवासी 130/531, बाकर गंज, कानपुर (अन्तरक)

(2) श्री हरप्रसाद साहू और स्वतंत्र कुमार साहू पुत्रान श्री मुन्नीलाल साहू निवासी 69-50 दाना खोरी कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लीज होल्ड प्लाट नं० 44 जिसका एरिया 432 वर्गगज स्थित ब्लाक एल/1, स्कीम नं० 2 बगाही, कानपुर जिसका हस्तांतरण 37, 152 रु० में हुआ है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 6-5-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 8 मई 1975

निदेश नं० अर्जन / 245/ कानपुर/ 74-75/ 283:— यतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 88/ 213/-बी है तथा जो चमन गंज कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2/12/1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नजीरुद्दीन पुत्र स्व० श्री अब्दुल गफूर नि० इफ्तीखाराबाद, कानपुर । (अन्तरक)

(2) श्री मौहम्मद साबित पुत्र श्री शकीर हुसैन नि० 88/213-बी चमनगंज, कानपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जिसका नं० 88/ 213 बी, जो चमनगंज कानपुर में स्थित है इसका हस्तान्तरण रु० 50,000/- में किया गया है ।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 8/5/75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 1975

एफ० नं० अर्जन / 186/ कानपुर/ 74-75/ 284 :— यतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 133/ 194 है तथा जो ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19/9/ 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ उपधारा की (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री श्याम लाल गुप्ता पुत्र श्री कुजी लाल और श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्याम लाल निवासी 133/ 194, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर (अन्तरक)

(2) श्री अजयपाल सिह सं० सरमख सिंह निवासी 58/50, उजागर भवन, बिरहाना रोड, कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० 133/ 194 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर जिसका हस्तान्तरण रू० 34000/-मे हुआ है ।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (नरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 1975

एफ० नं० अर्जन/184/कानपुर/74-75/285 :—यतः मुझे, एफ० जे० बहादुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
जिसकी सं० 128/ई/99 है तथा जो किदवई नगर, कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख, 5/10/1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री राधे श्याम गुप्ता पुत्र श्री बच्चा लाल गुप्ता और श्रीमती रामादेवी पत्नी राधेश्याम गुप्ता निवासी 49/102, नौघड़ा, कानपुर
(अन्तरक)

(2) श्रीमती जशोदा देवी अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पत्नी निवासी 85/69 शकरकटी, जी० टी० रोड, कानपुर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि, बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० 128/ई/99, स्थित 'ई' ब्लाक किदवई नगर, कानपुर, जिसका हस्तान्तरण 90,000 रु० में हुआ है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख:—6/5/75
मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 1975

निदेश नं० अर्जन / 201/ कानपुर/ 74-75/ 286 :—यत: मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो ग्वाल टोली कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20/ 10/ 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री जीवन लाल त्रिभुवन दास मोदी 14/5 बी ग्वाल टोली सिविल लाइन्स कानपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती रोशन आरा बेगम, 42/86, मखनिया बाजार, कानपुर (अन्तरित)

(3) अन्तरक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्वाल टोली कानपुर में स्थित सम्पत्ति नं० 14/21 (पुराना) तथा 14/5 बी (नया) का हस्तान्तरण 50,000/ रु० में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख :— 6/ 5/ 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 1975

निदेश सं० अर्जन / 202/ कानपुर/ 74-75/ 287.—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो सिविल लाईन्स ग्वाल टोली कानपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तरीख 21/10/1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री जीवन लाल त्रिभुवन दास मोदी 14/21 (पुराना) और (नया) 14/57-बी, सिविल लाइन्स ग्वाल टोली कानपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती मेहनिगार बेगम 40/182, मखनिया बाजार, कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 14/21 (पुराना) और 14/5, बी (नया) जो ग्वाल टोली कानपुर में स्थित है इसका हस्तान्तरण रू० 60,000/- मे किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 6-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 1975

एफ० नं० अर्जन / 176/ कानपुर/ 74-75/ 288 :— अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री छबल दास निवासी डब्ल्यू / 13/एम०आई०जी० जूही कानपुर (अन्तरक)

(2) श्री ओम प्रकाश सिंह 75, न्यू ब्लाक किदवई नगर, कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० डब्ल्यू / 13/ एम०आई०जी० स्थित जूही कानपुर भूमि का क्षेत्रफल 450 वर्गगज जिसमें 1/3 भाग मे सम्पत्ति बनी हुई है और 2/3/रु०/ भाग खाली है। जिसका हस्तान्तरण 60,000 मे हुआ है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख :– 6/5/ 75

मोहर :–

प्ररूप आई० टी० एन० एस० — —

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 1975

एफ० नं० अर्जन / 174/कानपुर/74-75/289—यत मुझे एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० 78 है तथा जो एच ब्लाक पाडव नगर कानपुर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय और कानपुर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9/9/1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की, धारा 269-ग के अनुसरण में मै उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :—

(1) श्री एस० पी० घोष पुत्र श्री पी० के० घोष द्वारा स्पेशल डी० मैसे 78, कैन्टूनमेन्ट, कानपुर (अन्तरक)

(2) श्री राम, मदन लाल काशीराम और कृपा राम पुत्रगण एस० सन्त सिह मार्फत श्री राम सन्त सिह क्लाथ मर्चेन्ट नौघडा, कानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे किसी एक व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मन्जिला मकान न० 78-एच ब्लाक जिसका कुल क्षेत्रफल 1114 वर्गगज स्थित पाडव नगर, कानपुर जिसका हस्तान्तरण 1, 85,000/- मे हुआ है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेज, कानपुर

तारीख :—6/5/75
मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-कानपुर

कानपुर, दिनांक

निदेश नं० अर्जन/ 145/ देहरादून/ 74-75 /290 :— यत: मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो राजपुर-रोड देहरादून में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908-(1908 का 16) के अधीन, तारीख 5/6/75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती राजदुलारी सहगल पत्नी श्री गुरुदत्त सहगल नि० सनवाल निवास सिविल लाइन्स जालन्धर और विंग कमाण्डर श्री सत्यसागर सहगल पुत्र श्री गुरुदत्त सहगल नि० सेक्टर-4, कोठी नं० 59, चण्डीगढ़।

(2) श्री विमल देव पुत्र श्री बल्देव शर्मा, अमृतधारा फार्मेसी, राजपुर रोड, देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त' अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राजपुर रोड देहरादून में स्थित भूमि खण्ड जिसकी माप 15 बिस्वा और 9½ बिस्वासी है इसका हस्तान्तरण रु० 22,295/- में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख :- 6-5-75
मोहर :-

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 मई 1975

निदेश नं० अर्जन / 146/ देहरादून/ 74-75/ 291:—यत: मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो राजपुर रोड देहरादून में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26/9/1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात —

(1) श्रीमती राजकुमारी सहगल पत्नी गुरुदत्त सहगल नि० सनवाल निवास, सिविल लाइन्स जालन्धर और विग कमाण्डर सत्यसागर सहगल नि० सेक्टर-4, कोठी नं० 59, चण्डीगढ़। (अन्तरक)

(2) श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री गुरुमुख दास नि० न्यु रोड देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राजपुर रोड देहरादून में स्थित भूमि खण्ड जिसकी माप 14 बिस्वा और 10½ बिस्वांसी है इसका हस्तान्तरण 20,925/- में किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख :— 6/5/75
मोहर :—

प्ररूप आई० टी० न० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, तारीख 6/5/75

निदेश नं० अर्जन / 147/ देहरादून /74-75/ 292:— अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो राजपुर रोड देहरादून में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26/9/1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती राजदुलारी सहगल पत्नी श्री गुरुदत्त सेनवाल नि० सनवाल निवास, सिविल लाइन्स जालन्धर और विंग कमाण्डर सत्यसागर सहगल पुत्र श्री गुरुदत्त सहगल नि० सेक्टर 4, कोठी नं० 59, चण्डीगढ़। (अन्तरक)

(2) श्रीमती कुसुम पुत्री रे० डब्ल्यू० जे० रिचार्डस, नि० 99-बी०, राजपुर रोड देहरादून। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खण्ड जिसकी माप 13 विस्वा 10 विस्वांसी जो राजपुर रोड देहरादून में स्थित है इसका हस्तान्तरण 19,485 में, किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख :– 6/5/75
मोहर :–

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, तारीख 6-5-75

निदेश सं० अर्जन /144/देहरादून / 74-75/ 293 :— अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो राजपुर रोड देहरादून में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-9-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती राजदुलारी सहगल, पत्नी श्री गुरुदत्त सहगल नि० मनवाल निवास सिविल लाइन्स जालन्धर और विंग कमाण्डर सत्यसागर सहगल पुत्र श्री गुरुदत्त सहगल नि० सैक्टर 4 कोठी नं० 59, चण्डीगढ़। श्री हिज एटोर्नी श्री ओ० एस० सहगल पुत्र श्री गुरुदत्त सहगल नि० मनवाल निवास सिविल लाइन्स जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती राजरानी पत्नी गुरमुख दास नि० न्यू रोड देहरादून। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राजपुर रोड देहरादून में स्थित भूमि खण्ड जिसकी माप 15 बिस्वा और 9½ बिस्वांसी इसका हस्तान्तरण रु० 22,295/ में किया गया।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 6-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, तारीख 3-5-1975

निदेश नं० 9/7/43/74-75 :— यतः, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 70, सेंगलुनीर पील्लेयार काईल स्ट्रीट मद्रास, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) श्री ए० नारायण उडुपा मद्रास-1 (अन्तरक)

(2) श्री एम० पी० आर० सेन्तीलनातन चेट्टीयार मद्रास-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हू।

उक्त सम्पत्ति के संबंध मे कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, सेंगलुनीर पील्लेयार काईल स्ट्रीट डोर सं० 70 में 1300 स्केयर फीट का भूमि और मकान (आर०-एस० सं० 3015/बी०)

के० वी० राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज मद्रास

तारीख :— 3-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास-600006

मद्रास, तारीख 2-5-1975

निदेश सं० X/10/14/74-75 :—यतः मुझे, के०-वी० राजन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 40 और 40 ए० है, जो नार्न वेली स्ट्रीट, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पतुमन्डपम मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती राजलक्ष्मी अम्माल मदुरै-7 (अन्तरक)

(2) श्री के० षणमुगसुन्द्रम, पटमक्कुडी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै नार्न वेली स्ट्रीट डोर सं० 40 और 40ए में 1824 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (टी० एस० सं० 1154)।

के० वी० राजन,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I मद्रास

तारीख :- 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास-600006

मद्रास, तारीख 2-5-1975

निदेश सं० X/10/11/74-75:—यतः, मुझे के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 13, वेस्ट मारट स्ट्रीट, मदुरै है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुतुमन्ड-पम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख, सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने म सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

(1) श्री कोविल पिल्ले, मदुरै (अन्तरक)

(2) श्रीमती हुसैनना आमिना बीबी और आदी, कालीकट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, वेस्ट मारट स्ट्रीट डोर सं० 13 में 1349 स्केयर फीट का भूमि और मकान (टी० एस० सं० 46)।

के० वी० राजन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास

तारीख :— 2-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, तारीख 2-5-75

निदेश सं० 10/1/(ii) /27 ए० /74-75 :— अतः, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है जिसकी सं० 220 रामनाड रोड और 2 और 3 अन्डरवानम तन्नीरपन्दल सेकन्ड लेन, मदुरै है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आन्डीप्पट्टी में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पेरीमकरुप्प नाडार और आदि (अन्तरक)

(2) श्रीमती शामसुन्नीसा, मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मदुरै रामनाड रोड डोर सं० 220 और अन्डरवानम तन्नीर पन्दल सेकन्ड लेन में 7420 स्केयर फीट का भूमि और मकान (1/3भाग) (टी० एस० सं० 556) ।

के० वी० राजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास

तारीख : 2-5-75
मोहर :

प्रूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास दिनांक 2 मई 1975

निदेश सं० 10/1 (II)/ 27B/ 74-75 :— यतः, मुझे, के०वी० राजन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- पये से अधिक है जिसकी सं० 220, रामनाड रोड और 2 और 3; अन्ड-बानम तम्मीर पन्दल सेकन्ड लेन, मदुरै है, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रान्डी-प्पटी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री पी० एस० पेरीयकरूण नाडार और अदि (अन्तरक)

(2) श्री हुसैन नैनार, मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मुदुरै रामानाड रोड डोर सं० 220 और अन्डबानम नन्नीर पन्दल सेकन्ड लेन में 7420 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (1/3 भाग) (टी० एस० सं० 554)।

के० वी० राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख:— 2-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास 600006

मद्रास, 600009 दिनांक 2 मई 1975

निदेश सं० 10/1 (ii)/ 27 सी०/ 74-75 :— यत:, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 220, रामनाड रोड और 2 और 3 अन्दरवानम तम्नीर पन्दल मदुरै है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आन्डीप्पट्टी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री पी० एस० चोक्कलिंग नाडार और आदी (अन्तरक)

(2) श्री वी० के० जैनुलाबुदीन, पनैक्कुलम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै रामनाड रोड डोर सं० 220 और 2 और 3 अन्डरवानम तम्नीर पन्दल सेकन्ड लेन में 7420 स्क्वुयर फीट का भूमि और मकान (1/3भाग) (टी०एस० सं554)

के० वी० राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

तारीख :— 2- 5- 1975
मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक, 2 मई, 1975

निर्देश सं० 9/7/72/74-75—यत:, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 25 है, जो नई आवड़ी रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हेमिमाय और आदि, मद्रास-10 (अन्तरक)

2. श्री रामचन्द जी० महतानि, मद्रास-8 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-10 नयी आवड़ी रोड डोर सं० 25, में भूमि और फ्लाट (अभिन्न भाग) (एस० सं० 87 भाग)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक: 2-5-1975
मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनाक 3 मई 1975

निर्देश सं० 9/7/73/74-75—यत, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 25, है, जो आवड़ी रोड़, मद्रास-10 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर '74' को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान के प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनयिम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— :

1. हेमिमाय और आदि मद्रास-10 (अन्तरक)

2 श्री वशदेव एन० नमनानी मद्रास-10 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, नयी आवड़ी रोड़ डोर सं० 25 में भूमि और प्लाट (अभिन्न भाग) (एस० स० 87) (भाग)

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास

दिनांक 2-5-1975
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I मद्रास कार्यालय

मद्रास-1600000, दिनांक 2 मई 1975

निर्देश सं० IX/7/74/74-75—यत, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 25, है, जो नयी आवडी रोड़, मद्रास-10 में स्थित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हेमिमाय और आदि, मद्रास-10 (अन्तरक)

2. श्रीमती भगवन्ती रामचन्द, मद्रास-2 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-10, नयी आवडी रोड़ डोर सं० 25 में भूमि और प्लाट (अभिन्न भाग) (एस० सं० 87) (भाग)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–I मद्रास

दिनांक : 2-5-1975
मोहर।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास 600006

मद्रास 600006 दिनांक, 2 मई, 1975

निर्देश सं० 9/7/75/74-75—यतः, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 25, है, जो नयी आवडी रोड, मद्रास-10 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर '74' को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हेमिमाय और आदि (अन्तरक)

2. श्रीमती मैवक सुगनोमल, मद्रास-10 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-10, नयी आवडी रोड, डोर सं० 25 में भूमि और प्लाट (अभिन्न भाग) (एस० सं० 87)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

दिनांक: 2-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास 600006

मद्रास600006 दिनांक, 2 मई, 1975

निर्देश सं० 9/7/76/74-75—यत:, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 25 है, जो नयी आवड़ी रोड, मद्रास-10 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान

प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती हेमिमाय और आदि, मद्रास-10 (अन्तरक)

2. श्री अमर लोकमल, मद्रास-2 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-10, नयी आवड़ी रोड डोर सं० 25 में भूमि और प्लाट (अभिन्न भाग) (एस० सं० 87) (भाग)

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I मद्रास

दिनांक : 2-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज मद्रास

मद्रास दिनांक, 2 मई 1975

निर्देश सं० 9/7/96/74-75—यतः मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 25, है, जो नई आवड़ी रोड़, मद्रास-10 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर '74' को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हेमिमाय और आदि मद्रास-10 (अन्तरक)

2. श्रीमती गोपा लालचन्द, मद्रास (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, किल्पाक, किल्पाक गार्डन रोड़ (अब) न्यू आवड़ी रोड़) में एस० सं० 87 (भाग) में भूमि और फ्लेट (अभिन्न भाग) (डोर सं० 25)

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज मद्रास

दिनांक : 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास 600006,

मद्रास-600006, दिनांक 14 मई 1975

निर्देश सं० 9/7/71—यत:, मुझे के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 126 है, जो पाप्हामुस ब्रोड़वाई, मद्रास-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पश्चिम मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1974 सितम्बर 25 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० रंगकुमार; श्रीमती के० लक्ष्मी तुलसी, के० वैजयन्तिमाला, के० हरिप्रिया, के० कृष्णमूर्ति, के० डोली 16, टेम्पिलगली, अलगप्पा नगर, मद्रास-10 (अन्तरक)

2. श्री एम० ग्रोय् सईद अहमद 2-65, मास्क् गली, इलंदगुंडी, मायुरम तालूक, तंजावुर जिला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और घर का नं० 126, पाप्हामुस ब्राड़वाई, मद्रास-1 आर० एस० नं० 2357—विस्तीर्ण : 1581 स्कोयर फीट

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास,

दिनांक : 14-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-I, मद्रास-600006

मद्रास-600006, तारीख 14 मई 75

निदेश सं० 9/7/40/74 :— अतः, मुझे, के० वी० राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और

जिसकी सं० 1 डी है, जो स्परटांक रोड, मद्रास - 30 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पश्चिम मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 27 सितम्बर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित

की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नाटीकोंडा नान्चारम्मा चारीटीस 64, हारिंगटन रोड मद्रास-30 (अन्तरक)

(2) श्रीमती उर्मीला चोखानी, भगवती चोखानी जगदीश चोखानी । 4/141, माउण्ट रोड मद्रास-6 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

6 ग्राउण्डस का खाली भूमि न० 1 डी स्पटटाक रोड, मद्रास ।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 14-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज-I, मद्रास-600006

मद्रास-600006, तारीख 14 मई 75

निदेश सं० 9/1/32/74:—यत:, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 33 है, जो जोन्स गली, मद्रास-1 मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जिला रजिस्ट्रार मद्रास मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9 सितम्बर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती अकार बाई W/O वी० समीरमल बाफना, 19, कृष्णन कोविल गली, मद्रास-1 (अन्तरक)

(2) श्रीमती जुमैदा भीवी, W/O एन० एम० मस्ताफा राऊत्तर, 13ए, पडरीनाथन गली, तृचीरापल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर और भूमि न० 33, जोन्स गली, मद्रास विस्तीर्ण-1 ग्राउण्ड, 496 स्कोयर फीट।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख: 14-5-1975
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, मद्रास-600006

मद्रास-600006, तारीख 14 मई 1975

निदेश सं० 9/2/74:—यतः, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 19, जो कोरल मेर्चेन्ट स्ट्रीट मद्रास-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सी० पारान्कुसम चेट्टि, सी० जगनात भाभू, सी० देवराजन। (अन्तरक)

(2) श्री ए० एम० आर० सुब्रमनिय मुदलियार। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, जार्ज टाउन, कोरल मेर्चेन्ट स्ट्रीट, डोर सं० 19 में एक ग्राउन्ड और 1116 स्कुयर फीट का भूमि (मकान के साथ) जिसका एस० सं० 3169/1 और 3169/2।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 14-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मई 1975

निदेश स० 16/1/9/74-75 :— यतः, मुझे, के० वी० राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/–रुपये से अधिक है

और जिसकी स० 497, 498, और 499, तिरुची मैन रोड सेलम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सेलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० एस० दुरैसामी और आदी। (अन्तरक)

(2) श्रीमती मीनाक्षी आधी और एल० एस० सीनीवासन। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप,—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सेलम, गुगै, तिरुची मैन रोड डोर सं० 497, 498, और 499 में 3440 स्कुयर फीट का भूमि और मकान।

के० वी० राजन,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 2 मई, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 मई 1975

निदेश सं० 16/26/1/74-75 :—— अतः, मुझे, के० वी० राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 45/1, 46/1 बी० और 52/2, चेंगाड गांव एरकाड में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एरकाड में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० कन्वसामि और आदी। (अन्तरक)

(2) श्री एन० वी० राव और आदी मद्रास-17।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एरकाड, चेंगाड गाव मे एस० सं० 45/1, 46/1 बी० और 52/2 मे 77 47 एकड़ खेती का भूमि और मकान।

के० वी राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, मद्रास।

तारीख: 6-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,-I मद्रास,

मद्रास, तारीख 2- 5- 1975

निदेश सं० X/10/ 12ए / 74- 75 :—यतः, मुझे, के० वी० राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० टी०एस० 235, पेरुमाल कोईल तेप्प-कुलम ईस्ट स्ट्रीट, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजि-स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुतुमन्डपम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती आन्डलम्माल और आदि मदुरै (अन्तरक)

(2) श्री वी० रामस्वामी रेड्डीयार मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, पेरुमाल कोईल तेप्पकुलम ईस्ट स्ट्रीट टी० एस० सं० 235 में 4681 स्कुयर फीट का काली भूमि (आधा-भाग)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 2-5-1975
मोहर :

आई०टी०एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मई 1975

निदेश सं० X/10/12बी० 74-75:— अत:, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० टी०एस० 235, पेरुमालकाईल तेप्पकुलम ईस्ट स्ट्रीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पतुमन्डपम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती आन्डालम्माल और आदि मदुरै (अन्तरक)

(2) श्री वी० आर०, रंगनाथन, मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, पेरुमालकोईल तेप्पकुलम ईस्ट स्ट्रीट टी०एस० सं० 235 में 4681 स्कुयर फीट का काली भूमि (आधा भाग)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 मई 1975

निदेश सं० IX/3/107/74-75:— यतः, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 23/24, कासा मेजर रोड मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, नवम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती सुकन्या देवी हैदराबाद-4 (अन्तरक)

(2) श्री एम० एम० अहमद मद्रास-8 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास 8 एगमोर, कासा मेजर रोड डोर सं० 23/24 में ग्रोन्ड और 1350 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (जिसका एस० सं० 471/भाग)।

के० वी० राजन,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, मद्रास

दिनांक : 3-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 की) धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनाक 14 मई 1975

निदेश सं० IX/7/61 -- यतः, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० 53 है, जो मन्नारस्वामी कोविल गली, रायपुरम, मद्रास-13 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28 अक्तूबर, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री बस्तिमल, 53, मन्नारस्वामी कोविल गली रायपुरम, मद्रास-13 (अन्तरक)

(2) श्रीमती पनासी बाई, 118, मन्नारस्वामी कोविल गली, मद्रास-13 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण--इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, 1961 (1961 का के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

53, मन्नारस्वामी कोविल गली, रायपुरम, मद्रास-13 आर० एस० बा० 825 वि० 2760 स्कोयर फीट।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनाक : 14-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, तारीख 14 मई, 1975

निदेश सं० IX / 7/78/74-75—यतः, मुझे, के० वी० राजन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 8 है, जो क्लब रोड, एग्मारू मद्रास - 8 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पश्चिम मद्रास, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4 अक्तूबर, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री एम० श्यामसुन्दर शेट्टी (अ) सुब्बराया शेट्टी । 8, क्लब रोड, एग्मार, मद्रास -8 (अन्तरक)

(2) श्रीमती (डा०) एल० सुकमारन W/o टी० के० सुकमारन 3, गली I सुब्रह्मण्यम पुरम, कोरकुडी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर और भूमि डी० नं० 8, क्लब रोड, एग्मोर, मद्रास-8 2- ग्राऊण्डस , 650 स्कोयर फीट ।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास ।

तारीख : 14-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मई 1975

निदेश सं० X/1/(i) /35/74-75— यतः, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 58 एफ मुनीचाले रोड, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

17—116GI/75

(1) श्री एम० मोहम्मद सिकन्द्र, मदुरै (अन्तरक)

(2) के० मोहम्मद ईसमैल, आलगुलम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै मुनीचाले रोड डोर सं० 58 एफ में 2325 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (टी० एस० सं० 805)।

के० वी० राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मई 1975

निदेश सं० X/1(i)/36/74-75:— अतः, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक और जिसकी सं० 58, एफ मुनीचाले रोड, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मदुरै में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उस दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० मोहम्मद सिकन्दर, मदुरै (अन्तरक)

(2) श्री के० एम० मोहम्मद मोहीदीन, मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै मुनीचाले रोड डोर सं० 58 एफ में 2325 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (टी० एस० सं० 805)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मई 1975

निदेश सं० X/1 (iii) /1/74-75 --- अतः, मुझे, के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 8 और 9 लक्ष्मीपुरम रोड स्ट्रीट मदुरै है, जो में स्थित है. (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० एम० ए० एस० पी० नारायणन चेट्टीयार, मदुरै (अन्तरक)

(2) कुमारी मीनाल और पूमलम्माल मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै लक्ष्मीपुरम रोड स्ट्रीट डोर सं० 8 और 9 में 1251 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (टी० एस० सं० 1268, 1269 और 1270)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा-269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, तारीख 2 मई, 1975

निर्देश सं० X/10/18 ए/74-75--यतः, मुझे के० वी० राजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 247ए, गुडरोड स्ट्रीट और 7ए, 7बी, 7 सी, और 7 डी नार्थ वडममोक्की स्ट्रीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुतुमन्डपम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफलकी के लिए अन्तरित गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों), और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्री पी० जी० सुन्द्रम और पी० एस० गोपाल, मदुरै (अन्तरक)

(2) के० रंगस्वामी अलगापुरी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, गुडरोड स्ट्रीट डोर सं० 247ए और नार्थ वडममोक्की स्ट्रीट डोर सं० 7ए, 7बी, 7सी, और 7 डी में 1438 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (आधा भाग) (टी० एस० सं० 727)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास।

तारीख : 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मई 1975

निदेश सं० X/10/18 बी /74-75 :— यतः, मुझे, के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है। और जिसकी सं० 247 ए गुगशेड स्ट्रीट और 7ए, 7बी, 7सी, 7 डी, नार्थ वडममावकी स्ट्रीट है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पन्डमन्डपम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, नवम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री पी० जी० सुन्दरम और पी० एस० गोपालन मदुरै (अन्तरक)

(2) श्री के० कुमरप्पन, अलगापुरी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो' के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, गुडशेड स्ट्रीट डोर सं० 247 ए और नार्थ वडममाक्की स्ट्रीट डोर सं० 7, 7ए, 7बी, 7सी, और 7डी, में 1438 स्कुयर फीट की भूमि और मकान (टी० एस सं० 727) (आधा भाग)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 मई, 1975

निदेश सं० X/10/20/74-75 :—— अतः, मुझे, के० वी० राजन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० 24 तमिल संगम रोड मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुतुमन्डपम मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 दिसम्बर 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्रीमती वी० आर० सरस्वती अम्माल, मदुरै (अन्तरक)

(2) श्री एम०एस० मुरुगेसन, परमक्कुडी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, तमिल संगम रोड डोर सं० 24 में 1980 स्कुयर फीट की भूमि और मकान (जिसका एस० सं० 1264)।

के० वी० राजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास,

तारीख : 2-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

ारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, मद्रास ।

मद्रास, दिनांक 2 मई, 1975

निर्देश सं० एक्स/10/21 ए०/74-75—यत: मुझे, के० वी० राजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी संख्या 48, वेस्ट पेरुमाल मेस्त्री स्ट्रीट, मदुरै है, जो में स्थित है (और जिससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुनमल्लपम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1808 का 16) के अधीन 16 दिसम्बर 1974 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है–

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एल० कृष्णासामि भारती मदुरै (अन्तरक)

2. श्री एम० राजाराम, मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी, अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा या ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै वेस्ट पेरुमाल मेस्त्री स्ट्रीट डोर सं० 48 में 3234 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (आधा भाग) (जिसका टी० एस० सं० 372) ।

के० वी० राजन,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,
मद्रास ।

तारीख : 2-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- I, मद्रास

मद्रास, 600006 दिनांक 2 मई 1975

निर्देश सं० एक्स/10/21 बी०/74-75—यत: मुझे, के० वी० राजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 48, है, जो वेस्ट पेरुमाल मेस्त्री स्ट्रीट मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुतुमन्डपम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन दिसम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. एल० कृष्णसामि भारती, मद्रास-31 (अन्तरक)
2. एम० रामकृष्णन, मदुरै । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकें ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मदुरै वेस्ट पेरुमाल मेस्त्री स्ट्रीट डोर सं० 48 में 3234 स्कुयर फीट का भूमि और मकान (आदा भाग) (जिसका टी० एस० सं० 372) ।

(के० वी० राजन)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास ।

तारीख : 2-5-1975
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, ज्योती बिल्डिंग्स, गोपाल प्रभु रोड,
एरनाकुलम कोच्चिन-11

कोचीन, दिनांक 19 मई, 1975

निर्देश सं० एल० सी० सं० 41/75-76—यतः मुझे, के० राजगोपालन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 647/1 है तथा जो ज्यू स्ट्रीट, एरणाकुलम विल्लेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एरणाकुलम मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-8-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

18—116GI/75

1. श्री रामचन्द्र षेणोय, जनारदना षेणोय के० पुत्र, शंकरश्शेरी परबू, त्रिकनारवट्टम, एरणाकुलम (अन्तरक)

2. श्रीमती (1) ओमना (2) लीला (3) मागी, (मेटल्लाइडस, ज्यूस स्ट्रीट, एरणाकुलम, दे पार्टनरों) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एरणाकुलम विल्लेज, कोविलवट्टम देश के ज्यूस स्ट्रीट, के सर्वे सं० 647/1 में मकान से युक्त 11 सेन्टस् भूमि । मकान स XXX II 1333 ।

के० राजगोपालन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम ।

तारीख : 19-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालधर

जालधर, दिनांक 20 मई 1975

सं० ए०पी०-880---यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4051 अगस्त 1974 को लिखा है तथा जो आउजला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त, 1964 को
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रीतम सिंह गाव मरीह तहसील, नकोदा। (अन्तरक)

(2) सर्व श्री दर्शन सिंह ओम प्रकाश तहसील फिल्लौर सुपुत्र श्री गुरदास राम गाव अजोला।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4051 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी फिल्लौर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालधर

तारीख : 20 मई, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर, दिनांक 20 मई 1975

स० ए०पी०875/166—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2067 अगस्त, 1974 में लिखा है तथा जो तलवान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री उद्धम सिंह सुपुत्र श्री वरयाम सिंह निवासी तलवन तहसील फिल्लौर

(अन्तरक)

(2) श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री उद्धम सिंह निवासी पवादड़ा तहसील फिल्लौर जालंधर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2067 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिल्लौर मे लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालंधर

तारीख : 20-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर, दिनांक 20 मई, 1975

निर्देश सं० ए०पी० 877/167—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4075 अगस्त, 1974 में लिखा है और जो में स्थित है (और इससे उपबाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिट्रीकर्ता के कार्यालय, फिल्लौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के आधीन अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री उद्धम सिंह सुपुत्र श्री वरयाम सिंह निवासी तलवन तहसील फिल्लौर।

(अन्तरक)

(2) श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री उद्धम सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह निवासी पवादड़ा तहसील फिल्लौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4075 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फिल्लौर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालंधर

तारीख : 20-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 मई 1975

निर्देश सं० सी० ए० 5/सप्टेबर 1974/बम्बई (पूना)/195/75-76—यतः मुझे, एच्० एस्० औलख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सब प्लाट 'सी' फायनल प्लांट क्र० 64 रिव्हीजन सं० नं० 29, 30, 31, 31/1, 32 है तथा जो शिवाजी नगर (पूना) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. जहांगीर एच्० जहांगीर ट्रस्ट ट्रस्टीज :—
(1) श्री कैखुश्री होरमसजी कामा
(2) लेडी हिराबाई कावसजी जहांगीर
(3) सर हिरजी जहांगीर खुरशेदचर मंचेर शां खान
(4) लेडी जिनू हिरजी जहांगीर रेडी मनी मंन्शान, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, बंबई-1 (अन्तरक)

2. अश्विनी सहकारी गृहरचना संस्था, मर्यादित चेअरमैन श्री गजानन मोरेश्वर गोसावी 931/7, शुक्रवार पेठ, पूना-2 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्री होल्ड प्लॉट

सब प्लाट 'सी' फायनल प्लॉट क्र० 64 संगमवाड़ी टाउन प्लनिंग स्कीम पूना, भांबुर्डी अब 'शिवाजी नगर' से, नाम से परिचित पूना रिव्हीजन सर्वे क्रमांक 29, 30, 31, 31/1, 32 क्षेत्रफल 22182 वर्ग मीटर्स।

एच्० एस्० औलख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना।

तारीख: 19-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 मई 1975

निर्देश सं० सी० ए० 5/सप्टेंबर 1974/सोलापूर/196/75-76—यतः मुझे, एच्० एस्० औलख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० टी० पी० स्कीम क्र० 4 फायनल प्लाट क्र० 104 है तथा जो सोलापूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूपसे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सोलापूर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 22) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अंबनप्पा महंतप्पा पाटील सोलापूर अर्मी द्वारा भारत फोर्ज कंपनी लि० निर्मल बिल्डिंग नरीमन पांईन्ट, बम्बई। (अन्तरक)

(2) श्री सिद्धनिन सहकारी गृह-निर्माण सस्था मर्यादित चेअरमैन लक्ष्मणराव बाबुराव देशमाने कागदी चाक, 147/4, रेल्वे लाईन्स सोलापूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्री होल्ड खुले प्लाट्स :—

टी० पी० स्कीम क्र० 4 फायनल प्लॉट क्र० 104, ओरिजिनल प्लॉट क्र० 37

सर्वे क्रमांक 471/1/1, 471/1/2, 471/1/3 सीतापूर

प्लॉट क्र०	क्षेत्रफल
1	2037.50 वर्ग फीट
8	4275 वर्ग फीट
9	4040 वर्ग फीट
10	3090 वर्ग फीट
17	3420 वर्ग फीट
19	2000 वर्ग फीट
20	4000 वर्ग फीट
21	4000 वर्ग फीट
22	4000 वर्ग फीट

एच्० एस० औलख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना।

तारीख : 19-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 19 मई 1975

निर्देश सं० ए० एस० आर०/75/75-76—यतः, मुझे, वी० आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो रैय्या में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बाबा बकाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

(1) श्री गुरदयाल सिंह सपुत्र श्री बुआ सिंह गाँव वेहला तसील तरनतारन तथा रत्न सिंह सपुत्र चेंचल सिंह गाँव बालाचक तसील तरनतारन (अन्तरक)

(2) श्री करनैल सिंह सपुत्र उजागर सिंह गुरदयाल सिंह सपुत्र करनैल सिंह अमरीक सिंह सपुत्र करनैल सिंह, अमरजीत सिंह सपुत्र करनैल सिंह गाँव काला नंगल तसील बटाला। श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी इकबाल सिंह प्लाट नं० 3 ए० कोर्ट रोड अमृतसर। जगतार कौर पत्नी दसोधा सिंह 54 कोर्ट रोड अमृतसर सुखवंत कौर पत्नी बलबीर सिंह गाँव शहीद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1193 सितम्बर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बाबा बकाला में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर।

दिनांक : 19-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 19 मई 1975

निर्देश नं० एम० एल० टी०/76/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)। की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मलोट मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित र), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री महाबीर सिंह सपुत्र श्री बलवन्त सिंह वासी पटियाला। (अन्तरक)

(2) श्री गुरदेव सिंह तथा जगराज सिंह वगैरा सपुत्रान श्री निक्का सिंह वासी मलोट। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1739 सितम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट मे है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 19-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 19 मई, 1975

निर्देश नं० एम० एल० टी०/77/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मलोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री महाबीर सिंह, जनरल अटार्नी फार बलवंत सिंह वासी सरहिन्द रोड, पटियाला (अन्तरक)

(2) श्री जगराज सिंह, गुरदेव सिंह, हाकिम सिंह, तथा बलवन्त सिंह, सपुत्रान श्री निक्का सिंह वासी मलोट (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रूचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1727 सितम्बर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख: 19-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 19 मई, 1975

निर्देश नं० एम०एल०टी०/78/75-76—यतः, मुझे, वी० आर० सगर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मलोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख सितम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री बलवन्त सिंह वासी पटियाला।
(अन्तरक)

2. श्री जगराज सिंह वगैरा मलोट।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 म है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग संपत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो संपत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1739 सितम्बर 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 19-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 19 मई 1975

निर्देश नं० बी०टी०डी०/79/75-76—यतः मुझे वी०आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो भटिंडा गोनियाना रोड भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. हरबिन्द्र सिंह सपुत्र करतार सिंह सपुत्र संत राम वासी भटिंडा।

(अन्तरक)

2. श्री सोमदत्त सपुत्र रौनक राम सपुत्र बालक राम, आत्मा राम सपुत्र चानन राम सपुत्र माघी राम, स्नेहलता पत्नी सोहनलाल सपुत्र बलोरी राम वासी भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो संपत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3778 सितम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा म है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 19-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 19 मई 1975

निर्देश सं० एम०एल०टी/80/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गांव सरना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री धारा सिंह सपुत्र श्री पाला सिंह सपुत्र जैमल वासी सरना तहसील मुक्तसर।

(अन्तरक)

2. श्री हरदीप सिंह, गुरदीप सिंह, बकशीश सिंह सपुत्रान श्री धारा सिंह सपुत्र पाला सिंह वासी सरना।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो संमत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1763 सितम्बर 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में है।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 26-3-1975
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 19 मई 1075

निर्देश नं० एम०एल०टी०/81/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000-/ से अधिक है और जिसकी सं० भूमि का प्लाट है तथा जो मलोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का16 के अधीन, तारीख सितम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे/यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महाबीर सिंह सपुत्र श्री बलवंत सिंह सरहिन्द रोड़, पटियाला । (अन्तरक)

2. श्री/श्रीमती/कुमारी बलवंत सिंह वगैर मलौर (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो संपत्ति में रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 20 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 30-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1738 सितम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में है ।

(वी० आर० सगर),
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 19-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, तारीख 17- मई 1975

निर्देश सं० एस० आर० मंद सौर 30-9-74 :—अतः, मुझे श्री वी० के० सिन्हा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो मन्दसौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मन्दसौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-9-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री किशन गोपाल पुत्र नंदलाल आगरा निवासी मनासा मन्दसौर (अन्तरक)

(2) श्री मूलचन्द मोहनलाल निवासी मनासा -मन्दसौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट, मकान, उषा गंज वार्ड नं० 1 मनासा, मन्दसौर

वि० कु० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख :- 17-5-75
मोहर :-

प्ररूप आई० टी० एन० एस० — ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 1975

निर्देश सं० एस० आर० मन्दसौर :—अतः मुझे, वी० के० सिन्हा, आयकर अधिनियम, 1961 (1971 का 43) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है,) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ रुपये से अधिक है जिसकी सं० प्लाट है, जो मन्दसौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मन्दसौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-9-74

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री श्रीकृष्ण गोपाल पुत्र नन्दलाल आगरा (2) श्रीमती केशर बाई बेवा नन्द लाल आगरा निवासी मनासा जिला मन्दसौर । (अन्तरक)

(2) श्री सत्यनारायण पुत्र बन्शी लाल आगरा, 70, रामवाडी तीसरी मन्जिल तीसरी केनाल क्रास लेन बाम्बे नं० 2 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट /सुपर स्ट्रक चरक ग्राउण्ड फलौर ऐरिया मकान की स्थित वार्ड नं० 1 कुसा गंज ब्लाक नं० 48 मनासा जिला मन्दसौर

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 17-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 1975

निर्देश सं० एस० आर० मन्दसौर 13-9-75:-अतः, मुझे, श्री बी० के० सिन्हा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
जिसकी सं० मकान है, जो मन्दसौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मन्दसौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-9-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा में (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री किशन गोपाल पुत्र श्री नन्दलाल आगरी (2) श्रीमती केशर बाई बेवा श्री नंदलाल आगरा निवासी मनासा मन्दसौर (अन्तरक)

(2) श्रीमती ललिता बाई पत्नी अरुण कुमार सोमानी राजपुरा पंजाब (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बना हुआ मकान दो मंजिला, वार्ड नं० 1 31वां गंज ब्लाक नं० 47 मनासा सिटी मन्दसौर

बी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख :— 17-5-75
मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 1975

निर्देश सं० एस० आर० मन्दसौर 13-9-74 :—अतः, मुझे, श्री वी० के० सिन्हा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है जिसकी सं० प्लाट और मकान है, जो मन्दसौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मन्दसौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री किशन गोपाल पुत्र श्री नन्दलाल निवासी मनासा मन्दसौर (अन्तरक)

(2) श्रीमती शीला बाई पत्नी सत्यनारायण आगरा निवासी 70 रामन दी दूसरी मंजिल 3 केनल लार्डन बम्बई, - 2 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सक्षम प्राधिकारी
वी० के० सिन्हा
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख :—17-5-75
मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 1975

निदेश सं० एस० आर० इन्दौर /2-7-74 —अतः, मुझे, वी०के० सिन्हा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम, कहा गया है।)
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
जिसकी सं० कृषि भूमि 6·48 एकड़ है, जो [मकानात में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-8-74 को
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के अन्तरण के लिए तय पाया गया लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स कोशाल उद्योग (इण्डिया) 6-भुरई मोहल्ला इन्दौर (अन्तरक)

(2) श्री उत्सव धाराज (2) गजेन्द्र कुमार (3) सुरेन्द्र कुमार (4) देवेन्द्र कुमार (5) मुकेश-कुमार (6) शैलेश कुमार पुत्रगण श्री उत्सव लाल निवासी 6-भुरई मोहल्ला इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 6.48 एकड़ स्थित निरजन पुर तहसील इन्दौर आन बाम्बे आगरा रोड, इन्दौर फैक्ट्री बिल्डिंग, बंगलो और दूसरे मकानात

सक्षम प्राधिकारी
वी० के० सिन्हा
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 17-5-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, -IV कलकत्ता,

कलकत्ता, दिनांक 21 मई 1975

निर्देश सं० सि०-215/आर०-IV/कल०/75-76—अतः मुझे एस० भट्टाचार्य

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार, मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और और जिसकी सं० 59 है तथा जो बसाक बागन लेन मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती आभारानी साहा

(अन्तरक)

2. श्री प्रदीप कुमार साहा

(अन्तरिती)

3 श्री एम० के० दे, मंगल सि, सुखदेव सि०, बि० स० बिश्वास, ए० बनर्जी, बि० आर० मित्रा, जे० सि० दालाल

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन परिमाण 4 कट्ठा 7 छटाक और उस पर मकान, 59 बसाक बागान लेन, पानिपुकुर,, थाना दमदम, 24 परगणा।

एस० भट्टाचार्य
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज IV, कलकत्ता

तारीख : 21-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -IV, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 21 मई 1975

निदेश स० ए० सी० 216/आर०-IV /कल०/75-76—अत. मुझे एस० भट्टाचार्य आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० प्लाट नं० 5 है तथा जो बंगुर एम एवेन्यू मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम. 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. बेनी लिमिटेड

(अन्तरक)

2. श्री गिरिजा प्रसन्न लाहिड़ी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन परिमाण 2 कट्ठा 15 छटाक 11 स्कोयार फिट, और उसपर मकान, प्लाट स० 5 बंगुर एवेन्यू, ब्लाक-सी० साउथ दमदम म्युनिसिपलटी, जिला 24 परगणा।

एस० भट्टाचार्य
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-IV, कलकत्ता

तारीख : 21-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/मन्दसौर/4-8-74—अतः मुझे, वी० के० सिन्हा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट और बिल्डिंग है जो छावनी मंडी नीमच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मन्दसौर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कृशन गोपाल पुत्र नन्दलाल

(2) श्रीमती कैशर बाई विधवा नन्दलाल, मनासा जिला मन्दसौर।

(अन्तरक)

(2) श्री मनमोहन पुत्र श्री बसीलाल नीमच जिला मन्दसौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं 29 और दो मंजिला बिल्डिंग छावनी मन्डी, नीमच जिला मन्दसौर।

वी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 22-5-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 60/60 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना

पूना-411004, दिनांक 21 मई 1975

निर्देश सं० सी०ग्रो० 5/सितम्बर 74/हवेली-II, पूना)/197/75-76 यत: मुझे एच० एस० औलख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 35 से 40 है तथा जो वड़गाव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हवेली-II (पूना) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) 1. श्री माणिक चन्द मोती चन्दशहा 2. हिरा चन्द माणिकचन्द शहा 3. सौ० नवलबाई माणिक चन्द शहा 4. श्री मंदिर हिराचन्द शहा 5. जुगमंदिर हिराचन्द शहा 6. श्री अरिजय हिरा चन्द शहा 7. निरंजन हिरा चन्द शहा सभी 168 भवानी पेठ पूना-2 (अन्तरक)

(2) श्री सखाराम नारायण रावसणस वड़गांव खुर्द ता० हवेली जि० पूना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मौजे वडगांव बु० ता० हवेली जि० पूना स० नं० 35 से 40 में से फ्री होल्ड खेती की जमीन क्षेत्रफल 24 एकड़ 22 गुंठ।

एच० एस० औलख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज पूना।

तारीख : 21-5-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-,-I कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक 22 मई, 1975

सं० टी०आर० 224/सी० 322कल-1-74-75—यत: मुझे, एस० के० चक्रवर्ती हैं

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 4ए० है जो जवाहरलाल नेहरू रोड कलकत्ता में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 5 गवर्नमेंट प्रेस (नार्थ) कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के आधीन दिनांक 26-9-1974 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री कृष्ण चन्द्र दास

(अन्तरक)

(2) 1. जफार हुसेन 2. मोहम्मद हुसेन 3. मोहसिन भाई, 4. साबिर हुसेन

(अन्तरिती)

(3) 1. दुर्जन बिस्वास तथा अन्य 2 आबिद अली अब्दुल हुसेन 3. एम० बिस्वास एण्ड क० 4. लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल 5. बलदेव प्रसाद व गलवार (वह व्यक्ति जसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 ए० जवाहरलाल नेहरू रोड कलकत्ता में कुछ एक तल्ला तथा कुछ दो तल्ला मकान के अविभाजित 1/5 भाग जिसका क्षेत्रफल तीन कट्ठा 6 छटाक है।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -I कलकत्ता।

तारीख : 22-5-1974
मोहर :

Vide Para 139 (F) of the

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT & ACCOUNTS

List of Promissory Notes & Debentures kept in the Custody of the

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2¾% 1976	3% 1946	3% 1896-97	3½% 1865	3½% 1900-01	4% T.S.D.C.	4% 1960-70	4% 1980
1.	Priyalal Mukherjee on behalf of Ramesh Chilla, Banerjee, Signaller in-Charge Committee Tele. Office . . .							300	
2.	The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd. Ernakulam . . .								
	Total of Postal Contractors . .							300	
1.	The Civil & Military Gazette, Lahore				1300				
2.	The Trusties, Tribune Press Newspaper, Lahore					400			
3.	The Press Trust of India Ltd. Bombay	4300							
4.	The Press Trust of India Ltd. .	3700							
5.	The Press Trust of India Ltd. . .	12700							
6.	M/s. Dhanuka Industries . . .		500						
7.	M/s J.K. Business Machine (P) Ltd. .		1000						
8.	M/s Hoare Miller & Co. Ltd. Cal. .		8000						
9.	M/s Paul & Company . . .		2000						
10.	M/s National Cable Works Ltd. .		27000						
11.	Press Trust of India Ltd., Bombay .		7200						
12.	The Bharat Line Ltd.		3000						
13.	Balmer Lauree & Co. Ltd. Bombay .		100						
14.	Naran Das Rajaram & Co. P. Ltd. .		3000						
15.	Press Trust of India Ltd. Bombay .		26200						
16.	Killick Nixon Ltd.		12500						
17.	Protos Engineering Co. Private Ltd. .		10000						
18.	Turner Morrison & Co. Ltd. . .		9000						
19.	Gulf Oil (Indian) Private Ltd. .		12500						
20.	Life Insurance Corpn. of India, Central Office, Bombay		27000						
21.	Killick Nixon Ltd.		3500						
22.	M/s South Indian Export Co. Madras .		500						
23.	The Pioneer Ltd. Kucknow . .		1500						
24.	Mathrubani Printing & Publishing Co. Ltd., Khozikode, Calicut . .		1000						
25.	Rabindra Kumar Reshamwala . .		8000						
26.	M/s Rabindra Kumar Reshamwala .		3000						
27.	The Daily Gazette Karachi . . .		1000						
28.	M/s A.B. Pandit & Co. Karachi . .		1000						
29.	M/s Cowasjee & Sons, Karachi . .		200						
30.	M/s Louis Dofus & Co. Ltd., Karachi		500						
31.	M/s Eastern Steamship (Private) Ltd.		1000						
32.	M/s Gaunon Dunkenly & Co. Ltd. .		1000						
33.	Hind Shipping Agencies . . .		1500						
34.	United India Fire & General Insurance Co.		10000						
35.	The Daily Gazette Press Karachi . .							100	
36.	Messrs Burma Shell Oil Storage & Distributing Co. of India . . .							1500	
37.	Messrs Ralli Brothers Ltd. . .							1000	
38.	Messrs Burma Shell Oil Storage and Distributing Co. of India . . .							200	
39.	Messrs Burma Shell Oil Storage and Distributing Co. of India Rawalpindi							200	
40.	M/s Allahabad Bank Ltd. .								

P&T Audi Manual Vol. II

POSTS AND TELEGRAPHS, CALCUTTA

Accountant General Posts and Telegraphs on 31st Dec. 1974

11	12	13	14	15	16	17	18	
4 % 1981	4 % 1979	4½% 1973	4½% 1955-60	4½% 1985	4½% 1989	4½% W.B. Loan 1976	5½% Loan 1982	
								P.K. G. (Bengal & Assam)—Bangladesh
		2000						P.M.G. Kerala, Trivandrum
		2000						
								1. P.M.G. Punjab Telegraph Traffic Branch
								2. Do.
								3. Chief Supdt. C·T.O. Bombay.
								4. Do.
								5. Do.
								6. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta.
								7. Do.
								8. Do.
								9. Controller of Telegraph Stores, Alipur
								10. Manager Telegraph Workshop Alipur.
								11. Chief Supdt. C.T.O. Bombay
								12. Do·
								13. Do.
								14. Do.
								15. Do.
								16. Do.
								17. Do.
								18. Do.
								19. Do.
								20. Do.
								21. Do.
								22· Chief Supdt C.T.O. Madras
								23. Supdt-in-Chief C.T.O. Lucknow.
								24. Supdt. C.T.O. Kozhikodi. Calicut.
								25. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								26. Chief Supdt. C.T.O. New Delhi.
								27. Supdt.-in-Charge Telegraph Office Karach
								28. Do.
								29. Do.
								30. Do.
								31. Telegraph Office Supervision in Charge D.T.O. Matunga, Bombay.
								32. Chief Supdt. C.T.O., Bombay.
								33. Do.
								34. Do.
								35. Supdt.-in-Charge Telegraph Office Karachi
								36. Supdt. Telegraph Office Karachi.
								37. Supdt-in-Charge, Telegraph Office, Karachi.
								38. Chief Supdt. C.T.C. Lahore
						20000		39. Chief Supdt. C.T.O. Rawalpindi.
								40. Shief Supdt. C.T.o Calcutta.

'Vide Para 139 (F) of the

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT AND ACCOUNTS

List of Promissory Notes and Debentures kept in the Custody of the

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
		$5\frac{1}{2}\%$ Loan 1991	$5\frac{1}{2}\%$ Loan 1995	$5\frac{1}{2}\%$ Maha-rashtra S.D.Loan 1977	$5\frac{1}{2}\%$ Madhya Pradesh 1977	$5\frac{1}{2}\%$ Loan 1990	$5\frac{1}{2}\%$ Madras 1978	$5\frac{1}{2}\%$ 2000	$5\frac{1}{2}$ 1999
1.	Priyalal Mukherjee on behalf of Ramesh Ch. Banerjee, Signaller in-Charge Comilla Tele Office.								
2.	The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd. Ernakulam								
	Total of Postal Contractors								
1.	The Civil & Military Gazette Lahore								
2.	The Trusties Tribune Press Newspaper, Lahore								
3.	The Press Trust of India Ltd. Bombay								
4.	The Press Trust of India Ltd.								
5.	The Press Trust of India Ltd								
6.	M/s Dhanuka Industries								
7.	M/s J. K. Business Machines (P) Ltd.								
8.	M/s Hoare Miller & Co. Ltd. Cal.								
9.	M/s Paul & Company								
10.	M/s National Cable Works Ltd.								
11.	Press Trust of India Ltd., Bombay								
12.	The Bharat Wine Ltd.								
13.	Balmer Lauree & Co. Ltd. Bombay								
14.	Naran Dass Raja Ram and Co. P. Ltd.								
15.	Press Trust of India Ltd. Bombay								
16.	Killick Nixon Ltd.								
17.	Protos Engineering Co. Private Ltd.,								
18.	Turner Morrison & Co. Ltd.								
19.	Gulf Oil (Indian) Private Ltd.								
20.	Life Insurance Corpn. of India, Central Office, Bombay								
21.	Killick Nixon Ltd.								
22.	M/s South Indian Export & Co. Madras								
23.	The Pioneer Ltd. Lucknow								
24.	Mathrubani Printing & Publishing Co. Ltd. Khozikodie' Calicut								
25.	Rabindra Kumar Reshamwala								
26.	M/s Rabindra Kumar Reshamwala								
27.	The Daily Gazette Karachi								
28.	M/s A.B. Pandit & Co. Karachi								
29.	M/s Cowasjee & Sons, Karachi								
30.	M/s Louis Dofus & Co. Ltd. Karachi				I				
31.	M/s Eastern Steamship (Private) Ltd.								
32.	M/s Gaunon Dunkenly & Co. Ltd.								
33.	Hind Shipping Agencies.								
34.	United India Fire & General Insurance Co.								
35.	The Daily Gazette Press Karachi								
36.	Messrs Burma Shell oil Storage & Distributing Co. of India								
37.	Messrs Ralli Brothers Ltd.								
38.	Messrs Burma Shell Oil Storage & Distributing Co. of India								
39.	Messrs Burma Shell Oil Storage & Distributing Co. of India, Rawalpindi								
40.	M/s Allahabad Bank Ltd.								

P&T Audit Manual Vol. II .

POSTS AND TELEGRAPHS CALCUTTA

Accountants General Posts and Telegraphs on 31st Dec. 1974.

27	28	29	30	31	32	33	34	
5¾% W.B. 1979	5¾% Maharashtra S.D. Loan 1979	5¾% Maharashtra S.D. Loan 1980	4¾% Kerala S.D· Loan 1976	4½% Kerala S.D. Loan 1974				
								1. P.K.G. (Bengal & Assam)—Bangladesh.
								2. P.M.G. Kerala, Trivandrum

	1. P.M.G. Punjab Telegraph Traffic Branch
	2. Do.
	3. Chief Supdt. C.T.O., Bombay.
	4. Do.
	5. Do.
	6. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta.
	7· Do.
	8. Do.
	9. Controller Telegraph Stores, Alipore
	10. Manager Telegraph Workshop Alipur.
	11. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
	12. Do.
	13. Do.
	14. Do.
	15. Do.
	16. Do.
	17. Do.
	18. Do.
	19. Do.
	20 Do.
	21· Do.
	22. Chief Supdt. C.T.O. Madras.
	23. Supdt-in-Charge C.T.O. Lucknow.
	24. Supdt. C.T.O. Kozhikodi Culticut.
	25. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
	26. Chief Supdt. C.T.O. New Delhi.
	27. Supdt-in-Charge Telegraph Office Karachi
	28. Do.
	29. Do.
	30· Do.
	31. Telegraph Office Supervisor-in-Charge, D.T.O. Matunga, Bombay
	32· Chief Supdt. C.T.O, Bombay.
	33. Do.
	34. Do.
	35. Supdt.-in-Charge Telegraph Office, Karach
	36. Supdt. Telegraph Office Karachi
	37. Supdt.-in-Charge, Telegraph Office Karachi·
	38. Chief Supdt. C.T.O. Lahore.
	39. Chief Supdt. Rawalpindi.
	40. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	The Mathruphumi Printing & Publishing Co. Ltd., Khozikode . . .								
42.	The Daily Gazette Press, Karachi . .								
43.	The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.								
44.	Advani Orlikon Private Ltd. . .								
45.	The Maharastra State Co-operative Bank Ltd.								
46.	-do-								
47.	Allahabad Bank								
48.	Herbertson Ltd.								
49.	R.R. Nabar & Co.								
50.	Herbertson Ltd								
51.	M/s cooper Engineering Ltd.								
52.	M/s Greaves Cotton & Co. Ltd.								
53.	The Indian Overseas Bank Ltd.								
54.	M/s. Gannon Dunkenly & Co. Ltd.								
55.	M/s. Advani Oerlikon (Private) Ltd. .								
56.	M/s Gannon Dunkenly & Co. Ltd. .								
57.	Scindia Steam Navigation Co. Ltd. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
58.	Scindia Steam Navigation Co. Ltd. .								
59.	Reserve Bank of India . . .								
60.	Syndicate Bank Foreign Exchange Division								
61.	Batliboi & Co. Private Ltd. . .								
62.	Mehta Vokil & Co.								
63.	Development Secretary (f) Life Insurance Corpn. India			9000					
64.	The Indian Overseas Bank . . .								
65.	The Indian Overseas Bank . . .								
66.	The Indian Overseas Bank . . .								
67.	India Overseas Bank								
68.	Maharastra State Co-operative Bank .								
69.	United Bank of India, Calcutta . .								
70.	M/s. Syndicate Bank								
71.	M/s. Mackinnon Mackenzie & Co. (p) Ltd.								
72.	M/s Batliwala & Karani . . .								
73.	United Bank of India H.O. Calcutta .								
74.	Greaves Cotton & Co. Ltd. . .								
75.	Greaves cotton & Co. Ltd. . .								100
76.	Killick Nixon Ltd.								
	Total of Telegraph Contractors . .	20700	182700	9000	1300	400	—	3000	100
	Total of P & T Contractors . .	20700	182700	9000	1300	400	—	3300	100

11	12	13	14	15	16	17	18	
			400					41. Supdt. C.T.O. Calicut, Malabar.
								42. Supdt.-in-Charge Telegraph Office,
								43. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								44. Do.
								45. Do.
								46. Do.
								47. Chief Supdt C.T.O. Calcutta.
								48. Chiet Supdt. C.T.O. Bombay.
								49. Do.
								50. Do.
								51. Supdt. C.T.O. Poona.
				5000				52. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
				500				53. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta
								54. Chief Supdt. C.T.O., Bombay.
								55. Do.
							35000	56. Do.
							15000	57. Do.
							40000	58. Do.
							30000	59. Do.
								60. Do.
								61. Do.
								62. Do.
								63. Telegraph-in-Charge, Departmental Tele Office Santacruz, Bombay.
								64. Chief Supdt. C.T.O. Madras.
					5000			65. Do.
					10000			66. Do.
					5000			67. Chief Supdt. C.T.O., Calcutta
					500			68. Chief Supdt. C.T.O., Bombay.
					6000			69. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta.
								70. Supdt. C.T.O. Mangalore.
								71. Chief Supdt. C.T.O., Bombay.
								72. Do.
								73. Chief Supdt. C.T.O. Cal.
								74. Chief Supdt. C.T.O., Bombay.
	1000							75. Do.
								76. Do.
1000	1000	—	400	5500	26500	20000	120000	
1000	1000	2000	400	5500	26500	20000	120000	

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
41.	The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd. Khozikod								
42.	The Daily Gazette Press, Karachi								
43.	The Maharastra State Co-operative Bank Ltd.			300					
44.	Advani Orlikon Private Ltd.								
45.	The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.				2000				
46.	The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.			7700					
47.	Allahabad Bank								
48.	Herbert Son Ltd.					1400			
49.	R.R. Nabar & Co.					100			
50.	Herbertson Ltd.	800							
51.	M/s Cooper Engineering Ltd.	2500							
52.	M/s Greaves Cotton & Co. Ltd.	5000							
53.	The Indian Overseas Bank Ltd.								
54.	M/s Gannon Dunkenly & Co. Ltd.								
55.	M/s Advani Oerlinkon (Private) Ltd.						3000		
56.	M/s Gannon Dunkenly & Co. Ltd.								
57.	Scindia Steam Navigation Co. Ltd.								
58.	Scindia Steam Navigation Co. Ltd.								
59.	Reserve Bank of India								
60.	Syndicate Bank Foreign Exchange Division		700						
61.	Batliboi & Co. Private Ltd.								
62.	Mehta Vokil & Co.								
63.	Development Secretary (f) Life Insurance Corpn. India								
64.	The Indian Overseas Bank								
65.	The Indian Overseas Bank								
66.	The Indian Overseas Bank								
67.	India Overseas Bank							25000	
68.	Maharashtra State Co-Operative Bank								25000
69.	United Bank of India, Calcutta							76700	
70.	M/s Syndicate Bank							1100	
71.	M/s Mackinnon Mackenzie & Co. (P) Ltd							25000	
72.	M/s Batliwala & Karani								
73.	United Bank of India H.O. Calcutta								
74.	Greaves Cotton & Co. Ltd.								
75.	Greaves Cotton & Co. Ltd.								
76.	Killick Nixon Ltd.								
	Total of Telegraph Contractors	8300	700	8000	2000	1500	3000	127800	25000
	Total of P & T Contractors	8300	700	8000	2000	1500	3000	127800	25000

27	28	29	30	31	32	33	34	
			700					41. Supdt. C.T.O. Callicut, Malabar.
								42. Supdt-in-Charge Telegraph Office Karachi
								43. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								44. Do.
	1500							45. Do.
								46. Do.
12000								47. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta.
								48. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								49. Do.
								50. Do.
								51. Supdt. C.T.O. Poona.
								52. Chief Supdt· C.T.O. Bombay.
								53. Chief Supdt. C.T.O Calcutta.
								54. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								55. Do.
								56. Do.
								57. Do.
								58. Do.
								59. Do.
								60. Do.
								61. Do.
	300							62. Do.
								63. Telegraph-in-Charge, Departmental Tele Office Santacruz, Bombay.
								64. Chief Supdt. C.T.O. Madras.
								65. Do.
								66. Do.
								67. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta.
								68. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								69. Chief Supdt. C.T.O. Calcutta.
								70. Supdt. C.T.O. Mangalore.
								71. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								72. Do.
								73. Chief Supdt. C.T.O. Cal.
								74. Chief Supdt. C.T.O. Bombay.
								75. Do.
		4000						76. Do.
12000	1800	4000	700	—	—	—	—	
12000	1800	4000	700	—	—	—		

Accounts Officer,
Posts and Telegraphs.
Calcutta

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE PERSONNEL DIVISION

Bombay-400 085, the 18th April 1975

No. PA/81(17)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Sharad Parshuram Nena, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in as officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

The 29th April 1975

No. PA/81(90)/74-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Amasapurapu Suryaprakasa Rao, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre ,in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975 until further orders.

The 30th April 1975

No. PA/81(16)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Balachandra Sitaram Manerker, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

P. UNNIKRISHNAN,
Dy. Establishment Officer (R)

Bombay-400 085, the 2nd May 1975

Ref. No. 5/1/75/Estt. V/49.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre hereby appoints Shri Bhimashankar Vishwanath Bhagunde, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer, in a temporary capacity in this Research Centre for the period 24-2-1975 to 11-4-1975.

A. SANTHAKUMARA MENON,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 29th March 1975

Ref. No. DPS/A/11013/4/73-Est./3394.—In partial modification to this Directorate notification of even number dated December 7, 1974 Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri V. C. Kuruvilla, a permanent Chief Storekeeper and officiating Stores Officer (Class II) in the scale of pay of Rs. 650-960 (Revised), as Assistant Stores Officer in the same scale of pay in a temporary capacity in the same Directorate with effect from October 5, 1974 until further orders.

K. P. JESEPH,
Administrative Officer

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 25th February 1975

No. NAPP/1(4)/74-Adm./543.—On his transfer from Rajasthan Atomic Power Project (RAPP) to Narora Atomic Power Project (NAPP) Shri B. G. Sharma, a temporary Scientific Officer/Engineer Grade SB (Electrical) relinquished charge of his post in RAPP on the afternoon of June 10, 1974 and assumed charge of the same post in same grade in NAPP on the forenoon of June 18, 1974.

2. Shri B. G. Sharma shall continue to hold charge of his post in grade SB in NAPP until further orders.

R. J. BHATIA,
General Administrative Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 4th April 1975

Ref. No. HWPs/Estt./1/M/13/2370.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Vasant Krishna Mahagaonkar, a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accountant of the Heavy Water Projects (Bombay Office) to officiate as Assistant Accounts Officer in the same office from December 16, 1974 (FN) to April 1, 1975 (AN) vice Shri S. K. Limaye, Assistant Accounts Officer, granted leave.

T. C. SATHYAKEERTHY,
Senior Administrative Officer

Bombay-400 008, the 30th April 1975

No. 05000/J-26/2926.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Chakravarty Naresh Joshi, a temporary Foreman of Heavy Water Project (Kota) as Scientific Officer/Engineer (Grade SB) in the same Project, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of February 1, 1975, until further orders.

R. C. KOTIANKAR,
Senior Administrative Officer

RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

Kota, the 19th April 1975

No. RAPP/00101/75/Admn./R/S/872.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint the following officials as Scientific Officer/Engineer Grade-SB in a temporary capacity, in the same Project with effect from February 1st, 1976 until further orders :—

1. Shri S. K. Lal
2. Shri V. K. Srivastava
3. Shri Harbans Singh
4. Shri Karan Singh Ruhal
5. Shri O. P. Mishra
6. Shri I. P. Chadna

GOPAL SINGH,
Administrative Officer (E)

TARAPUR ATOMIC POWER STATION

Thana-401 504, 1975

No TAPS/ADM/735-A.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the *ad-hoc* appointment of Shri V. K. P. Pillai as Assistant Personnel Officer for a further period of four months from 1-3-1975 to 30-6-1975 or till a regular incumbent is appointed whichever date is earlier.

No. TAPS/ADM/735-A.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the *ad-hoc* appointment of Shri P. Ganapathy as Assistant Personnel Officer for a further period of four months from 1-3-1975 to 30-6-1975 or till a regular incumbent is appointed whichever date is earlier.

No. TAPS/ADM/735-A.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the *ad-hoc* appointment of Shri R. R. Nandooni as Assistant Personnel Officer for a further period of four months from 1-3-1975 to 30-6-1975 or till a regular incumbent is appointed whichever date is earlier.

No. TAPS/ADM/735-A.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the *ad-hoc* appointment of Shri M. T. Cherian as Assistant Personnel Officer for a further period of four months from 1-3-1975 to 30-6-1975 or till a regular incumbent is appointed whichever date is earlier.

The 1st April 1975

No. TAPS/ADM/947.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the *ad-hoc* appointment of Shri Y. R. Velankar as Assistant Accounts Officer for a further period of three months from the forenoon of March 21, 1975 or till a regular incumbent is appointed whichever date is earlier.

K. V. SETHUMADHAVAN,
Chief Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 14th April 1975

No. A.38012/1/75-EC.—Shri S. P. Chari, Senior Technical Officer, in the Office of the Director General of Civil Aviation relinquished sharge of his office on the 31st March, 1975 (AN) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

No. A.32013/1/74-EC.—The President is pleased to appoint Shri D. S. Srivastava, Assistant Technical Officer, Aeronautical Communication Station, New Delhi, as Technical Officer in the Central Radio Stores Depot, New Delhi, for the period from the 16th October, 1974 to 12th December, 1974 (AN) on purely and ad-hoc basis vice Shri K.P.B. Nair, Technical Officer, granted leave.

(This Department Notification No. A.32013/1/74-EC dated the 25th March, 1975, is hereby cancelled)

The 23rd April 1975

No. A.32013/5/73-EC.—The President is pleased to extent the ad-hoc promotion of the following Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officer in the Civil Aviation Department upto the 30th April, 1975 or till the posts held by them are filled on a regular basis, whichever is earlier :—

1. Shri N. R. Swamy,
2. Shri M. A Venugopal,
3. Shri N. N. Gopalan,
4. Shri R K. Verma,
5. Shri V. Alagiri,
6. Shri P. C. Banerjee,
7. Shri S. P. Hardas,
8. Shri K. K. Narayana,
9. Shri S. P. Jain,
10. Shri K. P. B. Nair, and
11. Shri B. D. Garekar.

The 1st May 1975

No. A.32014-1/74-EC.—The President is pleased to appoint Shri H. L. Sharma, Technical Assistant at Aeronautical Communication Station Delhi as Assistant Technical Officer at the same station on a purely ad-hoc basis with effect from the 17th March, 1975 until further orders.

No. A.12025/5/74-EC.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Chaudhary in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department as Technical Officer on a temporary basis at Aeronautical Communication Station, Calcutta with effect from 31-3-1975 (A N) and until further orders.

The 3rd May 1975

No A.32014/1/74-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri O. P. Ahuja, Junior Instructor Link Trainer at C.AT.C., Allahabad as Senior Instructor Link Trainer in the same office with effect from March 21, 1975 in an officiating capacity and until further orders.

The 16th May 1975

No. A.32013/11/73-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following officers in a substantive capacity in the grade of Assistant Technical Officer in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department with effect from 1st January, 1975—

1. Shri D. C. Mehta
2. Shri V. K. Babu
3. Shri M A. Venugopal
4. Shri V. Alagiri
5. Shri S. P. Hardas
6. Shri N. N. Gopalan
7. Shri R. K. Verma
8. Shri P. C. Banerjee
9. Shri Harish Chandra
10. Shri S. Krishnaswamy
11. Shri L. P. Singh
12. Shri N. Venkatapathy
13. Shri Mrinal Kanti Pal
14. Shri B. N. Godbole
15. Shri J. V. Sarma
16. Shri A. G. Narasimhan
17. Shri A. Jagadesan
18. Shri S. Jayaraman,
19. Shri S. Venkateswaran
20. Shri K. Srinivasan
21. Shri V. Srinivasan
22. Shri M. N. Adur
23. Shri P. J. Iyer
24. Shri K. K. Narayana
25. Shri S. P. Jain
26. Shri K. P. B. Nair
27. Shri B. D. Garekar
28. Shri L. P. Samuel

29. Shri A. N. Srivastava
30. Shri D. S. Srivastava
31. Shri J. C. Gupta
32. Shri K. V. Upadhyaya
33. Shri R. Sampath Kumaran
34. Shri P. K. B. Nair
35. Shri D. K. Chadda
36. Shri B. K. Sen Gupta
37. Kumari V. Ratnavati
38. Shri S. C. Dureja
39. Shri V. K. Gupta
40. Shri T. R Seshadri
41. Shri Ishar Singh
42. Shri S. K. Sharma
43. Shri K S. Srinivasan.

H. L. KOHLI, Dy. Director (Admn.)

New Delhi, the 9th April 1975

No. A.26015/1/75-EA.—The Director General of Civil Aviation hereby appoints the following persons to the post of Assistant Aerodrome Officer, Class II/Gazetted post, in the Air routes & Aerodromes Organisation of the Civil Aviation Department, in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35— 810 — EB — 35—880—40—1000— EB —40—1200 in a temporary capacity, with effect from the dates mentioned against their names and until further orders:—

Name & Date

1. Shri A. K Rao—6-1-75.
2. Shri G. L. Kantam—6-1-75.
3. Shri N. K. Awal—6-1-75.
4. Shri D. Ghosh—6-1-75.
5. Shri S. R. Iyer—6-1-75.
6. Shri V K. Yadav—6-1-75.
7. Shri Jagmohan Singh Negi—6-1-75.
8. Shri D. P. Ray Chaudhary—6-1-75.
9. Shri N. K. Sinha—7-1-75.

The 2nd May 1975

No. A31014/1/73EA.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri C. Vijaykumar in a substantive capacity in the grade of Assistant Aerodrome Officer in the Air Routes & Aerodromes Organisation of the Civil Aviation Department with effect from the 20th May, 1972.

The 8th May 1975

No. A35017/1/72EA.—On his appointment as Operations Officer in the International Airports Authority of India, Shri K. S. Jayaram, relinquished charge of the office of the Assistant Electrical & Mechanical Officer, in the office of the Electrical & Mechanical Officer, New Delhi on the Afternoon of the 28th April, 1972.

2. This cancels this Deptt. Notification No. A35017/1/72EA, dated the 19th June, 1972.

S. L. KHANDPUR, Assistant Director of Admn.

New Delhi, the 14th April 1975

No. A-31013/1/74-E(H).—The President is pleased to appoint Shri M D Naik, officiating Deputy Director General in a substantive capacity in the grade of Director of Aeronautical Inspection with effect from the 15th August, 1973, in the Civil Aviation Department.

The 17th April, 1975

No. A-32013/4/75-E(H).—The President is pleased to appoint Shri V. Chellappa, Deputy Director (Examinations) as Director of Air Safety on an ad-hoc basis in the Civil Aviation Department with effect from the forenoon of the 11th April, 1975, and until further orders.

The 1st May 1975

No. A-19014/118/72-E(H).(i).—On attaining the age of superannuation Shri M. D. Naik, retired from Government service and relinquished charge of the Office of the Deputy Director General in the Civil Aviation Department on the afternoon of the 30th April, 1975.

No. A.19014/118/72-E(H).(ii).—On attaining the age of superannuation Shri K. B. J. Shetty retired from Government service and relinquished charge of the Office of the Regional Director, Delhi Region, in the Civil Aviation Department on the afternoon of the 30th April, 1975.

The 13th May 1975

No. A.32013/9/74-EH.(i).—The President is pleased to appoint Shri G. R. Kathpalia, who was appointed as Deputy Director General on an ad-hoc basis with effect from 12-2-75 (FN) as Deputy Director General on regular basis in the Civil Aviation Department with effect from the forenoon of 3-5-1975 and until further orders.

No. A.32013/9/74-EH.(ii).—The President is pleased to appoint Shri C. R. Thirumali, Director of Communication as Deputy Director General on regular basis from the forenoon of 3-5-1975 in the Civil Aviation Department and until further orders.

T. S. SRINIVASAN, Assistant Director of Admn.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

(INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT)

New Delhi-3, the 23rd April 1975

No. E(1)04214.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri M. C. Chacko, Professional Assistant, Office of the Director, Regional Meteorological Centre, Nagpur, who was appointed to officiate as Assistant Meteorologist upto 23rd December 1974 vide this Department Notification No. E(1)04214 dated 22-10-1974, as Assistant Meteorologist in an officiating capacity with effect from 24th December, 1974 and until further orders.

Shri M. C. Chacko, Officiating Assistant Meteorologist remains posted in the office of the Director, Regional Meteorological Centre, Nagpur.

The 17th May 1975

No. E(I)04224.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri S. N. Sen, Professional Assistant Meteorological Centre, Ahmedabad under the Director, Regional Meteorological Centre, Bombay as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of eightynine days with effect from the forenoon of 17-4-1975.

Shri S. N. Sen, Offg. Assistant Meteorologist remains posted to Meteorological Centre, Ahmedabad under the Director, Regional Meteorological Centre, Bombay.

NOOTAN DAS, Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

Allahabad, the 8th May 1975

No. 46/1975.—Shri H. N. Biswas, officiating Assistant Collector of Central Excise, previously posted as Assistant Collector in the Central Excise Integrated Divisional Office, Allahabad, handed over charge of the office of the Assistant Collector, Central Excise, Allahabad in the afternoon of 30-4-1975 to Km. Dolly Saxena, Assistant Collector of Central Excise Collectorate Hdqrs. Office, Allahabad, in pursuance of this office Establishment Order No. 112/1975, dated 30-4-1975—issued under endorsement C No. II(3)160-Et/67/P II/14227-44, dated 30-4-1975 and retired from Government service w.e.f. the said date and hour.

H. B. DASS, Collector

Baroda, the 16th April 1975

No. 10/1975.—Shri M. J. Desai, Office Superintendent who is appointed to officiate as Administrative Officer, Central Excise, Class-II, under this Office Establishment Order No. 70/75 dated 20-3-75 has assumed the charge of Administrative Officer, Central Excise, Class-II on 3-4-1975 Forenoon at Divisional Office, Nadiad.

N. B. SANJANA,
Collector

Patna, the 16th April 1975

C. No. II(7)1-ET/70/3068.—In pursuance of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) New Delhi's order No. 22/75 dated 20-2-75 vide F. No. A-22012/5/75-Ad. II dated 20-2-75, Shri S. N. Pal lately posted as Superintendent Class II, Central Excise, Dalmianagar has on promotion assumed charge as Assistant Collector Central Excise, Hqrs. Office, Patna in the forenoon of 21-3-75.

The 25th April 1975

C. No. II(7)1-ET/70/3445.—In pursuance of Govt of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue and Insurance) New Delhi's order No. 34/75 dated 10-3-75 vide F. No. A-22012/5/75-AD. II dated 10-3-75, Shri C. D. Sah lately posted as Supdt. Class-II, Customs City Preventive, Muzaffarpur has on promotion assumed charge as Supdt. Class-I, Customs City Preventive, Muzaffarpur in the forenoon of 17-3-75.

H. N. SAHU,
Collector

DIRECTORATE OF INSPECTION, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 15th April 1975

No. 5/1975.—Shri K. D. Math, a Permanent Office Superintendent of this Directorate, is appointed as Assistant Chief Accounts Officer in the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise, New Delhi, w.e.f. 2nd April, 1975 (Forenoon) *vice* Shri S. N. Verma on deputation to the Tobacco Excise Tariff Experts Committee.

Shri G. S. Daroch, Appraiser Bombay Custom House who was on deputation in the Tariff Unit of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), assumed charge as Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Class II, in the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise, New Delhi on 1-4-1975 (Forenoon).

The 9th May 1975

No. 6/1975.—Shri J. M. Sharma, Preventive Inspector Bombay Custom House who was on deputation to the Directorate of Revenue Intelligence, assumed charge as Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Class II, in the Directorate of Inspection (Customs and Central Excise), New Delhi on 1-5-1975 (Forenoon) *vice* Shri K. A. Mujawar transferred.

B. S. CHAWLA,
Director of Inspection,
Customs and Central Excise

CUSTOMS

Bombay-38, the February 1975

No. 3/5-2-75.—On attaining the age of superannuation, Sri P. N. Divekar, Preventive Inspector of the Bombay Customs House retired from service with effect from the after noon of 31st December, 1974.

B. B. GUJRAL,
Collector of Customs,
Bombay.

NARCOTICS DEPARTMENT

Gwalior-6, the 13th May 1975

S. No. 11.—On his appointment, Shri D. B. Sharma an officiating Deputy Superintendent (Executive) assumed charge as Superintendent (Executive) in the scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000—EB —40—1200 in the forenoon of the 2nd April, 1975 and posted at Ghazipur vice Shri Birdeo Ram transferred.

S. No. 12.—On his transfer from Ghazipur, Shri Birdeo Ram, Superintendent (Executive) took over charge as District Opium Officer, Mandsaur III Division in the forenoon of the 8th April, 1975 relieving Shri Muneshwar Ram of the additional charge.

A. SHANKER,
Narcotics Commissioner of India

OFFICE OF THE CONTROLLER OF INSURANCE

Simla-4, the 19th May 1975

No. INS. 27(6)ADM/74.—Shri G. S. Sethi, officiating Assistant Controller of Insurance on *ad-hoc* basis, in the Officer of the Controller of Insurance, having reached the age of superannuation has retired from Government service with effect from the 30th April, 1975 (afternoon).

G. H. DAMLE,
Controller of Insurance

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 18th April 1975

No. A-12017/1/72-Adm. V(Vol. II).—In continuation of this Commisssion's Notification No. A-12017/1/72-Adm. V. dated 6-12-74, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following Research Assistants, to the grade of Assistant Research Officer (Scientific Chemistry Group), in the Central Water Commission in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for further periods as shown below against each :—

1. Shri M. Bhowmik—1-1-75 to 31-3-75
2. Shri M. P. Namboodri—1-1-75 to 31-3-75
3. Shri S. A. Basha—1-1-75 to 31-3-75.

The 21st April 1975

No. A-12017/1/72-Adm. V(Vol. II).—In continuation of this Commission's Notification No. A-12017/1/72-Adm. V. dated 6-12-74, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following Research Assistants, to the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Physics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB—40—1200, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for further periods as shown below against each :—

1. Shri D. D. Soni—1-1-1975 to 31-3-1975
2. Shri Ranjit Datta—1-1-1975 to 31-3-1975.

No. A-19012/75/70-Adm. V.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri P. B. Joshi relinquished charge of the office of Assistant Research Officer (Engineering), Central Water and Power Research Station, Poona, with effect from the afternoon of the 28th February, 1975, and retired from Government service with effect from the same date and time.

The 23rd April 1975

CORRIGENDUM

No. A-31012/2/73-Adm. V (Vol. III).—The name of Shri G. D. Koche appearing at Sl. No. 27 of the notification of even number dated the 2nd April, 1975, may be *read* as "SHRI C. D. KHOCHE".

JANGSHER SINGH,
Under Secretary.
for Chairman, C.W. Commission

New Delhi-22, the 12th May 1975

No. A-19012/242/71-Adm. V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to accept the resignation tendered by Shri H. S. Sabharwal from the post of Extra Assistant Director, Central Water Commission with effect from 16-4-73 (F.N.).

K. P. B. MENON,
Under Secretary,
for Chairman, C.W. Commission

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 21st April 1975

No. 4-3/55/Estt-II.—Shri R. Saxena is appointed as Assistant Administrative Officer, G.C.S. Class-II (Gazetted) in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on *ad-hoc* and temporary basis with effect from 9th April, 1975 (F.N.) in the Central Ground Water Board with his Headquarter at Faridabad till further orders.

D. PANDEY,
Superintending Engineer

GODAVARI WATER DISPUTES TRIBUNAL

New Delhi-110049, the 14th April 1975

No. 1(6)/73-KGWDT.—In exercise of the powers conferred by section 4(3) of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Godavari Water Disputes Tribunal hereby appoints Shri K. R. Mehndiratta, as a whole-time Assessor with effect from the forenoon of the 14th April, 1975, until further orders.

By order of the Tribunal.
R. P. MARWAHA,
Secretary

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF

New Delhi, the 22nd April 1975

No. 33/9/73-Admn. IV.—The Engineer-in-Chief, C.P.W.D., is pleased to appoint Mrs. Tripta Khurana as Temporary Assistant Architect on a pay of Rs. 650/-p.m. in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 plus usual allowances with effect from 7-4-75 F.N on the term and conditions as enumerated in this office Memorandum No. 33/9/73-Admn. IV, dated 22-1-75.

S. S. P. RAU,
Dy. Director of ADMN.

New Delhi, the 6th May 1975

No. 27-C/J(1)/69-ECI.—On attaining the age of superannuation, Shri John Mukand a permanent, Chief Engineer, C.P.W.D. (now on deputation to Iraq) retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 1975.

P. S. PARWANI,
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

PORT OF NEW TUTICORIN

Tuticorin-4, the 15th March 1975

No. 22013/1-75/Admn./1249.—The Chief Engineer & Administrator, Port of New Tuticorin is pleased to appoint Shri S. E. Abraham, Permanent S.A.S. Accountant in the Port of New Tuticorin on promotion as Accounts Officer in the Port on the scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200 in an *ad-hoc* basis with effect from the afternoon of the 28th February 1975 and until further orders.

No. A. 22013/1-75/Admn./1339.—The Chief Engineer & Administrator/Port of New Turicorin is pleased to appoint Shri V. S. Raman, Junior Engineer (Mechanical) in the Port of New Tuticorin on promotion as Assistant Engineer (Mechanical) in the Port on the scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB 35—880—40—1000 EB —40—1200 in a temporary capacity with effect from the Afternoon of the 4th March, 1975 and until further orders.

The 19th March 1975

CORRIGENDUM

No. 22013/1-75/Admn./1328.—The Pay scale to the post of Accounts Officer notified in this office Notification No. 22013/1-75/Admn./1249 dated 15th March 1975 may pleased be *read* as "Rs. 840—40—1000 EB —40—1200." *in stead of* "Rs. 650—30—740—35—810— EB 35—880—40—1000— EB 40—1200".

D. I. PAUL,
Chief Engineer & Administrator

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
POSTS AND TELEGRAPHS BOARD

New Delhi-110001, the 30th April 1975

No. 234/2/75-STA. II.—The Posts and Telegraphs Board is pleased to appoint Shri Sham Sunder, Engineering Supervisor of Delhi Telephone District at present working as Scientific and Technical Officer Grade II in Telecommunication Research Centre, New Delhi to officiate in T.E.S. Class II, purely in local arrangement with effect from 7/4/75 to 13/6/75 vice Shri D. B. Saxena, Assistant Director (CX-I) granted leave.

S. C. SACHDEVA,
Asstt. Director General (SGT)

NORTHERN RAILWAY
HEADQUARTERS OFFICE

New Delhi, the th April 1975

No. 752E/44-II(Eia).—The following officiating Dy. Chief Engineers (Class I), Northern Railway are confirmed in Senior Scale Rs. 700—1250— (AS)/1100—1600 (RS) on this Railway with effect from the dates noted against each :—

1. Shri Suresh Chandra, 15-1-70—Final.
2. Shri Virendra Kumar, 26-12-72—Final.
3. Shri S. T. Awatramani, 2-1-73—Final.
4. Shri M. Vishnumoorthy, 1-2-74—Final.

C. S. PARAMESWARAN,
General Manager

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Delhi Gate Services Private Limited

Delhi, the 22nd April 1975

No. 2135/5222.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Delhi Gate Services Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Suvina Private Limited

Delhi, the 9th May 1975

No. 2643-6131.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Suvina Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of India Wireless Service Private Limited

Delhi, the 16 May 1975

No. 2707-6375.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of India Wireless Service Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

R. K. JAIN,
Asstt. Registrar of Companies,
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Jodhpur Oils, Seeds, Grains and Silver Exchange Limited

Jaipur, the 14th May 1975

No. 1256/3472.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Jodhpur Oils, Seeds, Grains and Silver Exchange Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Jaipur Investment Limited

The 14th May 1975

No. 215/3483.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Jaipur Investment Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

R. D. KUREEL,
Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Ambica Saw Mills Private Limited

Ahmedabad-9, the 26th April 1975

No. 584/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ambica Saw Mills Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

J. G. GATHA,
Registrar of Companies, Ahmedabad

In the matter of the Companies Act, 1956, and of V. C. T. Funds Tiruchy Private Limited

Madras-34, the 26th April 1975

No. DN/5520/560(3)/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560(3) of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of V. C. T. Funds Tiruchy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. SRINIVASAN,
Assistant Registrar of Companies, T. Nadu.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Manilal Mohan Lal & Company Private Limited

Bombay, the 14th May 1975

No. 14443/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manilal Mohan Lal & Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. NARAYANAN,
Addl. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Sanjord Chemicals Private Limited

Ernakulam, the 28th April 1975

No. 2158/Liq./R-2906/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Sanjord Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Associated Roadways Private Limited

Cochin, the 5th May 1975

No. 1844/liq.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956, that M/s. Associated Roadways Private Limited has been ordered to be wound up by an order dated 8-4-1975 passed by the High Court of Kerala and that the Official Liquidator attached to the High Court of Kerala has been appointed as the Official Liquidator of the company.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Ettumanoor Motors Private Limited

Cochin, the 5th May 1975

No. 1740/liq.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956, that M/s. Ettumanoor Motors (P.) Ltd. has been ordered to be wound up by an order dated 8-4-1975 passed by the High Court of Kerala and that the Official Liquidator attached to the High Court of Kerala has been appointed as the Official Liquidator of the company.

P. S. ANWAR,
Registrar of Companies, Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Darbhanga Motor Service Private Limited

Patna, the 23rd April 1975

No. 3(704)74-75/380.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Darbhanga Motor Service Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. TAYAL,
Registrar of Companies, Bihar

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Bani Press Private Limited

Shillong, the 22nd April 1975

No. 296/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of Bani Press Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Dhubri Loan Office Limited

Shillong, the 22nd April 1975

No. 187/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Dhubri Loan Office Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. P. VASHISHTHA,
Registrar of Companies,
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,
Arunachal Pradesh & Mizoram, Shillong.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Lucknow, the 30th April 1975

INCOME-TAX

No. 52.—The Income-tax charge known as "Income-tax Officer, A-ward, Survey Circle, Lucknow is hereby abolished.

No. 53.—The sub-charge designated as "Income-tax Officer, B-ward, Survey Circle, Lucknow is hereby re-designated as "Income-tax Officer, D-ward, Circle II, Lucknow".

2. This order shall come into force with effect from 5-5-1975.

ORDER

Sub :—Income-tax Act 1961—Creation of a new Ward Income-tax Office, Bareilly.

No. 54.—A new ward to be known as E-ward is hereby created with effect from 5-5-1975 at Bareilly.

E. K. LYALL,
Commissioner of Income-tax,

Publication of Names in whose cases amount over rupees one lakh has been written of during the Financial Year 1974-75.

S. No.	Name & Address of the assessee.	Status	Asstt. Year	Amount written off	Brief reasons for write off
1	2	3	4	5	6
1.	Shri M.M. Verma, Rajpur Road, Dehradun.	Individual	1946—47 1948—49 1949—50	25,928 12,109 68,142 1,06,179	The assessee is alive but he is a disabled person. There is no information about any property or assets in his name. He was also declared insolvent in March 1951. The official Receiver vide his letter dated 26-9-1957 informed the I.T.O. that he had no funds at all in the account of the Estate of Shri M.M. Verma. There are no chances of recovery of the outstanding arrears of Rs. 1,06,179/- and the same is, therefore, written-off.

Note : The statement that the tax due from a person has been written off only means that in the opinion of the Income-tax Department it cannot on the date of publication be realised from the known assets of the assessee. The publication does not imply that the amount is irrecoverable in law or the assessee is discharged from his liability to pay the amount in question.

V. P. SHARMA,
Commissioner of Income-tax

Bombay, the 25th April 1975

INCOME TAX ESTABLISHMENT GAZETTED

No. 9.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of the Section 117 of the Act, 1961 (Act 43 of 1961), I, Shri O. V. Kuruvilla, Commissioner of Income-tax, Bombay City-I, Bombay have appointed the undermentioned Inspector of Income-tax to officiate as Income-tax Officer, Class-II with effect from the date shown against his name and until further orders.

Shri R. V. Shaikh, Inspector, Mkt. Ward, Bombay, 4-4-75.

2. He will be on probation for a period of two years in terms of letter F. No. 22/3/64-Ad. V dated 25-4-64 from the Government of India, Ministry of Finance (Deptt. of Revenue), New Delhi. The period of probation may, if necessary, be extended beyond the above period. Their confirmation and or retention in the post will depend upon successful completion of the probationary period.

3. Their appointments are made on a purely temporary and provisional basis and liable to termination at any time without notice.

O. V. KURUVILLA,
Commissioner of Incometax,
Bombay City-I, Bombay.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 5th March 1975

Ref. No. LDH/C/531/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 3-B, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, situated at Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in October, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd; Ludhiana. Through Shri Piare Lal, Director.
(Transferor)

(2) Shri Amar Singh, s/o Shri Labh Ram, Resident of Village Ajla, Tehsil Phillaur, District Jullundur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No: 3-B, measuring 500 sq. yds., originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupta Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 6020 of October, 1974 of the Registering Officer, Ludhiana).

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5th March, 1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 5th March 1975

Ref. No. LDH/C/532/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 2-B, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, situated at Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in October, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd; Ludhiana. Through Shri Piare Lal, Director.

(Transferor)

(1) (i) Shri Narinder Kumar, (ii) Shri Surinder Kumar Sons of Shri Kharati Ram, (iii) Smt. chand Rani w/o Surinder Kumar, (iv) Smt. Pushpa Wati, W/o Narinder Kumar, R/o 87-F, Atam Nagar, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2-B, measuring 400 sq. yds. originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupta Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 6047 of October, 1974 of the Registering Officer, Ludhiana).

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5th March, 1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 5th March 1975

Ref. No. LDH/C/533/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
Plot No. 2-A, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, situated at Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in October, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd; Ludhiana.
Through Shri Piare Lal, Director.
(Transferor)

(1) (i) Shri Sat Pal, (ii) Shri Inder Mohan Sons of Shri Kharati Ram, (iii) Smt. Raj Rani, W/o Shri Sat Pal, (iv) Smt. Usha Rani, W/o Inder Mohan, R/o 87-F, Atam Nagar, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2-A, measuring 400 sq. yds., originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupta Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 6189 of October, 1974 of the Registering Officer, Ludhiana).

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5th March, 1975.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 5th March 1975

Ref. No. LDH/C/534/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 8-A/2, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, situated at Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in October. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. Industrial Area 'A' Ludhiana. Vishwa Mitter Street, Civil Lines, Ludhiana. (Transferor)

(2) Sharv Shri (i) Romesh Kumar, (ii) Rajinder Kumar, sons of Shri Jagdish Rai, Residents of Mitter Street, Civil Lines, Ludhiana. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 8-A/2, measuring 337 sq. yds. originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupta Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 6222 of October, 1974 of the Registering Officer, Ludhiana).

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5th March, 1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 5th March 1975

Ref. No. LDH/C/530/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 3-A, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, situated at Ludhiana, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in October, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. Industrial Area 'A', Ludhiana. Through Shri Piare Lal, Director.

(Transferor)

(2) Shri Mohinder Singh, s/o Shri Amar Singh, Resident of Aajla, Tehsil Phillaur, District Jullundur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3-A, measuring 400 sq. yds., originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupa Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 6018 of October, 1974 of the Registering Officer Ludhiana).

G. P. SINGH
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5th March, 1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 5th March 1975

Ref. No. LDH/C/506/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 3-B, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, situated at Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ludhiana in December, 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd; Industrial Area 'A', Ludhiana. Through Shri Santosh Kumar Gupta, Director.
(Transferor)

(2) Shri Chiranji Lal, s/o Shri Ralla Ram, Resident of House No. 1134/23, Asad Nagar, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3-B, measuring 545 sq. yds., originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupa Road, Ludhiana.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 7710 of December, 1974 of the Registering Officer, Ludhiana).

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5th March, 1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 4th March 1975

Ref. No. SNG/10/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land measuring 107 anal 9 marlas, situated at Village Badh-Rukham, Tehsil & Distt. Sangrur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sangrur in December, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Vijay Kumar, s/o Shri Gagdish Chand through Mukhtiar-a-am, Shri Sita 1 Parshad, s/o Shri Nand Kishore, 305 Kucha Raja Sohan Lal, Bazar Sita Ram, Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Swaraj Spinning Mills Ltd. Regd., Office : Patiala, Through Shri Bal Kishan Single, Managing Director.

(Transferee)

(3) Shri Om Parkash, s/o Shri Ramji Dass, Village Gajewas.

(Person whom the under signed knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land, measuring 107 kanals 9 marlas situated in Village Badh-Rukhan, Tehsil and District Sangrur.

Khewat Khataumi No. 2/2, Khasra No. 98/126.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1890 of December, 1974 of the Registering Officer, Sangrur.)

G. P. SINGH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 4 March, 1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 7th March 1975

Ref. No. CHD/202/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop-cum-flat No. 32, Sector 23-C, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in October, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sarvshri (i) Kuldip Krishan Goswamy, (ii) Pradeep Krishan Goswamy, sons of Shri Ram Lal Goswamy, House No. 1117, Sector 23-B, Chandigarh.
(Transferor)

(2) Sarvshri (i) Gurdial Singh, (ii) Kirpal Singh, (iii) Naunihal Singh, sons of Subha Singh, Village Algon Kothi, District Amritsar.
(Transferee)

(3) (i) M/s. Partap Chand Kanwar Sain, Prop. Wool Store, (ii) M/s. Sham Kiryana Store. SCF No. 32, Sector 23-C, Chandigarh.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop-*cum*-flat No. 32, Sector 23-C, Chandigarh.

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 7-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 156, SECTOR 9-B, CHANDIGARH

Chandigarh, the 7th March 1975

Ref. No. KHR/10/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, situated at Village Togan, Tehsil Kharar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kharar in December, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sarvashri 1. Ram Singh, 2. Chaman Lal, 3. Kali Ram, sons of Babu, 4. Mula, son of Mehma, Village Togan, Tehsil Kharar.

(Transferor)

(2) Shri Ram Kishan, s/o Ch. Parma Nand, Resident of Kothi No. 1141, Sector 21-B, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Measuring 78 kanals 14 marlas, situated in village Togan Togan Tehsil Kharar.

Khewat and Khata No. 49/92, Khasra No.

11,	12,	13/1,	18/1,	18,2,	19,	20
8-0	8-0	6-13	1-12	6-8	8-0	8-0

22

13,	14,	14,	15,	16,	17,	17,	18
	1	2			1	2	
0-18	3-5	3-14	8-0	8-0	6-15	0-18	0-11

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3347 of December, 1974 of the Registering Officer, Kharar).

Seal :

G. P. SINGH
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 7-3-1975.

Seal:

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HAND-LOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 4th April 1975

Ref. No. 209/Acq. 23-309/6-1/74-75.—Whereas, I P. N. Mittal, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. B. Tika No. 7/1 Sur. No. 18 Census No. Ra/6/124 Land & Building situated at Kachhia Poles, Raopura, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Baroda on 26-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gangaben Bhikhabhai Patel Manipur Panchmahal).

(Transferor)

(2) Shri Hiralal Harilal Thakkar, Bhow Kale's Land, Raopura, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette for a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property comprising of Land and Building bearing Tika No. 7/1 Survey No. 18 Census No. Ra/6/124 with total land of 109 Sq. Yds. situated in Kachhia Pole, Raopura, Baroda as fully described in Sale Deeds registered under Nos. 4210, 4211 and 4213 dated 26-9-1974 by Registering Officer, Baroda.

P. N MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 4th April 1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II LOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 7th April 1975

Ref. No. PR. 210/Acq. 23-381/6-1/74-75.—Whereas, I P. N. Mittal, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. Tika No. D-1/10 Sur. No. 42/1 paiki open land adm. 1050 Sq. ft. situated at main road Fatehganj, Camp, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 3-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Vyankatrao Krishnarao Uplam, Vithalrao Krishnarao Uplam, Sayajirao Krishnarao Uplam, Madhuker Krishnarao Uplam, Fatehganj, Camp, through power of attorney holder Nazir Abdul Majid Patel, Baroda.

(Transferor)

(2) Abdul Majid Gulam Mohmed Patel, Fatehganj Camp, Baorda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Tika No. D. 1/10 Sur. No. 42/1 Paiki 1050 Sq. ft. facing road side of Fatehganj Camp, Baroda as fully described in Sale Deed registered under No. 3631 dated 3-9-1974 by Registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7th April, 1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RAGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th April 1975

Ref. No. RAC. No. 4/75-76.—Whereas, I K. S. Venkataraman, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3-4-16 situated at Limgampally Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 15-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vimla Bai, Aurangabhedkar W/o Sri Viswanatha Rao, Jagaikar, Residing at Aurangabad Distt.

(Transferor)

(2) Sri Chandrasekhara Shetty, P/r in Tourist Hotel, Kachiguda, Hyderabad.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Plot of land No. 6 with compound wall No. 3-4-16 at Bhoomanna Marg Road, Lingampally, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 4-4-1975.
Seal :

Form ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 5th April 1975

Ref. No. 36-B/Acq.—Whereas, I Bishambhar Nath being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 177 situated at Chitra Teh. Hasanpur, Distt. Moradabad (and more fully) described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Hasanpur on 10-9-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitri (Transferor)

(2) Shri Bhola Singh & others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An agricultural land No. 177 measuring 3086 acres of ? (15-43 Acres) situated at Village Chitra, Teh. Hasanpur, Distt. Moradabad.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 5-4-75
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RAGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 4th April 1975

Ref. No. RAC. No. 3/75-76.—Whereas, I K. S. Venkataraman, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion—3-4-809/1 situated at Barakatpura, Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Hyderabad on 28-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Harihar Deshpande, H. No. 3-4-809/1 Barakatpura, Hyderabad (Transferor)

(2) Smt. G. Padmamma, W/o Sri Ramchandra Reddy, and Smt. Shamala Devi, W/o Sri Kishan Reddy, residing at Madhapoor, Village, Timmapur Post, Ibrahimpatam, Tq. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Portion of house No. 3-4-809/1 Barakatpura, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 4-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 4th April 1975

Ref. No. F. 2274/74-75.—Whereas, I, A. Raghavendra Rao being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 16, situated at Tatabad 11th Street, Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferrerd under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhipuram (Doc No. 2947/74) on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such, apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Muthathal Achi, W/o Shri P. L. Kuppan Chettiar, No. 15/21 Oppanakkara St., Coimbatore.

(Transferor)

(2) 1. Shri M. Kulandaisami, 94-C, Nehru St., Ramnagar, Coimbatore.
2. Shri P. S. Shanmugam and.
3. Shri P. S. Chandrabose, Bharathiar Road, Ramnagar, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 19½ cents (with building) situated at Door No. 16, Tatabad 11th Street, Coimbatore.

A. RAGHAVENDRA RAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 4-4-1975.
Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 3rd April 1975

Ref. No. 12-D/Acq.—Whereas, I Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House No 555 situated at New Hyderabad Lucknow
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at
at Lucknow on 19-9-1974,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Latif Sultan Begum.

(Transferor)

(2) Shri Capt. Dhirendra Kohli & others.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house No. 555 measuring 7285 Sqr. fts situated at New Hyderabad Lucknow.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date . 3-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 3rd April 1975

Ref. No. *19-G/Acq.*—Whereas, I *Bishambhar Nath*, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. — situated at Mukteshwar Mohadeo, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Najibabad on 26-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following per- namely :—

(1) Shri Madan Lal.

(Transferor)

(2) Shri Gobind Ram.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house measuring 4099 Sqr. fts. situated at Mohalla Mukteshwar Mahadeo, Najibabad Distt. Bijnore.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 3-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 3rd April 1975

Ref. No. 13-L/Acq.—Whereas, I Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot Block A and B situated at Daulat Ganj Lucknow, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 28-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, is pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Victor Warann Vidyaul.

(Transferor)

(2) Shri Lakhan Lal Gupta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot Block A and B situated at Daulat Ganj Lucknow.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 3-4-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-V, BOMBAY-20

Bombay-20, the 4th April 1975

Ref. No. AR.V/170/4/74.—Whereas, I J. M. Mehta, being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a far market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 249 situated at Ghatkopar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer, at Bandra on 24-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Textile Processors P. Ltd.

(Transferor)

(2) Sudhadevi Siatram Garodia.

(Transferee)

(3) -do-
(Persons in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land situate at Ghatkopar admeasuring 301917 sq. yds. and known as 'E' being a portion of the land bearing survey No. 249 and Record of Rights Entry No. 822 Plot Hissa No. 1 and containing by admeasurement 138 acres and 27 guntas or thereabouts as per salt Dept. Licen situate at Ghatkopar in Greater Bombay, in the registration Sub-District of Bandra, Dist. Bombay Suburban, comprising about 2350 Mundies (salt pans) together with a well, chawl and sheds standing thereon and the passage leading thereto and bounded on the East by Khajan Land on the West by the land bearing survey No. 236, on the north by the land bearing survey No. 236 and on the south by Khajan Land with creed thereon.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V,
Bombay

Date : 4-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 3rd April 1975

Ref. No. 19-J/Acq.—Whereas, I Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Block No. 11 situated at Ishrat Ganj, Ballia,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer
at Ballia on 2-9-1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been
truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiative proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Saral Ram (Transferor)

(2) Juhi Gayika. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the name meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house block No. 11 measuring 35 ft. × 19 in. Sqr. fts. situated at Mohalla Ishrat Ganj, Distt. Ballia.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 3-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 1st April 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/232.—Whereas, I V. P. Mittal, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property, situated at Jaipur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jaipur on 4 September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Munir Khan S/o Shri Deen Khan R/o Purani Mandi Suratgarh at present R/o Ratangarh.

(Transferor)

(2) Shrimati Chirag W/o Shri Hakam Ali, R/o Surat-Garh, Distt. Sriganganagar.

(Transferee)

(3) Shri Anwar Hussain S/o Shri Rahmat Khan R/o Jaipur.

[Person in occupation of the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/8th portion of property toward western side of Mumtaz Bagh & behind Kamal & Co., M.I. Road, Chowkri Hawali, Jaipur.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur

Date 1-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad, the 29th March 1975

Ref. No. Acq.23-I-357(159)/16-6/74-75.—Whereas, I J. Kathuria,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act)' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Ward No. 6 Circle No 14. situated at Eastern side of Rajkot Gondal Road, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registring Officer at Rajkot. in September 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jayantkumar Madhavji, Gopal Bhuvan, 14, Bhaktinagar Society, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Pravinchandra Girdharlal Gadhia, 15, Sardar Nagar, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1129-6-30 sq. yds. bearing Ward No. 6, Circle No. 14, situated at Eastern side of Rajkot Gondal Road, Rajkot and bounded as under :—

East : Others property.
West : Others property i.e. Part of the same land.
North : 25' passage.
South : Swastik Estate or Anadkat Estate.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date :29-3-1975.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE I, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad, the 29th March 1975

Ref. No. Acq.23-I-355(160)/16-6/74-75.—Whereas, I J. Kathuria, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ward No. 6 Circle No. 14, situated at Mavdibal Plot, Gondal Road, Rajkot. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Rajkot in September 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Kirtikumar Madhavji, Gopal Bhuvan, 14, Bhaktinagar Society, Rajkot.

(Transferor)

(2) Smt. Taragauri Pravinchandra Gadhia, 15, Sardar Nagar, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 898.8.36 sq. yde. bearing Ward No. 6, Circle No. 14, Situated at Bondal Road, Mavdivala Plot, Rajkot and bounded as under :— ;
East : Others property (Part of the same land).
West : Rajkot Gondal Road.
South : Swastik Estate or Anadkat Estate,
North : 25 passage.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad.

Date :29-3-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad, the 20th March 1975

Ref. No. PR.198/Acq.23-357/19-7/74-75.—Whereas, I P. N. Mittal, being the Competent Authority under section 269B of income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Muni. Ward No. 1 Nondh No. 3219 Paiki, 3220 Paiki and 3221 Paiki situated at Ranjitram Road, Gopipura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 3-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Sarvoday a Shikshan Mandal through vice-president-Purshottamdas Laljibhai Chauhan, Surat.

(Transferor)

(2) M/s. Nikunj Enterprises, Surat through partner—Naliniben Babubhai Patel—Surat.

(Transferee)

*(4) (1) Man jibhai Mepabhai on behalf of. M/s Chauhan Construction Co.

(2) Enehal Corporation—Prop. Snehalata Jagdish Rawal, Surat.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property bearing nondh No. 3219 Paiki 3220 Paiki and 3221 Paiki admeasuring 120 Sq. yds. situated in Mun. Ward No. (1) at Ranjitram Road, Gopipura, Surat, as mentioned in the registered deed No. 3283 of September 1974 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range II,
Ahmedabad.

Date : 20-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE II, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad, the 20th March 1975

Ref. No. PR. 199/Acq.23-356/19-7/74-75.—Whereas, I P. N. Mittal, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25000/- and bearing No. Muni. Ward No. 1, Nondh No. 3219 paiki 3220 Paiki and 3221 Paiki situated at Ranjitram Road, Gopipura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 3-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Sarvodaya Shikshan Mandal through Vice-President Purshottam das Laljibhai Chauhan, Surat.

(Transferor)

(2) M/s. Smitha Builders & Land Development Corporation through partner—Jagdishbhai Revabhai Patel, Surat.

(Transferee)

(4) (1) Manjibhai Mepabhai on behalf of M/s. Chauhan Construction Co. (2) Snehal Corporation Prop : Snehalata Jagdish Rawal-Surat.

(4) [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property bearing nonds No. 3219 paiki, 3220 paiki and No. 3221 Paiki in Muni. Ward No. 1 admeasuring 120 Sq. yards situated at Ranjitram Road, Gopipura, Surat, as mentioned in the registered deed No. 3284 of September 1974 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad

Date : 20-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad, the 20th March 1975

Ref. No. 200/Acq.23-358/19-7/74-75.—Whereas, I, P. N. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Muni. Ward No. 1 Nondh No. 2805 paiki, 2807 B paiki, 2808 paiki & 2809 paiki situated at Nanpura, Lakkadkot Surat, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 6-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Beascon Construction Co., through partners: Thakorbhai Kevalbhai Patel Rameshchandra Makanji Patel through Mangubhai Parsottambhai Patel Natverbhai Chhotubhai Patel.

(Transferor)

(2) Noorani Apartment Co-operative Housing Society Ltd., through Chairman, Dahyabhai Kalyanji Patel Secretary—Yusufkhan Umarkhan Mistry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a peiod of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land (with plinth level construction) bearing nondh No. 2805 paiki, 2807 B paiki, 2808 paiki and 2809 paiki in Muni. Ward No. 1 admeasuring total area of 446 Sq. yards situated at Nanpura, Lakkadkot, Surat as mentioned in the registered deeds No. 3341, 3342 and 3343 of September, 1974 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Ahmedabad.

Date : 20-3-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras, the 31st March 1975

Ref. No. F. No. 2275/74-75.—Whereas, I, A. Raghavendra Rao, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Ganapathi village G.S. No. 116/2, 117, 118 & 119. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhipuram (Doc. No. 2762/74) on 11-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Thiruppathi; (2) Shri R. Damodaran; and (3) Shri R. Rajagopal, Sons of Namburar Rangaswami Naidu Maniakaranpalayam, Coimbatore.

(Transferor)

(2) Shri A. Marudhachalam, S/o Shri Ammasai Gounder, Maniakaranpalayam, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 5 acres and 83½ cents and bearing G.S. Nos. 116/2, 117, 118 and 119 situated at Ganapathi village.

A. RAGHAVENDRA RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-6.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras, the 31st March 1975

Ref. No. F. No. 2275/74-75.—Whereas, I, Raghavendra Rao,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
No. situated at Sanganur village—G.S. Nos. 116/2, 117, 118 & 119,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gandhipuram on 11-9-1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Thirupathi;

(Transferor)

(2) Shri R. Damodaran; and (3) Shri R. Rajagopal; Sons of Namburar Rangaswami Naidu, Maniakaranpalayam, Coimbatore.

(3) Shri A. Sundaram, S/o Shri Ammasai Gounder, Maniakaranpalayam, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 5 acres and 83¼ grounds and bearing G.S. Nos. 116/2, 117, 118 and 119 situated at Sanganoor village.

A. RAGHAVENDRA RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-6.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq./221.—Whereas, I V. P. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Chak 1A Chhoti (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sriganganagar on 12, September, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) faciliating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagmohan Singh S/o Shri Amolak Singh Sikh R/o Sriganganagar.

(Transferor)

(2) M/s. Indian Cold Storage & ICE factory Sriganga-Nagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2 Bghas of Nehri Agricultural Land of Murabha No. 39, Kila No. 5/1 & 6/1 situated in Chak No. 1A Chhoti Teh. & Distt. Sriganganagar.

V. P. MITTAL,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur.

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/222.—Whereas, I V. P. Mittal, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land situated at Chak No. 1A Chhoti,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Sriganganagar on 13th September, 1974.
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid, exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or 'said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagmohan Singh S/o Shri Amolak Singh Sikh R/o Sriganganagar.

(Transferor)

(2) M/s. Indian Cold Storage & ICE factory Sriganganagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2 Bighas of Nehri Agricultural land of Murabba No. 39 Kila No. 16/1 & 25/1 situated in Chak 1A Chhoti Teh. Distt. Sriganganagar.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur.

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/223.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Chak No. 1A Chhoti, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sriganganagar on 12th September, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons namely :—

(1) Shri Umraomal Sethia S/o Sohan Lal Sethia R/o 38, Baranasi Ghose Street, Calcutta.

(Transferor)

(2) S/Shri (i) Hari Prasad S/o Shri Mool Chand Mundra (ii) Ram Prasad S/o Shri Gordhan Das Agrawal (iii) Avtar Singh S/o Jiwan Singh (iv) Badri Prasad S/o Nand Ram Jat R/o Laduwala (v) Smt. Chand Rani W/o Shri Jagdish Prasad Sharma R/o Sriganganagar.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5 Bighas of Agricultural land of Murabba No. 48 (New) Kila Nos. 3, 8, 13, 18 & 23 situated in Chak No. 1A Chhoti Teh. Distt Sriganganagar.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range.
Jaipur.

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref. No. RAJ/IAC/Acq./224.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Chak No. 1A Chhoti, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Sriganganagar on 13th September, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Umraomal S/o Shri Sohanlal Sethia R/o 38 Baranasi Ghose Street, Calcutta.

(Transferor)

(2) Shrimati Sair Devi Kothari w/o Shri Jugraj Kothari R/o Churu.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land of Murabba No. 48 (New) Kila No. 1 situated in Chak 1A Chhoti Teh. & Distt. Sriganganagar.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/225.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the Competent Authority under section 269D of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Chak No. 1A Chhoti, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sriganganagar on 21-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269-C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Umraomal S/o Shri Sohan Lal Sethia R/o 38, Baranasi Ghose Street, Calcutta.

(Transferor)

(2) Shrimati Shila Devi w/o Shri Sada Ram Goel R/o Sriganganagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as re defined in Chapter XXA of the said, Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land of Murabba No. 48 (new) Kila No. 10 situated in Chak No. 1A Chhoti Teh & Distt. Sriganganagar.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Incometax
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Jaipur.

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/226.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Chak No. 1A Chhoti, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sriganganagar on 7-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Umraomal S/o Shri Sohan Lal Sethia, R/o 38, Baranasi Ghose Street, Calcutta.

(Transferor)

(2) S/Shri (i) Ram Lal Gupta (ii) Ram Pratap Gupta Ss/o Shri Behari Lal R/o Sriganganagar (iii) Gopi Ram Goyal S/o Shri Mangat Rai R/o Sriganganagar (iv) Brij Lal Saraogi S/o Shri Surajmal Agrawal R/o Sriganganagar (v) Smt. Tara Mani Gupta W/o Shri Ram Pratap Gupta, R/o Sriganganagar.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5 Bighas of Agricultural land of Murabba No. 48 (new) Kila No. 4, 7, 14, 17 & 24 situated in Chak No. 1A Chhoti Teh. & Distt. Sriganganagar.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Jaipur.

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq)/227.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agricultural land situated at Chak No. 1A Chhoti, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sriganganagar on 11-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Umraomal Sethia S/o Shri Sohan Lal Sethia R/o 38, Baranasi Ghose Street, Calcutta.

(Transferor)

(2) S/Shri (i) Shyam Sunder S/o Nihal Chand Sharma (ii) Om Prakash S/o Shri Bulaki Das (iii) Smt. Radha Devi W/o Shri Kishan Lal Mohta (iv) Ram Niwas Taparia S/o Shri Sukh Dev Das Taparia (v) Babu Lal Kothari S/o Shri Hira Lal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5 Bighas of Agricultural land of Murabba, No. 48 (New) Kila Nos. 5, 6, 15, 16 & 25 situated in Chak 1A Chhoti Teh. & Distt. Sriganganagar.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur.

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 26th March 1975

Ref No. Raj/IAC(Acq.)/228.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 13, situated at Udaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 4th September, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dal Chand S/o Shri Jeetmal Chaudhary R/o Lakhola Distt. Bhilwara.

(Transferor)

(2) Shri Randhir Singh (Minor) S/o Late Shri Bhairu Singh Shaktawat under the guardianship of his mother Smt. Anand Kumari Wd/o Shri Bhairu Singh Shaktawat R/o Bhinder Teh. Vallabh Nagar, Distt. Udaipur at present Sahelion-ki-Badi Udaipur.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion (Southern) of plot No. 13 situated near Sahalion ki Bari Udaipur with some construction thereon. Area of the sold plot is 4725 sq. ft.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur

Date : 26-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 29th March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/229.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the Competent Authority, under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 13 situated at Udaipur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 4th September 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dal Chand S/o Shri Jeetmal Choudhary R/o Lakhola Distt. Bhilwara.

(Transferor)

(2) Shrimati Anand Kumari wd/o Bhairu Singh Shaktawat R/o Bhinder at present R/o Sahelion Ki Bari, Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion (Northern) of plot No. 13 situated near Sahelion Ki Badi Udaipur. Area of this sold plot 4725 sq. ft.

V. P. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur

Date : 29-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 31st March 1975

Ref. No. Raj/IAC-Acq$230.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land in front of Tamadia Haveli, situated at Jaipur.
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
at Jaipur on 9-9-1974,
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Chandra S/o Shri Kanhaya Lal Mali R/o Thikana Tamadia Bagh, Amer Road, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Nisar Ahmed S/o Shri Iftakhar Ahmed R/o Khandar ka Rasta, Chowkri Gangapole, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4616 sq. yds including trees & well, Tin Shed structure etc. in front of Thikana Tamadia House situated in Chowkri Gangapole, Jaipur city.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant,
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Jaipur

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 31st March 1975

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/231.—Whereas, I, V. P. Mittal, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land, situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jaipur on 17-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated is the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Gori Singh Advocate S/o Thakur Shiv Sunder Singh Rajput R/o Malsisar House, Station Road, Jaipur.

(Transferor)

(2) (i) S/Shri Rameswar Lal Sharma S/o Shri Kheenwa Ram Sharma R/o Churu at present Station Road, Jaipur. (ii) Shri Om Prakash Sharma S/o Shri Mahavir Prasad Sharma, R/o Keria, Dist. Bhilwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act; shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 202.8 sq. yds. situated near Malsisar House, Station Road, Jaipur.

V. P. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 14th March 1975

Ref. No. 12-L/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2—5M situated at Chowak Katra (and more fully described in the Schedule anexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballia on 28-10-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Awadh Kishore Prasad and others.

(Transferor)

(2) Shri Laljee Agarwal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storeyed house Block No. 2—5M, alongwith plots No. 25, 26, 27, 28 & 29, situated at Chowak, Katra Distt., Ballia.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant.
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 14-3-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 21st March 1975

Ref. No. F.VI/20/1/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. situated at Seevalsaragu village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chinnalapatti on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arssing from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act) to the following persons, namely :—

(1) Shri Boomi Balagan and others, Vakkampatti.

(Transferor)

(2) Smt. Veeru Mallammal & Smt. Chandralekha, Mettupatti, Chinnalapatti, Ambathurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring about 11.37 acres in S. Nos. 209, 210/2, 213/3, 227/1, 227/3, 228/1, 228/3, 228/5 and 229 situated at Seevalsaragu village, Chinnalapatti.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant,
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-1, Madras-6.

Date : 21-3-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 9th April 1975

Ref. No. RAC. No. 6/75-76.—Whereas, I K. S. Venkataraman, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Portion No. 5-5-57/10 situated at Kattalmandi Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Hyderabad on 25-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Seva Bai, W/o Late Chiman Ram, H. No. 15-2-673 at Kishengunj, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Omprakash Sarada, S/o Ramnivas Sarada, H. No. 21-3-140 at Tagarinaka, (Kasarat) Hyderabad.

(Transferee)

(3) M/s. Ravi Oil Mill, H. No. 5-5-57/10 at Kattalmandi, Hyderabad.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Portion of house No. 5-5-57/10 at Kattalmandi, Goshamahal, Hyderabad. (Front Portion).

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 9-4-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 14th April 1975

Ref. No. 14-L/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafted referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. B. 12/95 and Plot No. B 12/88 situated at Gauri Ganj Varanasi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 30-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Amarendra Nath Kundu & Others. (Transferor)

(2) Shri Lakshman Das Mandani & Others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house No. B—12/95 and a plot No. B—12/88 situated at Mohalla Gauri Ganj Distt. Varanasi.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 15-4-1975

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISTION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 9th April 1975

Ref. No. 1—E/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land portion of H. No. 937 & 932 situated at Mirzapur—Jabbalpur Road (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Calcutta on 9-9-74/17-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been fully stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bijzapur Electric Supply Co. Ltd.

(Transferor)

(2) M/s. E Soften & Co. Pvt. Ltd.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 1249 sqr. yards being portion of house No. 937 and 932 situated at Mirzapur Kalan and Mirzapur Bathua on Mirzapur—Jabbalpur Road.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 9-4-1975
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 9th April 1975

Ref. No. 1-E/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. land of portion H. No. 937 & 932 situated at Mirzapur Jabbalpur Road (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 11-9-74/14-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Mirzapur Electric Supply Co. Ltd.

(Transferor)

(2) M/s. F. Softon & Co. Pvt. Ltd.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 4011.3 sqr. yards being portion of house No. 937 and 932 situated at Mirzapur Kalan, Mirzapur Bathua on Mirzapur—Jabbalpur Road.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 9-4-1975
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 9th April 1975

Ref. No. 1-E/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land of portion of H. No. 937 and 932 situated at Mirzapur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 6-9-74/19-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Mirzapur Electric Supply Co. Ltd. (Transferor)

(2) M/s. E Soften & Co. Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazettee.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 1661 sqr. yards being portion of house No. 937 and 932 situated at Mirzapur Kalan and Mirzapur Bathua on Mirzapur-Jabbalpur Road.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Inspecting Assistant
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-4-1975
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 9th April 1975

Ref. No. 49-M/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land portion of House No. 937 and 932 situated at Village Mirzapur, Teh. Sadar, P.S. Kotwali Katra (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Calcutta 1-9-74/19-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Mirzapur Electric Supply Co. Ltd. (Transferor)

(2) M/s. Mirzapur Cold Storage Co. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 4006 sqr. yards being portion of House No. 937 and 932 situated at Vill. Mirzapur, Teh. Sadar P.S. Kotwali Katra, Distt. Mirzapur.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 9-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE. LUCKNOW

Lucknow, the 11th April 1975

Ref. No. 11-U/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269D of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1 B and Nagar Mahapalika No. 561/21 situated at Sindhu Nagar, Thana Krishna Nagar, Lucknow
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Lucknow on 25/26-9-1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of in any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kundan Bai and others. (Transferor)

(2) Smt. Uma Agarwal and others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storyed house No. 1 B and Nagar Mahapaika No. 561/21 measuring 8500 Sqr. Fts. situated at Sindhu Nagar, Thana Krishna Nagar, Distt. Lucknow.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 11-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 11th April 1975

Ref. No. 30-K/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Banglow N. 57 Tagore Town Allahabad situated at Tagore Town Allahabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering office at
Allahabad on 25-9-1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) *facilitating the concealment of any income or* any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Anjali Biswas.

(Transferor)

(2) Sri Krishan Lal Grover and Others.

(Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Banglow No. 57, measuring app. 1000 Sqr. yards and constructed portion nearly 212 Sqr. yards, situated at No. 57, Tagore Town Allahabad.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 11-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/74-75.—Whereas, I, M. F. Munshi being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (herein after referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. plot and house situated at 655 Napier Town, Jabalpur—area 26078 sq. ft. situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 16-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kasturilal Mathuradas S/o late R. B. Motiram Mathuradas, R/o 91 Queen's Road, Pearl Mansions, 5th Floor, Bombay-20.

(Transferor)

(2) Shri Bharat Bhaskar S/o Shri T. N. Bhaskar, R/o 659, Napier Town, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and House situated at 655 Napier Town, Jabalpur—Area 26068 sq. ft.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/74-75.—Whereas, I M. F. Munshi being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceedsing Rs. 25,000/- and bearing
No. two storeyed building (Mathura Building) situated near Kali Temple, Near Gurudwara, Cantonment, Sadar Bazar, Jabalpur situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jabalpur on 17-9-74
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kasturilal Mathuradas Legal Heir of late R. B. Seth Motiram Mathuradas, R/o Queen's Road, Pearl Mansion, 5th Floor, Bombay-20.

(Transferor)

(2) Shri Vasant S/o Tejumal Kripalani, 6/35, Shyam Niwas, Wardon Road, Bombay-26.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two storeyed building (Mathura Building) situated near Kali Temple, Near Gurudwara, Cantonment, Sadar Bazar, Jabalpur.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date :24-3-1975
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/74-75.—Whereas, I M. F. Munshi being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2 storeyed house situated at Girija Kund Ward, Nazul Ward Budhrwari Block, Seoni situated at Seoni (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Seoni on 21-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the the following persons, namely :—

(1) Shri Deviprasad S/o Mannulal Mishra, R/o Girja Kundward, Seoni.

(Transferor)

(2) Shrimati Vidyabai W/o Damodarprasad Agrawal, Ashok Ward, Behind Girija-Kund of Seoni.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2 storeyed house situated at Girija Kund Ward, Nazul Ward Budhwari Block, Seoni.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Bhopal.

Date :24-3-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/74-75.—Whereas, I, M. F. Munshi being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing House Numbers 58, 58-A to 58-D, 395, 395/1, 396, 397, 397-A, 398 to 403, 403-A to 403-D and old servant quarters 1 to 15 situated at Street No. 10 and 11, Sadar Bazar, Cantonment situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 17-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kasturilal Mathuradas Legal Heir of Late R. B. Seth Motiram Mathuradas, R/o 91 Queen's Road, Pearl Mansion, 5th Floor, Bombay-20.

(Transferor)

(2) Shri Vasant S/o Tejumal Kripalani, 6/35 Shyam Niwas Wardon Road, Bombay-26.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Numbers. 58, 58-A to 58-D, 395, 395/1, 396 397, 397-A, 398 to 403, 403-A to 403-D and old servant quarters 1 to 15 situated at Street No. 10 and 11 Sadar Bazar, Cantonment, Jabalpur.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date :24-3-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/74-75.—Whereas, I M. F. Munshi being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House Numbers 58, 58-A to 58-D, 395, 395/1, 396, 397-A, 398 to 403, 403-A to 403-D and old servant quarters 1 to 15 at Street No. 10 and 11, Sadar Bazar, Cantonment, Jabalpur situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 17-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Hem Raj s/o Shri Chanan Ram, shop keeper, Nai Mandi, Mansa.

(Transferor)

(1) Shri Vasant S/o Tejumal Kripalani, 6/35 Shyam Niwas, Wardon Road, Bombay-26.

(Transferor)

(2) (i) Smt. Gyarsibai Wd/o Laxmanprasad Chouksey, R/o Cantonment, Jabalpur, ii) Smt. Laltabai Wd/o Kanhaiyalal Chouksey R/o Cantonment, Jabalpur (iii) Smt. Bhamabhai Chouksey Wd/o Ramlal Chouksey, R/o Chhoti Omti, Jabalpur, (iv) Smt. Bishillah bi W/o Mohd. Yusuf, Cantonment, Jabalpur, (v) Smt. Idd bi W/o Abdul Haq alias Jangoti, R/o Cantonment, Jabalpur and (vi) Shri Mohd. Jazad S/o Abdul Jabbar Alias Pappa through Guardian father Shri Abdul Jabbar alias Pappa, Cantonment, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Numbers, 58, 58-A to 58-D, 395, 395/1, 396, 397, 397-A, 398 to 403, 403-A to 403-D and old servant quarters 1 to 15 at Street No. 10 and 11, Sadar Bazar, Cantonment, Jabalpur.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date :24-3-1975
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 10th April 1975

Ref. No. 1423/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11, situated at Habibullah Road, T. Nagar, Madras-17 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Madras on 28-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liablity of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. G. Savithri, 11, Habibulla Road, T. Nagar, Madras-17.

(Transferor)

(2) 1. Shri J. Jawaharlal Nahar; 2. Shri J. Gyanchand Nahar; 3. Shri J. Parasmal Jain; and 4. Shri J. Indechand Nahar, No. 16, Srinivasa Iyer Street, George Town, Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 11 grounds / 126 Sft. (with building) and bearing R. S. No. 41 situated at No. 11, Habibulla Road, T. Nagar, Madras-17.

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date: 10-4-1975
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 18th April 1975

Ref. No. RAC. No. 11/75-76.—Whereas, I K. S Venkataraman, being the competent authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Portion No. 4-3-18 situated Adilabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nizamabad on 18-4-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Moosa S/o Ladha Bhai, residing at Ramgunj Road, Secunderabad.

(Transferor)

(2) 1. Sri Sambasiva Pathiwar, S/o Ramulu Pathiwar, C/o P/r in R. N.. Pattiwar & Co., Civil Lines, Chandrapur, Maharashtra, State. 2. Sri Noor Ali Khetani, S/o Hasan Bhai Khetani, residing at Panderkonda Dist. Yeotmal, Maharashtra.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property: part of Premises No. 4-3-18 at M. G. Road, Adilabad and admeasuring area: 2777.77 Sq. Yds.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date: 18-4-1975

Seal:

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 18th April 1975

Ref. No. Acq.23-I-348(166)/5-7/74-75.—Whereas, I, J. Kathuria,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 15, 16 and 17 of Ward No. 2, situated at Talaja, Distt. Bhavnagar.
(and more fully discribed in the Scheduled
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Talaja, on 27-9-1974
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Arvindkumar Chhaganlal Soni, Globs Cinema, Mahuva.

(Transferor)

(2) Shri Pranlal Kanji Doshi, 1/11, Garden View Society, Gowalia Tank, Bombay-36.

(Transfereed)

(3) (1) Darshana Enterprise,, (2) Oza Jagdishchandra Hinduprasad, (3) Khoja Kanji Valibhai, (4) Gujarat Farm Services, (5) Bipinchandra & Bros., (6) L. T. Chuuasama and (7) Jaswantrai Amarshibhai.

(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A theatre known as "Sonal Cinema" alongwith out-house standing on land admeasuring 1883. sq. Yds. bearing Plot No. 15, 16 & 17 of Ward No. 2, situated at Talaja and bounded as under :—

East : Open land.
West : Road.
North : Open land and women's lavatory.
South : Open land.

J. KATHURIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 18-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD 380009

Ahmedabad-380009, the 18th April 1975

Ref. No. Acq. 23-I-477(167)/10-1/74-75.—Whereas, I, J. Kathuria,
being the Competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Survey No. 4-A-1, Blocks 'C' and 'K', in New Super Market, situated at Bedi Naka, Jamnagar
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jamnagar on 23-9-1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act to the following persons, namely :

(1) Shri Liladhar Pranjiwan Patel, (2) Renuka Liladhar Patel, (3) Shri Ramchandra Purshottam-Boda, New Super Market, Jamnagar.

(Transferor)

(2) (1) Smt. Karimabai Adam, (2) Shri Salemamad Karim, Minor (3) Shri Salim Karim, Minor (4) Shri Nurmamad Karim, Minor (5) Shri Umar Karim, Minor (6) Shri Adam Karim, Minor Near Satyanarayana Temple, Jamnagar, through Guardian, Smt. Karimabai Adam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given *in that Chapter.*

THE SCHEDULE

Part of Block 'C' and 'K' on third floor of New Super Market, bearing Survey No. 4-1-A, situated at Bedi Naka, Jamnagar and admeasuring 2124 sq. ft. and 1230 sq. ft. respectively and transferred vide document Nos. 823 and 865 respectively registered on 23-9-1974.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 18-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 16th April 1975

Ref. No. 62-S/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 26/16 Wazir Hasan Road, situated at Wazir Hasan Road Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 30-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) *Prem Lata Lal.*

(Transferor)

(2) *Shamsa Rizvi.*

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of House No. 26/16 situated at Wazir Hasan Road Lucknow.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 16-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 15th April 1975

Ref. No. 61-S/Acq.—Whereas, I Bishambhar Nath, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 177 (177/1) Bearing No. B-30/2 situated at Gangabad, Lanka, Nagwa, Distt. Varanasi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 5-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(2) Smt. Usha Devi.

(Transferor)

(2) Shri S. K. Ghosh and Others.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two plots No. 177 (177/1) Bearing No. B-30/2 measuring (29272+11840)=Total 41112 Sqr. Fts. situated at Gangabad, Lanka, Nagwa, Dist. Varanasi.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 15-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 11th April 1975

Ref. No. PR.201/Acq.23-273/19-7/74-75.—Whereas, I P. N. Mittal, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Muni. Ward No. 4, Nondh No. 199 situated at Allayaniwadi, Begumpura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at Surat on 9-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursurance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bansidhar Chimanlal Veragiwala, Khapatia Chakla, Kalasripati Pole, Surat.

(Transferor)

(2) M/s. Gordhandas Kevalram Marfatia & Sons through partners :— (1) Dhirajlal Chunilal Marfatia, (2) Babubhai Maganlal Marfatia, (3) Mangaldas Ichharam Marfatia, (4) Jayavadan Chimanlal Marfatia of Surat.

(Transferee)

(3) Jayashri Textiles; Aditya Mills; Yadav Transport; Rajasthan Commercial Corporation; Ajay Traders; Mittal Traders; S. Champaklal & Co.; Gujarat Yarn Traders & Textile Agency—Surat.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property bearing Nondh No. 199 in Muni. Ward No. 4 admeasuring 1281 Sq. yds. situated at Begumpura, Behind Mahidarpura, Police Station, Allayaniwadi, Surat, as mentioned in the registered deed No. 3366 of September 1974 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated : 11-4-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land survey number 2036-8 bigha 14 biswas and survey No. 2037 area 2 bigha with structures situated at Agar Road, Ujjain (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Ujjain on 6-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties. has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1), of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Vishnu S/o Shri Radhakrishan Techniwal R/o. Akola, Maharashtra.

(Transferor)

(2) M/s. M. D. Engineers of Baroda, Regd. Partnership firm through partners (1) Shri D. B. Thakheer, (2) Shri S. D. Patel, (3) Shri A. A. Patel and (4) Shri D. A. Patel, R/o Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Laxmi Cotton Industry—land survey No. 2036 area 8 bigha 14 biswa and survey No. 2037 area 2 bigha on Agar road, Ujjain with structured M. No. 1036, 1036/1 and 1031.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date: 1-5-1975

Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Municipal No. 13/1, Galli No. 2, Jail Road, Indore situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 26-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Narayan S/o Shri Vinayaklal, Juna, Topkhana, No. 7, Galli No. 1, Jail Road, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Tarabai W/o late Shri Nathulal Prop. Paliwal Coal Dept., 27, Nagar Nigam Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 13/1 Galli No. 2, Jail Road, Indore—
Measurements—126' East
124' West North—South 19'-9"

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 1-5-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M. No. 52, Palsikar Colony, Indore situated at Indore (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 26-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1 922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property of the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Purshottamkumar S/o Shri Bhutaramji, 25, South Rajmohalla, Indore.

(Transferor)

(2) Sardar Gurucharansingh S/o Shri Bhutasingh, 21, Dhar Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Municipal No. 52, Palsikar Colony, Indore, single storey.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 1-5-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 1st May 1975

Ref. No. AC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6-359, Madhav Nagar, Freeganj, Ujjain situated at Ujjain (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registertation Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain on 30-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ushaben W/o Shri Rameshchandra Gajjar, R/o Madhavnagar, Freeganj, Ujjain

(Transferor)

(2) Smt. Ishwaribai W/o Seth Tikamdas Sindhi, R/o Madhavnagar, Freeganj, Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M. No. 6-359, 3 storeyed situated on Dhanwantri Marg, Madhav Nagar, Freeganj, Ujjain.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 1-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th April 1975

Ref. No. 44-R/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4, 5, 6, 7, 8 & 9 situated at Village Govindpur Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 24-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property a aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Annpurna Devi & others. (Transferor)

(2) Shri Ram Badan Sharma & others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Garden No. 4, 5, 6, 7, 8, & 9, measuring 6.14 Acres along-with a house and a well situated at Village Govindpur, Distt. Varanasi.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 29-4-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 29th April 1975

Ref. No. 12-V/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4, 5, 6, 7, 8, & 9, situated at Village Govind-pur Distt. Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 24-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Annpurna Devi & others. (Transferor)

(2) Shri Virendra Kumar Sharma & others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Garden No. 4, 5, 6, 7, 8, & 9, measuring 6.14 acres alongwith a house and a well situated at Village Govindpur, Distt. Varanasi,

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 29-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE LUCKNOW

Lucknow, the 29th April 1975

Ref. No. 27-P/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1 to 42 situated at Village Deori, Teh. Puwayan, Distt. *Shahjahanpur*, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Puwayan on 30-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jaswant Singh & others. (Transferor)

(2) Km. Prakash Kaur— (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned,—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land No. 1 to 42 measuring 339.88 Acres situated at Village Deori Teh. Puwayan, Distt. Shahjahanpur.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 29-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE LUCKNOW

Lucknow, the 28th April 1975

Ref. No. 21-J/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Chak No. 468, situated at Village Samdi, Teh. Phoolpur, Azamgarh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Phoolpur on 19-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons namely :—

(1) Shri Daya Shanker and others. (Transferor)

(2) Shri Jai Narain Singh and others. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A agricultural land Chak No. 468, alongwith a Kuchha house total measuring 584 Kari situated at Village Samdi, Teh. pur Distt. Azamgarh.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 28-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 4th March 1975

Ref No. J. No. I(414)/74-75.—Whereas, I, K. Subba Rao, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Door No. 6-16-30, 16th Line, 1st cross, Arundalpeta, Guntur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 15-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (1) Sri Burugu Suryaprakasa Rao, (2) Sri Burugu Rajeswara Rao and (3) Aswarthanarayana Burugu.

(Transferor)

(2) 1. Sri Parripati Chendrasekara Rao, Door No. 6-16-30 16th Line, 1st cross, Arundalpeta, Guntur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Guntur District-Guntur Sub-Registration-Guntur Municipality-Guntur Town-Arundalpeta, Municipal old ward No. 3-Block No. 1. T. S. No. 9-39361 sq. ft. with a building thereon.

Boundaries

East—Municipal Bazar 120 ft.
South—Municipal Bazaar 75 ft.
North—Municipal Bazaar 75 ft.
West—Site of Sri Ramaraju Subbaramaiah 120 ft.

K. SUBBA RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 4th March, 1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 26th February 1975

Ref. No. Acq. File No. 163, J. No. I(354)/KR/74-75.—Whereas, I, K. Subbarao, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Asstt. No. 2875 D. No. 7/197 & 7/198, situated at Godugupeta Masulipatnam, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Masulipatnam on 30-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betwen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) 1. Sarva Srinivasa Sastry, Masulipatnam

2. Sarva Venkata Nanchara Vara Prasad, Hyderabad.

(Transferor)

(2) LIST OF TRANSFERRES

1. G. Narasimharaju, Gudur.
2. G. Ramaraju, Gudur.
3. G. V. Subbaiah, Gudur.
4. G. V. Madhavarao, Gudur.
5. G. Maheswararao. Gudur.
6. G. Laxmaiah Gudur.
7. K. Narayanaraju, Gudur.
8. K. Butchiraju, Gudur.
9. N. Seetharamachandrarao, Godugupeta, Masulipatnam.
10. Smt. N. Sundaramma, Masulipatnam.
11. G. Rambabu—Minor by guardian mother Mangamma, Gudur.
12. M. Subbarao, Gudur.
13. K. Nagaiah, Bantumilli.
14. Smt. G. Rajeswari, Gudur.
15. Smt. G. Nancharamma, Gudur.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Krishna District—Masulipatnam Sub-Registrar—Masulipatnam Municipality—Masulipatnam town—Godugupeta—"Sagor Talkies" Astt. No. 2875—D. Nos. 7/197 & 7/198—1557 Sq. Yds.

Boundaries

East : Raja veedhi—Sagor Talkies—82 ft.

South : House site Smt. B. V. Subbamma 169 ft.

West : Raja veedhi Sarva vari st. 96 ft.

North : Daba site of Vemuri Sri Ranganaikulu 146 ft.

K. SUBBA RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 26-2-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 22nd March 1975

Ref. No. Acq. File No. 182 J. No. I(322)/74-75.—Whereas, I. K. Subbarao, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. New Ward No. 15, T. S. No. 1153. situated at Eluru, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Eluru on 15-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax, Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C. of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Mothey Amba Venkata Ramesh Ghanta Prasad 2. Smt. Mothey Satyavathi 3. Smt. Mothey Indira, 4. Mothey Sunil Kumar 5. Mothey Praveen Kumar Nos. 4 & 5 being minor represented by mother and guardian Smt. Mothey Indira.

(Transferor)

(2) Siva Gopal Lunani, Director Sri Krishna Jute Mills, Ltd., Eluru.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

West Godavari District—Eluru Sub-Registrar—Eluru Taluk Ealuru town—Eluru Municipality—Old ward No. 7/E, New Ward No. 15—T.S. No. 1153—Vacant site 5630 Sq. Meters.

BOUNDRIES

East : Joint Road.

South : Vacant site of Smt. Mothey Padmavatamma.

West : Compound wall of Sri Krishna Jute Mills Ltd.

North : Compound wall for this site.

K. SUBBA RAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 22-3-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 22nd April 1975

Ref. No. Acq. File No. 194/J. No. I(282)/KR/74-75.—Whereas, I, Saroj Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 42-7-20, situated at Durgapuram Vijayawada-3, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Vijayawada on 15-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Pasupuleti Viswanatham, Durgapuram, Vijayawada.

(Transferor)

(2) Smt. Attuluri Hymavatamma, W/o. Ranga Mohana Rao, Durgapuram, Vijayawada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said preparty may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property schedule as stated in Sale deed copy dated 4th September, 1974 vide document No. 3145 dated 4-9-74 of the Sub-Registrar, Vijayawada.

SAROJ KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 22-4-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 28th April 1975

Ref. No. RAC. No. 14/75-76.—Whereas, I, K. S. Venkataraman,
being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Portion :—4-1-4 & 5 situated at Ramkote, Hyderabad, (and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad, on 4-9-74,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Kanuri Murali Damodar, R/o Washington, G. P. A. Sri Kanuri Laxminarayan Pershad. 2. Sri K. Harishchandra Prasad, R/o Wadhington, G.P.A. Sri K. Laxminarayan Pershad. 3. Sri K. Jagdishpershad, 4. Sri K. Ramakrishna Prasad. 5. Sri K. Manohar Prasad, All residing at C/o Sri K. Laxminarayana Pershad at 11 Janpath, New Delhi-11.

(Transferor)

(2) 1. Sri Lalchand Bhangadia. 2. Satayanarayan Bhangdia 3. Master Rajgopal Bhangadia, All three residing at 18-4-50 at Shamsheergunj, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Portion of the building M. No. 4-1-4—and 5 at Ramkote, Hyderabad. Area : 2662.82 Sq. Meters.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 28-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

TICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE HYDERABAD.

Hyderabad the 28th April 1975

Ref. No. RAC. No. 13/75-76.—Whereas, I, K. S. Venkataraman, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4-1-4 & 5, situated at Ramkote, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad, on 4-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri K. Murali Damodar, S/o Kanuri Laxminarayana Pershad. 2. K. Harishchandra Prasad, S/o K. L. N. Pershad. 3. Sri K. agdispershad. 4. Sri K. Manohar Prasad, All are residing at No. 11, Janpath, New Delhi-11.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Sita Bai, W/o Sri Ratnalalji Toshniwal, R/o at 19-3-1075/2. Shamsheergunj, Hyderabad. 2. Master Ashok Kumar, S/o Ramnivas, Jaju, minor per guardian his father Sri Ramnivas R/o 19-3-1075/2 at Shamsheergunj, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Portion of the building No. 4-1-4 and 5 at Ramkote, Hyderabad. Area : 1811.61 Sq. Meters.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 28-4-1975,
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 28th April 1975

Ref. No. 8-N/Acq.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 330, and 331, situated at Village Bhoor Distt. Bulandshahr, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bulandshahr on 16-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-setcion (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Km. Fahmida Khatoon.

(Transferor)

(2) Smt. Noor Jahan Begum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of plots of land No. 330, and 331, alongwith a Kothi measuring 1 Bigha 8 Biswa is situated at Village Bhoor Distt. Bulandshahr.

BISHAMBHAR NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 28-4-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 28th April 1975

Ref. No. 17-L/Acquisition.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Village Nagarogoan Distt. Nainital, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nainital on 20-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acfuisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Major S. C. Bug.

(Transferor)

(2) Shri L. K. Khanna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A garden land and one house measuring 3738 Sqr. fts. situated at Village Nagarogoan Distt. Nainital.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 28-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 28th April 1975

Ref. No. 42-A/Acquisition.—Whereas, I, Bishambhar Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 330 and 331, situated at Village Bhoor Distt. Bulandshahr, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bulandshahr on 16-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Km. Fahmida Khatoon. (Transferor)

(2) Smt. Asghari Bagum. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of plots of land No. 330 and 331 alongwith a Kothi measuring 1 Bigha 8 Biswa is situated at Village Bhoor Distt. Bulandshahr.

BISHAMBHAR NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 28-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 1st May 1975

Ref. No. Acq. 23-I-356(171)/16-6/74-75.—Whereas, I, J. Kathuria being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 432 Plot No. 175, Sub-Plot No. 3 situated at Near Dharmendra Singhji College, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajkot in Sept., 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Purshottam Ramchandbhai Bhatia, Ganga Vihar, Sardar Nagar, Rajkot.
(Transferor)

(2) Smt. Taragauri Tarachand Doshi, Jamjodhpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Building standing on a land admeasuring 160-4-0 Sq. yds. bearing Survey No. 432, Plot No. 175, Sub-Plot No. 3 and situated near Dharmendra Singhji College, Rajkot.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad
Jullundur.

Date : 1-5-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 18th April 1975

Ref. No. RAC. No. 12/75-76 —Whereas, I, K. S. Venkataraman, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion :—4-3-18 situated at M.G. Road, Adilabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nizamabad on 18-4-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Moosa S/o Ladha Bhai, R/o Ranigunj Street, Secunderabad.

(Transferor)

(2) 1. Sri Arvind Pattiwar, S/o Ramulu Pattiwar, R/o C/o R. N. Pattiwar & Co., Civil Lines, Chandrapur, Maharastra State.

2. Sri Akbar Khetani, S/o Kasum Bhai, R/o Pandarkonda Dist. Maharashtra.

(Transferee,

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Part of premises M. No. 4-3-18 at M.G. Road, Adilabad area 3483.32 Sq. mts. or 4166.66 square yards.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 18-4-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 18th April 1975

Ref. No. RAC. No. 10/75-76.—Whereas, I. K. S. Venkataraman, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4-3-18 situated at Adilabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Nizamabad on 18-4-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Moosa S/o Ladha Bhai, R/o Ranigunj Street, Secunderabad.

(Transferor)

(2) 1. Sri Dattatreya Pattiwar C/o P/r in R.N. Pattiwar & Co., Civil Lines, Chandrapur, Maharashtra State.

2. Sri Sadruddin Khetari, S/o Kasumbaha, Ketari R/o Pandar Kawada Konda Dist. Yeotmal, Maharashtra.

(Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : M. No. 4-3-18 at Adilabad "New Theatre" Machinery furniture fittings fixtures etc. compound wall Area : 2777.77 Sq. Yds.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 18-4-1975.

Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. F. Acq/210/KNP/74-75/281.—Whereas, I, F. J. Bahadur being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 104A/146 situated at Ram Bagh, Kanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 29-10-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Manohar Misra, S/o Sri Shiv Nandan Misra, R/o 28/11, Feelkhana, Kanpur.

(Transferor)

(2) Pt. Munnilal Trivedi, Pt. Ram Dulare Trivedi alias Dulare Lal Trivedi, Ss/o Pt. Dulau Trivedi, R/o Village Khera, Tehsil Dalmau, Distt Rae Bareilly.

(Transferee)

(3) Transferor

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 104A/146, situated at Ram Bagh, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 45,000/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-5-75.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. Acq/214/KNP/74-75/282.—Whereas, I, F. J. Bahadur being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Bagahi, Kanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 31-10-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Pal Sahu S/o Sri Ram Phal Sahu, R/o 130/531, Bakarganj, Kanpur.

(Transferor)

(2) S/Shri Har Prasad Sahu and Swatantra Kumar Sahu Ss/o Sri Munni Lal Sahu, R/o 69-50, Dana Khori, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Leasehold plot No. 44 having area of 432 sq. yds. situated at Block L/1, scheme No. 2, Baghahi, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 37,152/-.

F. J. BAHADUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-5-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 8th May 1975

Ref. No. Acq/245/KNP/74-75/283.—Whereas, I F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 88/213-B situated at Chamanganj, Kanpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 2-12-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Naziruddin S/O Late Sri Abdul Gafoor, R/O 90/239, Iftikharabad, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Mohd. Sabit S/O Sri Shakir Hussain, R/O 88/213-B, Chaman Ganj, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property bearing No. 88/213-B, Chaman Ganj, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 50,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 8-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref F. No. Acq/186/KNP/74-75/284.—Whereas, I, F. J. Bahadur,
being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 133/194 situated at Transportnagar, Kanpur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 19-9-74,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Shyam Lal Gupta S/O Sri Kunji Lal and Smt. Munni Devi W/O Sri Shyamlal, R/O 133/194, Transport Nagar, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Ajaipal Singh S/O Sardar Sarmakh Singh, 58/50, Ujagar Bhawan, Birhana Road, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 133/194 situated at Transport Nagar, Kanpur transferred for apparent consideration of Rs. 34,000.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. F. No. Acq/184/KNP/72-75/285.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 128/E/99 situated at Kidwai Nagar, Kanpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Kanpur on 5-10-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Radhey Shyam Gupta, S/O Sri Baccha Lal Gupta and Smt Ramadevi W/o Sri Radheyshyam, 49/102, Naughara, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shrimati Jasoda Devi Agarwal W/O Sri Ramesh Chandra Agarwal, 85/69, Jhakarkati, G.T. Road, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Property No. 128/E/99, situated at 'E' Block, Kidwai Nagar, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 90,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. Acq/201/KNP/74-75/286.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Gwal Toli, Kanpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 20-10-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth—tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jiwanlal Tribhuwandas Modi, 14/57-B, Gwal Toli, Civil Lines, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shrimati Roshan Ara Begum, 42/86, Makhania Bazar, Kanpur.

(Transferee)

(3) Shri Jiwanlal Tribhuwandas Modi, 14/57-B, gwal Toli, Civil Lines Kanpur (Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 14/21(old), 14/57-B(new), situated at Gwal Toli, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 50,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. F. No. Acq/202/KNP/74-75/287.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. (old) 14/21 new 14/57B, situated at Civil Lines, Gwal Toli, Kanpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 21-10-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Jeewan Lal Tribhuwan Das Modi, 14/21 (old) and (new) 14/57-B, Civil Lines, Gwal Toli, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shrimati Mehnigai Begum, 40/182, Makhania Bazar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 14/21 (old) and 14/57-B (new) situated at Gwal Toli, Kanpur, transferred for apparent consideration of Rs. 50,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. F. No. Acq/176/KNP/74-75/288.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. W/13/MIG/Juhi, Kanpur situated at Juhi, Kanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 10-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chhabal Dass, R/O W 13, M.I.G., Juhi, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Om Prakash Singh, 72, N-Block, Kidwai Nagar, Kanpur.

(Transferee)

(3) Shri Chhabal Dass, R/o W13, M.I.G., Juhi, Kanpur. (Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. W/13M.I.G., situated at Juhi Kanpur. Area of land 450 sq. yds. out of which on 1/3rd property is built and the remaining 2/3rd is lying vacant. The property in question transferred for apparent consideration of Rs. 60,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax.
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. F. Acq/174/KNP/74-75/289.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 78 situated at 'H' Block, Pandu Nagar, Kanpur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 9-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. P. Ghosh S/o Sri P. K. Ghosh through special D. Messey, 78, Cantonments, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Sri Ram, Madan Lal, Kashi Ram and Kirpa Ram sons of S. Sant Singh C/o Sri Ram Sant Singh, cloth merchant, Naughara, Kanpur.

(Transferor)

(3) Transferees (Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed a house property bearing No. 78-H-Block having total area of 1114 sq. yds. situated at Pandu Nagar, Kanpur transferred for apparent consideration of Rs. 1,85,000/-.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975

Seal ;

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961).

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. F. Acq/146/D.Dun/74-75/291.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Rajpur Road, Dehra Dun, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 5-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Raj Dulari Sehgal, Wd/o Sri Guru Datt Sehgal R/o Sanwal Niwas, Civil Lines Jullundur and Wing Commander, Satya Sagar Sehgal S/O Sri Guru Datt Sehgal R/O Sector 4, Kothi No. 59, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Vimal Dev S/o Baldey Sharma, Amritdhara Pharmacy Rajpur Road, Dehradun.

(Transferee)

(3) Transferee.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece and parcel of land measuring 15 biswas and 9½ biswansis situated on Rajpur Road, Dehradun, transferred for apparent consideration of Rs. 22,295/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. F. Acq/147/D.Dun/74-75/291.—Whereas, I, F. J. J. Bahadur, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Rajpur Road, Dehradun, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 26-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Raj Dulari Sehgal, Wd/O Sri Guru Datt Sehgal, R/O Sanwal Niwas, Civil Lines, Jullundur and Wing Commander, Satya Sagar Sehgal S/O Sri Guru Datt Sehgal, r/o Sector-4, Kothi No. 59, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Prem Kumar S/o Sri Gurmukh Dass R/o New Road, Dehradun.

(Transferee)

(3) Transferee. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece and parcel of land measuring 14 biswas and 10½ biswansis situated on Rajpur Road, Dehradun, transferred for apparent consideration of Rs. 20,925/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. F. Acq/147/D.Dun/74-75/292.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Rajpur Road, Dehradun, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Dehradun on 26-9-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shrimati Raj Dulari Sehgal, Wd/o Sri Guru Dutt, Sanwal R/o Sanwal Niwas, Civil Lines, Jullundur and Wing Commander Satya Sagar Sehgal S/o Sri Guru Datt Sehgal, Sector 4, Kothi No. 59, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shrimati Kusum D/o Re. W.J. Richards, R/o 99-B, Rajpur Road, Dehradun.

(Transferee)

(3) Transferors.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land measuring 13 biswas and 10½ biswansis, situated on Rajpur Road, Dehradun, transferred for apparent consideration of Rs. 19,485/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th May 1975

Ref. No. F. Acq/144/D.Dun/74-75/293.—Whereas, I, F. J. Bahadur,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Rajpur Road, Dehradun
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dehradun on 5-9-74,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :

(1) Shrimati Raj Dulari Sehgal, Wd/o Sri Guru Datt Sehgal, r/o Sanwal Niwas, Civil Lines Jullundur, and Wing Commander, Satya Sagar Sehgal S/o Sri Guru Datt Sehgal, r/o Sector-4, Kothi No. 59, Chandigarh, through his attorney Sri O. S. Sehgal S/o Sri Guru Datt Sehgal R/o Sanwal Niwas, Civil Lines, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Raj Rani W/o Sri Gurmukh Dass, New Road, Dehradun.
(Transferee)

(3) Transferors.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land measuring 15 biswas and 9½ biswansis, situated on Rajpur Road, Dehradun transferred for apparent consideration of Rs. 22,295/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-5-1975

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-1
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 3rd May 1975

Ref. No. F. IX/7/43/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 70 situated at Sengalaneer Pilliar Koil St., Madras-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Madras on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri A. Narayana Udupa, Propr : Udipi Sri Durga Bhavan, 45, Mannadi St., Madras-1.
(Transferor)

(2) Shri PR. Senthilnathan Chettiar, 2/40, Anderson St., Madras-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 1300 sq. ft. and building bearing door No. 70, Sengaluneer Pilliar Koil Street, Madras (R.S. No. 3015/1B.).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 3-5-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/14/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 40-40A situated at North Veli Street, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pudumandapam on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rajalakshmi Ammal, Plot No. 10, Lourdhunagar, K. Pudur, Madurai-7.
(Transferor)

(2) Shri K. Shanmugasundaram, 3/268, Hospital Road, Paramakudi, Ramnad Dt.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1824 sq. ft. and building bearing door Nos. 40-40A, North Veli Street Madurai (T.S. No. 1154).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 2-5-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-1

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/11/1974-75.—Whereas, I K. V. Rajan being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. door No. 13 situated West Maret St., Madurai, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pudumandapam on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Shri V. Kovilpillai, 13, West Marat St., Madurai.

(Transferor)

(2) Smt. Hussaina Aminabivi and Smt. Ali Mathasadhia, by power agent Shri S. A. Abdul Jabbar, Sanguvetti St., Kilakarai, Ramnad Dt.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 1349 sq. ft. and building bearing door No. 13, West Marat Street, Madurai (T.S. No. 46).

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 2-5-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/1(ii)/27A/1974-75.—Whereas, I, K V Rajan being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. door No. Nil situated at 220, Ramnad Road & 2 & 3, Andarvanam Thannir Pandal 2nd Lane, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Andipatti on September, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Periakaruppa Nadar, P. Rajasekaran, P. Jayabalan & P. Jagadesan, No. 31 & 32, Khanpalayam 4th St., Madurai.

(Transferor)

(2) Smt. Shamsunnisa, Thasildar Pallivasal, Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd of land measuring about 7,420 sq. ft. and building bearing door No. 220, Ramnad Road and 2 & 3, Andarvaram Thannirpandal 2nd Lane, Madurai (T.S. No. 554).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant,
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-1, Madras-6

Date : 2-5-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6.

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/1(ii)/27B/1974-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 220, Ramnad Road and 2 & 3, Andarvanam Thannir Pandal 2nd Lane, Madurai (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Andipatti on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P. S. Peria Karuppa Nadar,
Shri P. Rajasekaran,
Shri P. Jayabalan and
Shri P. Jagadesan,
31 and 32, Khanpalayam 4th Street,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri Hussain Nainar,
No. 10, Kamakshipuram 1st Street,
Keezha Sandaipettai, Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd of land measuring about 7,420 sq. ft. and building bearing door No. 220, Ramnad Road and 2 and 3, Andarvanam Thannirpandal 2nd Lane, Madurai (T. S. No. 554).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/1(ii)/27C/1974-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 220, Ramnad Road and 2 & 3, Andarvanam Thannir Pandal 2nd Lane, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Andarpatti on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. P. S. Chockalinga Nadar,
M/s. P. Rajasekaran,
M/s. P. Jayabalan and
M/s. P. Jagadesan,
31 and 32, Khanpalayam 4th Street,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri V. K. Zainulabuddin,
Panakkulam, Ramanathapuram.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3 of land measuring about 7,420 sq. ft. and building bearing door No. 220, Ramnad Road and 2 and 3, Andarvanam Thannirpandal 2nd Lane, Madurai (T. S. No. 554).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975

Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. IX/7/72/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 25 situated New Avadi Road, Kilpauk, Madras-10 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer West Madras on September 1974 for an apparent consideration, which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hemi Bai & others
16, New Avadi Road,
Madras-10.

(Transferor)

(2) Shri Ramchand Gianchand Mahtani,
Plot No. 5, II Floor,
23/24, Casa Major Road, Madras-8.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 657/10210 share in land and flat in S. No. 87 (Part) in Kilpauk Garden Road, now No. 25, New Avadi Road, Madras-10.

K. V. RAJAN,
Competent, Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1. 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. IX/7/73/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 25 situated New Avadi Road, Madras.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
West Madras on September 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hemi Bai & others
16, New Avadi Road,
Madras-10.

(Transferor)

(2) Shri Vashdev N. Hemnani.
25, New Avadi Road, Madras-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 657/10210 share in land and a flat in S. No. 87 (Part) door No. 25, New Avadi Road, Kilpauk, Madras-10.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. IX/7/74/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 25 situated New Avadi Road, Madras, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at West Madras on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hemi Bai & others
16, New Avadi Road,
Madras-10.

(Transferor)

(2) Mrs. Bhagwanthi Ramchand,
38, Raja Hyder St., Ellis Road,
Madras-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 657/10210 share in land and flat in S. No. 87 (Part) in door No. 25, New Avadi Road, Madras-10.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1,
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6.

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. IX/7/75/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 25 situated New Avadi Road, Madras-10 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at West Madras on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hemi Bai & others
16, New Avadi Road.
Madras-10.

(Transferor)

(2) Shri Shevak Sugnomal,
13/C-2, Dharmaraja Koil St.,
Madras-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall, have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 657/10210 share in land and a flat in S. No. 87 (Part), in door No. 25, New Avadi Road, Kilpauk, Madras-10.

K. V. RAJAN,
Competent, Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. IX/7/76/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 25 situated New Avadi Road, Madras-10
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
West Madras on September 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hemi Bai & others
16, New Avadi Road,
Madras-10.

(Transferor)

(2) Shri Amar Lokumal,
35, Lutharam Street, Madras-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 657/10210 share in land and flat in S. No. 87 (Part) in door No. 25, New Avadi Road, Madras-10.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref No. F. IX/7/96/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door
No. 25 situated New Avadi Road, Kilpauk, Madras
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
West Madras on September 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Hemi Bai,
Smt. Jothi Bai,
Smt. Nirmala Naraindas &
Smt. Soundari Chimandas.
16, New Avadi Road, Madras-10.

(Transferor)

(2) Mrs. Gopi Lalchand,
A-49, Kilpauk Garden Colony,
Madras.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided share in land and a flat in S. No. 87 (Part) in Kilpauk Garden Road, now New Avadi Road, Kilpauk, Madras (Door No. 25, Plot No. 14 in L.A. No. 112/1962). Road. Madras-10.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 14th May 1975

Ref. No. F. IX/7/71/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 126 situated Pophams Broadway, Madras-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at SRO West Madras on 20-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration, therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) D. K. Rangakumar and Others,
16, Temple Street, Alagappa Nagar,
Kilpauk, Madras-10.

(Transferor)

(2) Shri M. Y. Syed Ahmed,
2-65, Mosque Street,
Elandangudi, Mayuram Tq.,
Tanjore Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Door No. 126, Pophams Broadway, Madras-1.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 14-5-1975

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-1.
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 14th May 1975

Ref. No. F. IX/7/40/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 1-D situated Spur Tank Road, Egmore Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. West Madras on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Thatikonda Nacharamma Charities,
64, Harrington Road, Madras-31.

(Transferor)

(2) Mrs. Urmila Chokhani,
Bhagwati Chokhani,
Jagdish Chokhani,
4/141, Mount Road, Madras-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land measuring 6 grounds being plot No. 2 at Door No. 1-D, Spurtank Road, Madras-8.

K. V. RAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 14-5-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 14th May 1975

Ref. No. F. IX/1/32/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing, door No. 33 situated Jones Street, Madras-1 (and more fully descrived in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR I, Madras on September, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to following persons namely :—

(1) Smt. Jhankar Bai,
Wife of P. Sameermull Bafna,
19, Krishnan Koil Street, Madras-1.
(Transferor)

(2) Mrs. Zubeda Bi,
Wife of S. M. Mustafa Rowther,
13-A, Pandirinathan Street,
Tiruchirapalli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 ground and 496 sq. ft. in R.S. No. 5423 and building measuring 1900 sq. ft. bearing door No. 33, Jones Street, Madras-1.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 14-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 14th May 1975

Ref. No. F. IX/2/4/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act)' have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 19, situated Coral Merchant Street, Madras-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR I, Madras on 11-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) C. Parankusam Chettiar & Others,
19, Coral Merchant Street,
Madras-1.

(Transferor)

(2) A.M.R. Subramania Mudaliar,
17, Savarimuthu Street,
Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Door No. 19, Coral Merchant Street, Madras-1 measuring 1 ground and 1116 Sq. ft.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6

Date : 14-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS 6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. XVI/1/9/74-75.—Whereas, I, K. V. RAJAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 497 to 499 situated Trichy Main Road, Gugai, Salem (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Salem on October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s T. S. Doraisamy Pillai,
P.S.A. Varadarajan,
P.V. Shanmugam,
T.A. Kaliannan and
P.V.G. Venkataraman.

(Transferor)

(2) Smt. Meenakshi Achi,
Kuzhipurai, Tirumayam Tq.,
Pudukkottai Dt., and
Shri L. S. Srinivasan,
Siruvayal, Tirupattur Tq., Ramnad Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 3440 sq. ft. and building bearing door Nos. 497 to 499, Trichy Main oRad, Gugai, Salem.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant,
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 6th May 1975

Ref. No. F. XVI/26/1/1974-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 45/1, 46/1B & 52/2 situated at Chengaud village, Yercaud (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Yercaud on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any Income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) M/s. K. Kandaswamy & K. Venkatesan, D-21 (now F 100), Fairlands, Salem-4.

(Transferor)

(2) Shri N. V. Rao, Mrs. N. Seetha Rao, Shri N. Venkatram Rao & Shri N. Venkatnarain Rao, 36, Thirumalai Pillai St., Madras-17.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands and building situated in Chengaud village, Yercaud of a total acreage of 77.17 acres (S. No. 45/1, 46/1B & 52/2).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 6-5-1975.

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/12A/1974-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,0000/- and bearing No. T. S. 235 situated Perumalkoil, Teppakulam East St., Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pudumandapam on September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the 'Said Act', to the following persons namely :—

(1) Smt. Anandammal, Shri Nagarajan, Shri Murugesan & Shri Ondipili alias Raja, 167, North Veli Street, Madurai.
(Transferor)

(2) Shri V. Ramaswamy Reddiar, 2C, Jawahar St., S. S. Colony, Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in vacant land measuring 4681 sq. ft. at T.S. No. 235, Perumalkoil Teppakulam East Street, Madurai.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant,
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-5-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/12B/1974-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. T.S. 235 situated Perumalkoil Theppakulam East St., Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Pudumandapam on September, 1974 for an apparent consideration which is less than the fiar market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Andalammal, Shri Nagarajan, Shri Murugesan & Shri Ondipili alias Raja, 167, North Veli Street, Madurai.
(Transferor)

(2) Shri V. R. Renganathan, 2C, Jawahar St., S. S. Colony, Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in vacant land measuring 4681 sq. ft. at T.S. No. 235, Perumalkoil Theppakulam East Street, Madurai.

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 2-5-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 3rd May 1975

Ref. No. F. IX/3/107/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 23/24 situated Casa Majo Road, Egmore, Madras-8 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSr. II, Madras on November 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mrs. T. Sukanya Devi,
19, Dwarakapuri Punjagutta,
Hyderabad-4.

(Transferor)

(2) Shri M. M. Ahamed,
8, Kennet Lane, Egmore, Madras-8.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 2 grounds and 1350 sq. ft. and building at 23/24, Casa Major Road, Egmore, Madras-8 (S. No 471/Part).

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 3-5-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 14th May 1975

Ref. No. F. IX/7/61/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- No. 53 situated Mannarswami Koil Street, Madras-13 (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at JSR Madras on 28-10-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bastimal son of Anoopchand,
53, Mannarswami Koil Street,
Royapuram, Madras-13.

(Transferor)

(2) Pattasi Bai wife of M. Kethmal Jain,
118, Mannarswami Koil Street,
Royapuram, Madras-13.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons ever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building measuring 2760 sq. ft. bearing door No. 53, Mannarswami Koil Street, Royapuram, Madras-13.

K. V. RAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 14-5-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 14th May 1975

Ref. No. F. IX/7/78/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8 situated Club Road, Kuppuswami Avenue Road, Srinivasa Nagar, Madras-8 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at SRO, West Madras on October 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to following persons, namely :—

(1) M. Shymsundara Shetty alias Subbaraya Shetty & Others, 8, Club Road, Egmose, Madras-8.

(Transferor)

(2) Dr. Mrs. L. Sukumaran, Wife of T. K. Sukumaran, 3, First Street, Subramania Puram, Karaikudi.

(Transferee)

Obections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building measuring 2 grounds 650 sq. ft. bearing Door No. 8, Club Road, Egmore, Madras-8.

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II,
Madras-6.

Date : 14-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/1(i)/35/74-75.—Whereas, I. K. V. Rajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing,
No. 58F situated Munichalai Road, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Madurai on December 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Mohamed Sickander,
1. Syed Ismailpuram 9th Lane,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri K. I. Mohamed Ismail,
Alangulam,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land measuring about 2325 sq. ft. and building bearing door No. 58F, Munichalai Road, Madurai (T.S. No. 805).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-5-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/1(i)/36/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and No. 58F situated Munichalai Road, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Madurai on December, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 169D of the said Act, the following persons, namely :—

(1) Shri M. Mohamed Sickander,
1. Syed Ismailpuram 9th Lane,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri K. I. Mohamed Mohideen,
Alangulam.

(Transferee)

Objections, if any to the aqcuisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) be any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land measuring about 2324 sq. ft. and building bearing door No. 58F, Munichalai Road, Madurai (T.S. No. 805).

K. V. RAJAN
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-I,
Income-Tax, Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-5-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/1(iii)/1/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8 & 9 situated Lakshmipuram 3rd Street, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madurai on October, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideratoin therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri A. M. A. Sp. Narayanan Chettiar,
210, East Marret St., Madurai.
(Transferor)

(2) Smt. Meenal & Smt. Poomayilammal,
8 & 9, Lakshmipuram 3rd Street,
Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 1251 sq. ft. and building bearing door Nos. 8 & 9, Lakshmipuram 3rd Street, Madurai (T.S. No. 1268, 1269 & 1270).

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-1. 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/18A/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 247A situated Goodshed St., & 7, 7A, 7B, 7C & 7D, North Vadambokki St., Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pudumandapam on November 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. P. G. Sundaram & P. S. Gopalan.
247A, Goodshed St., Madurai.
(Transferor)

(2) Shri K. Rangasami,
Alagapuri, Nilakottai Tq.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in Land measuring about 1438 sq. ft. and building bearing door No. 247A, Goodshed Street and 7, 7A, 7B, 7C & 7D, North Vadambokki St., Madurai (T.S. No. 727).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/18B/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 247A situated Goodshed St., & 7, 7A, 7B, 7C & 7D, North Vadambokki Street, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Pudumandapam on November 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. P. G. Sundaram & P. S. Gopalan, 247A, Goodshed St., Madurai.

(Transferor)

(2) Shri K. Kumarappan, Alagapuri, Nilakottai Tq.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land measuring about 1438 sq. ft. and building bearing door No. 247A, Goodshed Street and 7, 7A, 7B, 7C & 7D, North Vadambokki Street, Madurai (T.S. No. 727).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/20/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 24 situated Tamil Sangam Road Madurai (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Pudumandapam on December 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. B. R. Saraswathi Ammal,
285, Goods Shed Street,
Madurai.

(Transferor)

(2) Shri M. S. Murugesan,
7/291. Vysiar Street,
Paramakudi, Ramnad Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 1980 sq. ft. and building bearing door No. 24, Tamil Sangam Road, Madurai (S. No. 1264).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/21A/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 48 situated West Perumal Maistry St., Madurai (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Pudumandapam on December, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri L. Krishnasami Bharathi,
9, Harrington Road, Madras-31.

(Transferor)

(2) Shri M. Rajaram,
31, Lakshmipuram 6th Street,
East Veli St., Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land measuring 3234 sq. ft. and building bearing door No. 48, West Perumal Maistry Street, Madurai (T.S. No. 372).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM I.T.N.S.——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 2nd May 1975

Ref. No. F. X/10/21B/74-75.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door
No. 48 situated West Perumal Maistry St., Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Pudumandapam on December, 1974
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri L. Krishnasami Bharathi,
9, Harrington Road, Madras-31.

(Transferor)

(2) Shri M. Ramakrishnan,
45, Lakshmipuram 1st Street,
East Veli St., Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land measuring 3234 sq. ft. and building bearing door No. 48, West Perumal Maistry Street, Madurai (T.S. No. 372).

K. V. RAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range-1,
Madras-6.

Date : 2-5-1975
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JYOTHI BUILDING GOPALA PRABHU ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-11.

Cochin-11, the 19th May 1975

Ref. No. L. C. No. 41/75-76.—Whereas, I, K. RAJAGOPALAN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy. No. 647/1 situated at Jews Street Ernakulam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ernakulam on 26-8-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Ramachandra Shenoi S/o Janardana Shenoi, Sankarasseri Paramb, Ernakulam.

(Transferor)

(2) (1) Smt. Omana
(2) Smt. Leela
(3) Smt. Maggi
Partners in Metallieds, Jews Street, Ernakulam.

(Transferees)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

11 cents of land in Kovilvattam Desam Ernakulam village, in Jews Street with a house No. XXXII/1333 in Sy. No. 647/1.

K. RAJAGOPALAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Ernakulam.

Date : 19-5-1975
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 20th May 1975

Ref. No. AP.880.—Whereas I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule overleaf situated at Aujla Village, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phillaur in Aug. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Pritam Singh R/o Village Sarih, Teh. Nakodar. (Transferor)

(2) S/Sh. Darshan Singh Om Parkash Ss/o Sh. Gurdas Ram V. Aujla Teh. Phillaur. (Transferee)

(3) As above in Sr. No. 2. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person whom undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4051 of August, 1974 of the Registering Authority Phillaur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 20-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 20th May 1975

Ref. No. AP. 875.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule overleaf situated at Talwan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at
Phillaur in Aug. 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Udham Singh S/o Waryam Singh R/o Talwan, Teh. Phillaur.

(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Udham Singh R/o Puadhra Teh. Phillaur.

(Transferee)

(3) As above in Sr. No. 2. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person whom undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2067 of August, 1974 of the Registering Authority Phillaur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 20-5-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 20th May 1975

Ref. No. AP. 876.—Whereas I, RAVINDER KUMAR, being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. As per schedule overleaf situated at Talwan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Phillaur in Aug 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Udham Singh S/o Variam Singh R/o Talwan Teh. Phillaur.
(Transferor)

(2) Shri Kuldeep Singh S/o Udham Singh S/o Sh. Jawala Singh R/o Puadhia, Teh. Phillaur.
(Transferee)

(3) As above in Sr. No. 2. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person whom undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as give in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4075 of August, 1974 of the Registering Authority Phillaur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 20-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 60/61, ERANDAWANA, KARVE ROAD, POONA-411 004

Poona-411004, the 19th May 1975

Ref. No. C.A.5/Sept. '74/Bombay (Poona)/195/75-76.—Whereas, I, H. S. AULAKH, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Sub Plot "C" of F.P. No. 64, Revision S. No. 29, 30, 31, 31/1, 32 situated at Shivajinagar (Poona) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Bombay on 12-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jehangir H. Jenangir Trust Trustees :
- (1) Shri Kaikhushru Hormusji Cama.
- (2) Lady Hirabai Cowasji Jehangir,
- (3) Sir Hirji Jehangir Khurshedcher Manchershaw Khan
- (4) Lady Jinoo Hirji Jehangir, Ready Money Mansion, Veer Nariman Road, Fort, Bombay-1.

(Transferor)

(2) Ashvini Sahakari Grita-Rachana Sanstha Maryadit, Chairman : Shri Gajanan Moreshwar Gosavi, 931/7, Shukrawar peth, Poona-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold Sub Plot "C" of Final Plot No. 64 of Sangamwadi Town Planning Scheme, Poona, lying and being at Bhamburda now known as Shivajinagar, Poona. Revision S. No. 29, 30, 31, 31/1, 32. Area : 22182 Sq. Mtrs.

B. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Poona.

Date : 19-5-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, 60/61 ERANDAWANA, OF INCOME-TAX
KARVE ROAD, POONA-411004

Poona-411 004, the 19th May 1975

Ref. No. C.A. 5/Sept. '74/Sholapur/196/75-76.—Whereas, I, H. S. AULAKH, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T.P.S. No. 4, Final Plot No. 104 situated at Sholapur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sholapur on 6-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Ambanappa Mahantappa Patil, Sholapur.
At Present : C/o Bharat Forge Co. Ltd.,
Nirmal Building, Nariman Point, Bombay.
(Transferor)

(2) Shri Siddhajin Sahakari Griha Nirman Sanstha Maryadit,
Chairman : Shri Laxmanrao Baburao Deshmane,
Kagadi Chawl, 147/4, Railway Lines, Sholapur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehol open plots :—
T.P. Scheme No. 4, Final Plot No. 104,
Original Plot No. 37,
Survey Nos. 471/1/1, 471/1/2, 471/1/3 at Sholapur.

Plot Nos		*Areas*
1	..	2037.50 Sq. ft.
8	..	4275.00 Sq. ft.
9	..	4040.00 Sq. ft.
10	..	3090.00 Sq. ft.
17	..	3420.00 Sq. ft.
19	..	2000.00 Sq. ft.
20	..	4000.00 Sq. ft.
21	..	4000.00 Sq. ft.
22	..	4000.00 Sq. ft.

H. S. AULAKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Poona.

Date : 19-5-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1975

Ref. No. ASR/75/75-76—Whereas I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, situated at Rayya (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Baba Bakala in September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdial Singh s/o Shri Bua Singh V. Behla Teh. Tarn Taran & Rattan Singh s/o Chanchal Singh V. Bala Chak Teh. Tarn Taran.

(Transferor)

(2) Shri Karnail Singh s/o Shri Ujagar Singh, Gurdial Singh s/o Karnail Singh, Amrik Singh s/o Karnail Singh, Amarjit Singh s/o Karnail Singh V. Kala Nagal Teh, Batala Smt. Parkash Kaur w/o Iqbal Singh Plot No. 3 A Court Road, Amritsar, Jagtar Kaur w/o Dasaundha Singh, 54 Court Rd, Amritsar, Sukhwant Kaur w/o Balbir Singh V. Saheed.

(Transferes)

(3) As at S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1193 of September, 1974 of the registering authority, Baba Bakala.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 19-5-75

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1975

Ref. No. MLT/76/75-76—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-Tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, situated at V. Malout (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Malout in September on 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahabir Singh s/o Shri Balwant Singh r/o Patiala.
(Transferor)

(2) Shri Gurdev Singh & Jagraj Singh etc. ss/o Shri Nika Singh r/o Malout.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1739 of September, 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 19-5-75

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1975

Ref. No. MLT/77/75-76—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Land, situated at V. Malout (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malout in September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahabir Singh GA for Balwant Singh r/o Sarhand Road, Patiala.

(Transferor)

(2) Shri Jagraj Singh, Gurdev Singh, Hakim Singh & Balwant Singh ss/o Shri Nikka Singh r/o V. Malout.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Above.

(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of his notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1727 of September, 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 19-5-75

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1975

Ref. No. MLT/78/75-7. . .—Whereas I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269D of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, situated at V. Malout (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malout in September 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Balwant Singh,
r/o Patiala.
(Transferor)

(2) Shri Jagraj Singh etc.
Malout.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1739 of September, 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 19-5-75

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1975

Ref. No. BTD/79/75-76—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land, situated at Bhatinda Goniana Road, Bhatinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhatinda in September 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Harbinder Singh, s/o Kartar Singh s/o Sant Ram of Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Som Dutt s/o Ronak Ram s/o Balak Ram, Atma Ram s/o Chanan Ram s/o Manghi Ram, Sanch Lata w/o Sohan Lal s/o Plori Ram r/o Bhatinda.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3778 of September, 1974 of the Registering Authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 19-5-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAV, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1975

Ref. No. MLT/80/75-76—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act. 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land, situated at V. Sarana
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Malout in September on 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhara Singh s/o
Shri Pala Singh s/o Jaimal Singh r/o Sarana Teh. Muktsar.
(Transferor)

(2) Shri Hardip Singh,
Gurdip Singh, Bakshish Singh ss/o Shri Dhara Singh s/o Pala Singh r/o Sarana.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1763 of September. 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 19-5-75
Seal:

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1975

Ref. No. MLT/89/75-76—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot of land, situated at V. Malout
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer ....
at Malout in September on 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahabir Singh s/o ....
Shri Balwant Singh, Sirhand Road, Patiala.
(Transferor)

(2) Shri Balwant Singh etc.
Malout.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1738 of September, 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 19-5-75
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 17th May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. plot and house constructed on it at Usha Ganj, Ward No 1, Manasa, Distt. Mandsaur situated at Mandsaur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Mandsaur on 30-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Krishnagopal S/o Nandlal Agar,
(2) Smt. Kesarbai W/o Nandlal Agar, both R/o Manasa, Distt. Mandsaur.

(Transferor)

(2) Shri Mohanlal S/o Shri Moolchandji Agar, Block No. 49, ABC, Ward No. 1, Ushaganj of Manasa Distt. Mandsaur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and house constructed on it at Ushaganj, Ward No. 1, Manasa, Distt. Mandsaur.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal

Date : 17-5-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 17th May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinba, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. plot and superstructure of ground floor area of the house at Ward No. 1, Usha Ganj, Block No. 48 of Manasa Town, Distt. Mandsaur situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mandsaur on 30-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been trul ystated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Krishnagopal S/o Nandlal Agar,
(2) Smt. Kesarbai Wd/o Nandlal Agar, both R/o Manasa, Distt. Mandsaur.

(Transferor)

(2) Shri Satyanarayan S/o Shri Bansilal Agar, 70, Ramwadi, 3rd Floor, 3rd Canal Cross Lane, Bombay-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and Superstructure of ground floor area of the house at Ward No. 1, Usha Ganj, Block No. 48 of Manasa Town, Distt. Mandsaur.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 17-5-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 17th May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha, being the Competent Authority under section 269D of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1st floor and 2nd floor of property at Ward No. 1, Usha Ganj, Block No. 47 at Manasa Town, Distt. Mandsaur. situated at Mandsaur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Mandsaur on 13-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Krishnagopal S/o Nandlal Agar,

(2) Smt. Kesaibai Wd/o Nandlal Agar, both R/o Manasa, Distt. Mandsaur.

(Transferor)

(2) Smt. Balitabai W/o Arunkumar Somani, Rajpura, Punjab.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Superstructure of a house consisting 1st floor and 2nd koor only of property at Ward No. 1, Usha Ganj, Block No. 47 at Manasa Town, Distt. Mandsaur.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 17-5-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 17th May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act,) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot at Manasa and ground floor of house at Manasa situated at Mandsaur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mandsaur on 13-9-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Krishnagopal S/o Nandlal Agar,

(2) Smt. Kesarbai Wd/o Nandlal Agar, both R/o Manasa, Distt. Mandsaur.

(Transferor)

(2) Smt. Sheelabai W/o Satyanarayana Agar, R/o 70 Ramwadi, 2nd Floor, 3rd Canal Lane, Bombay-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetted.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and out of two storeyed building purchased only ground floor at Manasa Town, Distt. Mandsaur.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 17-5-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 17th May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, V. K. Sinha, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agricultural land of 6.49 acres at Niranjanpur, Teh. Indore on Bombay-Agra Road, Indore and factory Building, Bungalow and outhouses situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Indore on 2-9-74
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Porwal Udyog (India), 6 Murari Mohalla, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Uttsavlal Dhanraj,

(2) Shri Gajendrakumar Uttsavlal

(3) Shri Surendrakumar

(4) Shri Devendrakumar

(5) Shri Mukeshkumar, and

(6) Shri Shailesh Kumar all sons of Shri Uttsavlal, all R/o 6 Murai Mohalla, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land of 6.49 acres at Niranjanpur, Teh. Indore on Bombay-Agra Road, Indore and factory building bungalow and outhouses.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 17-5-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 21st May 1975

Ref No. Ac-215/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I S. Bhattacharyya being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 59, situated at Basak Bagan Lane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 2-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely ;—

(1) Shrimati Ava Rani Saha.
(Transferor)

(2) Shri Pradip Kumar Saha.
(Transferee)

(3) Shri S. K. Day, Mongal Singh, Sukdeo Singh, B. C. Biswas, A. Banerjee, B. R. Mitra & J. C. Dalal.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 cottahs 7 chittacks & building thereon, 59 Basak Bagan Lane, Patipukur, P.S. Dum Dum, 24-Parganas.

S. BHATTACHARYYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range IV, Calcutta.

Date : 21-5-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 21st May 1975

Ref. No. Ac-216/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I, S. Bhattacharyya being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 5, situated at Bangur Avenue (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 16-9-74. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acuisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons namely :—

(1) Beni Limited.

Transferor)

(2) Girija Prasanna Lahiri.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2 cottahs 15 chittacks 11 sq. ft. with building thereon, plot No. 5, Bangur Avenue, Block 'C', South Dum Dum Municipality, Dist. 24-Parganas.

S. BHATTACHARYYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta

Date : 21-5-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 22nd May 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I V. K. Sinha being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 21 and 2 storeyed building constructed on it at Chhavani Mandi, Neemuch, Distt. Mandsaur situated at Mandsaur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Mandsaur on 4-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishangopal S/o Nandlalji Agar, 2. Smt. Kesharbai Wd/o Nandlalji Agar, both R/o Manasa, Distt. Mandsaur.

(Transferor)

(2) Shri Manmohanji S/o Bansilalji Gattani, R/o Neemuch, Distt. Mandsaur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 21 and 2 storeyed building constructed on it at Chhavani Mandi Neemuch, Distt. Mandsaur.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
BHOPAL

Date : 22-5-75.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, POONA

Poona, the 21st May 1975

Ref. No. CA/5/September/74/Haveli II (Poona)/197 of 75-76.—Whereas, I, H. S. Aulakh being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Survey Nos. 35 to 40 situated at Poona
(and more fully described in,
the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vadgaon (Poona) on 9-9-1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Manikchand Motichand Shaha.
2. Shri Hirachand Manikchand Shaha.
3. Smt. Navalbai Manikchand Shaha.
4. Shri Shrimandar Hirachand Shaha.
5. Shri Jugamandar Hirachand Shaha.
6. Shri Arinjai Hirachand Shaha.
7. Shri Niranjan Hirachand Shaha.
all at "168 Bhavani Peth, Poona-2."
(Transferor)

(2) 1. Shri Sakharam Narayanrao Sanas at Vadgaon Khurd, Tal : Haveli, Distt : Poona.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold agricultural lands :—

At Mouji Vadgaon Budruk, Taluka Haveli, Dist : Poona.

Survey Nos. 35 to 40.

Area : 24 Acres 22 Gunthas.

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Poona

Date : 21-5-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 22nd May 1975

Ref. No. TR-224/C-222/CAL-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act',), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. 4A, situated at Jawaharlal Nehru Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office on the Registering Officer at 5, Govt. Place North on 27-9-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating reduction or evasion of the liablility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269-C, of the said said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Krishna Chandra Das.
1. Jafar Hossain 2. Mohmed Hossain 3. Mohesin Bhai 4. Shabbir Hossain.

(Transferor)

(2) 1. Arjun Biswas, 2. Abade Ali, 3. Abdul Hossain, 4. M. Biswas & Co., 5. Ram Lakshan Prosad Jaisal, 6. Baldeo Prosad Kalwar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided one-fifth share in partly one and partly two storied building situated on land measuring three cottahs and six chittacks a little more or less at 4A Jawaharlal Nehru Road, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-I,
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 22-5-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B,

Chandigarh, the 5th March 1975

Ref. No. LDH/C/428/74-75.—Whereas, I G. P. Singh, Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 3-A, situated on Oswal Road also known as Gupta Road, situated at Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ludhiana in October, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following person namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd; Ludhiana.
Through Shri Piare Lal, Director.
(Transferor)

(2) (i) Shri Avinash Kumar s/o Sh. Sat Parkash,
(ii) Smt. Kiran Mittal, W/o Avinash Kumar,
H. No. B-IX, 1061, Shiwala Sanglanwala Road, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3-A, measuring 480 sq. yds. originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupta Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 5969 of October 1974 of the Registering Officer, Ludhiana).

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5th March, 1975.
Seal :

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD